रजि० सं० डी०-(डी०)—78 REGISTERED NO. D-(D)—78

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT. OF INDIA

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 34] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 26, 1978 (भाद्रपद 4, 1900)
No. 34] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 26, 1978 (BHADRA 4, 1900)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1
PART III—SECTION 1

उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयो द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

(Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India)

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनाक 2 अगस्त 1978

स० ए० 32013/2/77-प्रशा०-I—अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा राष्ट्रीय डेरी अनुसधान सस्थान के सह-आचार्य और सघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय मे स्थानापन्न अवर सचिव डा० डी० एन० प्रसाद को अद्यतन सशोधित सघ लोक सेवा आयोग (कर्मचारी वर्ग) विनियमावली, 1958 के विनियम 7 के साथ पठित विनियम 4 के परन्तुक के अधीन 2-8-78 के पूर्वाह्न से 1-11-78 तक, अथवा आगामी आदेशो तक, जो भी पहले हो, सघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय मे उप सचिव के पद पर स्थानापन्न रूप से तदर्थ आधार पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है ।

प्र० ना० मुखर्जी,
अवर सचिव,
कृते अध्यक्ष
सघ लोक सेवा आयोग

गृह मत्रालय

का० एव प्र० स० विभाग

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली, दिनाक 2 अगस्त 1978

स० ए०-19036/15/78-प्रशासन-5—निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एव पुलिस महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, एतद्द्वारा श्री एम० आर० अग्रवाल, पुलिस निरीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दिनाक 15-7-78 के पूर्वाह्न मे अगले आदेश तक के लिए स्थानापन्न पुलिस उप-अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना के रूप मे प्रोन्नत करते है ।

स० ए०-19036/16/78-प्रशासन-5—निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एव पुलिस महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, एतद्द्वारा, श्री एस० ए० हैदर नकवी, पुलिस निरीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दिनाक 20-7-78 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के लिए अस्थायी रूप से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना मे स्थानापन्न पुलिस उप-अधीक्षक, प्रोन्नत करते हैं ।

सं० ए०-19036/17/78-प्रशासन-5—निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एव पुलिस महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, एतद्द्वारा, श्री उमेश, पुलिस निरीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दिनांक 20-7-78 के अपराह्न से अगले आदेश तक के लिए अस्थायी रूप से स्थानापन्न पुलिस उप-अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना के रूप में प्रोन्नत करते हैं।

दिनांक 4 अगस्त 1978

सं० ए०-19021/2/75-प्रशासन-5—केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस अधीक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त श्री सी० आजनेय रेड्डी, भारतीय पुलिस सेवा (1966-आंध्र प्रदेश) ने दिनांक 4-7-78 के अपराह्न में अपने पद का कार्यभार त्याग दिया।

2. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कार्यभार मुक्त हो जाने पर, श्री रेड्डी की सेवाएं आंध्र प्रदेश सरकार को सौंप दी गई हैं।

महेन्द्र कुमार अग्रवाल,
प्रशासन अधिकारी (लेखा)
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली, दिनांक 3 अगस्त 1978

सं० 21021/15/78-प्रशा-1—पुलिस उप-महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, एतद्द्वारा, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना प्रभाग के पुलिस उप-निरीक्षक श्री सी० सदीशचन्द्रन को प्रोन्नत हो जाने पर, दिनांक 19-6-78 के अपराह्न से अगले आदेश तक के लिए अस्थायी रूप से निरीक्षक, आर्थिक अपराध स्कंध/बम्बई शाखा के रूप में नियुक्त करते हैं।

जरनैल सिंह,
प्रशासनिक अधिकारी (स्था०)
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल

नई दिल्ली-110001, दिनांक 7 अगस्त 1978

सं० ओ० दो० 1024/72-स्थापना—राष्ट्रपति, श्री दीपक चौपड़ा, उप-पुलिस अधीक्षक, के० रि० पु० बल (डी० सी० पी० सी० में प्रतिनियुक्ति पर) का त्याग पत्र 31-7-78 (अपराह्न) से स्वीकार करते हैं।

ए० के० बन्द्योपाध्याय,
सहायक निदेशक (प्रशासन)

महानिरीक्षक का कार्यालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110019, दिनांक 31 जुलाई 1978

सं० ई०-38013/2/1/78-कार्मिक—बड़ौदा को स्थानांतरण होने पर श्री डी० एस० ट्रेजर ने 17 जुलाई, 1978 के पूर्वाह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट बालको कोरबा के कमांडेंट पद का कार्यभार छोड़ दिया।

दिनांक 3 अगस्त 1978

सं० ई०-16013(2)/6/77-कार्मिक—उत्तर प्रदेश पुलिस से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण होने पर श्री दलजीत सिंह ने 8-6-78 के पूर्वाह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट, एन० एफ० एल० नया नांगल (पंजाब) के कमांडेंट के पद का कार्यभार संभाल लिया।

सं० ई०-16014(3)/1/77-कार्मिक—दिल्ली पुलिस को प्रत्यावर्तन होने पर, श्री कैलाश चन्द्र बहल ने, 30 जून 1978 के अपराह्न से के० औ० सु० ब० प्रशिक्षण रिजर्व नई दिल्ली के सहायक कमांडेंट पद का कार्यभार छोड़ दिया।

सं० ई०-16013(1)/1/78-कार्मिक—प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण होने पर, श्री शिव मोहन सिंह, भा० पु० से० (म० प्र०—1954) ने श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह, भा० पु० से० (म० प्र०—1955) के स्थान पर 7 जुलाई, 1978 के पूर्वाह्न से के० औ० सु० ब० उ० व प० क्षेत्र, नई दिल्ली के उप महानिरीक्षक पद का कार्यभार सम्भाल लिया। राज्य काडर को प्रत्यावर्तित होने पर श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह ने उसी तारीख से उक्त पद का कार्यभार छोड़ दिया।

सं० ई०-16013(1)/1/78-कार्मिक—प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण होने पर श्री बी० आर० सूर (म० प्र०—54) ने 10 जुलाई, 1978 के पूर्वाह्न से बोकारो स्टील लिमिटेड बोकारो के उपमहानिरीक्षक /के० औ० सु० ब० के पद का कार्यभार सम्भाल लिया।

सं० ई०-16013(1)/1/78-कार्मिक—प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण होने पर श्री महाराज सिंह, भा० पु० से० (म० प्र०—56) से 7 जुलाई, 1978 के पूर्वाह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट भिलाई इस्पात लि०, भिलाई के उप महानिरीक्षक/के० औ० सु० ब० के पद का कार्यभार सम्भाल लिया।

सं० ई०-38013(2)/1/78-कार्मिक—कलकत्ता से स्थानांतरण होने पर श्री ए० सी० राय ने 20-5-78 के पूर्वाह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट बी० सी० सी० एल० झरिया के कमांडेंट पद का कार्यभार सम्भाल लिया।

सं० 38013(2)/1/78-कार्मिक—बरौनी से स्थानांतरण होने पर श्री अशोक दरबारी, भा० पु० से० (म० प्र०—68) ने 5-6-78 के पूर्वाह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट, कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट, कलकत्ता के कमांडेंट पद का कार्यभार सम्भाल लिया।

सं० ई०-38013(2)/1/78-कार्मिक—हरिद्वार को स्थानांतरण होने पर श्री दलजीत सिंह ने 30 जून, 1978 के अपराह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट, एन० एफ० एल०, नया नांगल के कमांडेंट के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

सं० ई०-38013(3)/1/78-कार्मिक—हरिद्वार को स्थानांतरण होने पर श्री इन्दर मोहन ने 11-5-78 के अपराह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट, आई० एस० आर० ओ० थुम्बा के सहायक कमांडेंट के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

सं० ई०-38013(3)/1/78-कार्मिक—दुर्गापुर से स्थानांतरण होने पर श्री एन० के० खजुरिया ने 22 जून, 1978 के पूर्वाह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट कलकत्ता के सहायक कमांडेंट के पद का कार्यभार सम्भाल लिया।

सं० ई०-38013(3)/1/78-कार्मिक—राष्ट्रपति, निरीक्षक बी० पी० दुबे को, के० औ० सु० ब० यूनिट आई० पी० सी० एल० बड़ौदा का, तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से सहायक कमांडेंट नियुक्त करते हैं और उन्होंने 10-6-78 के अपराह्न से उसी पद का कार्यभार सम्भाल लिया ।

सं० ई०-38013(3)/1/78-कार्मिक—राष्ट्रपति , निरीक्षक आर० एन० सरकार को, के० औ० सु० ब० यूनिट, एन० पी० और पी० सी० लिमिटेड, नागालैण्ड का तदर्थ आधार पर, स्थानापन्न रूप से सहायक कमांडेंट नियुक्त करते हैं और उन्होंने उक्त पद का कार्यभार 6-6-78 के पूर्वाह्न से सम्भाल लिया।

सं० ई०-38013(3)/1/78-कार्मिक—हरिद्वार से स्थानांतरण होने पर, श्री आर० के० भगत के 27 मई 1978 के पूर्वाह्न से के० औ० सु० ब०यूनिट, बी० एच० ई० एल० खैलार, झांसी, के सहायक कमान्डेंट के पद का कार्यभार सम्भाल लिया ।

सं० ई०-38013(3)/1/78-कार्मिक—राउरकेला से स्थानांतरण होने पर श्री भूपिंदर सिंह राणा ने 10-5-78 के पूर्वाह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट, आई० ओ० सी० मथुरा रिफाइनरी परियोजना मथुरा के सहायक कमांडेंट के पद का कार्यभार सम्भाल लिया ।

सं० ई०-38013(3)/1/78-कार्मिक—राष्ट्रपति, निरीक्षक कृष्ण कुमार शर्मा को, के० औ० सु० ब० यूनिट, आर० एस० पी० राउरकेला का तदर्थ आधार पर, स्थानापन्न रूप से सहायक कमांडेंट नियुक्त करते हैं, और उन्होंने 5-6-78 के पूर्वाह्न से उसी पद का कार्यभार सम्भाल लिया ।

सं० ई०-38013(3)/1/78-कार्मिक—नामरूप से स्थानांतरण होने पर श्री पी० पी० मित्रा ने 13-6-78 के पूर्वाह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, दुर्गापुर के सहायक कमांडेंट पद का कार्यभार सम्भाल लिया ।

सं० ई०-38013(3)/1/78-कार्मिक—राष्ट्रपति, श्री एन० जी० डी० गुप्ता को के० औ० सु० ब० यूनिट, बी० सी० सी० एल० झरिया का तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से सहायक कमांडेंट नियुक्त करते है और उन्होंने जबकि वे हैदराबाद कैम्प में थे, 25 मई, 1978 के पूर्वाह्न से उसी पद का कार्यभार सम्भाल लिया ।

2. यह 5-7-78 की समसंख्यक पूर्व-अधिसूचना का अधिक्रमण करती है ।

सं० ई०-38013(3)/1/78-कार्मिक—राष्ट्रपति, निरीक्षक ए० एस० आर० रेड्डी को के० औ० सु० ब० यूनिट, एम० पी० टी० मद्रास का तदर्थ आधार पर, स्थानापन्न रूप से सहायक कमांडेंट नियुक्त करते है और उन्होंने 5-6-78 के पूर्वाह्न से उक्त पद का कार्यभार सम्भाल लिया ।

रा० च० गोपाल,
महानिरीक्षक/के० औ० सु० ब०

भारत के महापंजीकार का कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 1 अगस्त 1978

सं० 2/1/75-म० पं० (प्रशा-I)—राष्ट्रपति, हरियाणा, चण्डीगढ़ में जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय में सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीकी) और इस समय उत्तर प्रदेश, लखनऊ में जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय में उपनिदेशक, जनगणना कार्य के पद पर तदर्थ आधार पर कार्यरत श्री एस० के० अग्रवाल को तारीख 26 जून, 1978 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक उत्तर प्रदेश, लखनऊ में जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय में नियमित आधार पर अस्थायी तौर से उप निदेशक जनगणना कार्य के पद पर सहर्ष नियुक्त करते है। उनका मुख्यालय लखनऊ में ही होगा ।

सं० 2/1/75-म० पं० (प्रशा-1)—राष्ट्रपति, नई दिल्ली में भारत के महापंजीकार के कार्यालय में सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीकी) श्री एम० एम० दुआ को तारीख 4 जुलाई, 1978 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक उसी कार्यालय में नियमित आधार पर अस्थायी तौर से उप निदेशक, जनगणना कार्य के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं। उनका मुख्यालय नई दिल्ली में ही रहेगा ।

सं० 2/1/75-म० पं० (प्रशा-I)—राष्ट्रपति, पंजाब, चण्डीगढ़ में जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय में सहायक निदेशक (तकनीकी) और इस समय पंजाब, चण्डीगढ़ में जनगणना निदेशक के कार्यालय में उपनिदेशक, जनगणना कार्य के पद पर तदर्थ आधार से कार्यरत श्री पी० सी० शर्मा को तारीख 28 जून, 1978 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक पंजाब, चण्डीगढ़ में जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय में नियमित आधार पर अस्थायी तौर से उप-निदेशक, जनगणना कार्य के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं। उनका मुख्यालय चण्डीगढ़ में ही रहेगा ।

सं० 2/1/75-म० पं० (प्रशा०-I)—राष्ट्रपति, नई दिल्ली में भारत के महापंजीकार के कार्यालय के सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीकी) और इस समय उत्तर प्रदेश लखनऊ में जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय में उप निदेशक, जनगणना कार्य के पद पर तदर्थ आधार पर कार्यरत श्री एस० एस० एस० जयसवाल को तारीख 26 जून, 1978 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक उत्तर प्रदेश, लखनऊ में जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय में नियमित आधार पर अस्थायी तौर से उप निदेशक जनगणना कार्य के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं। उनका मुख्यालय लखनऊ में ही रहेगा ।

सं० 2/1/75-म० पं० (प्रशा०-I)—राष्ट्रपति, पंजाब, चण्डीगढ़ में जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय में सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीकी) और इस समय हिमाचल प्रदेश, शिमला में जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय में उप निदेशक, जनगणना कार्य के पद पर तदर्थ आधार पर कार्यरत श्री के० सी० सूरी को तारीख 27 जून, 1978 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक हिमाचल प्रदेश, शिमला में जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय में नियमित आधार पर अस्थायी तौर से उप निदेशक जनगणना कार्य के पद पर सहर्ष नियुक्त करते है। उनका मुख्यालय शिमला में ही रहेगा ।

पी० पद्मनाभ,
भारत के महापंजीकार

वित्त मंत्रालय

(अर्थ विभाग)

भारत प्रतिभूति मुद्रणालय,

नासिक रोड, दिनांक 31 जुलाई 1978

सं० 781/ए०—दिनांक 30-4-78 के क्रम में सर्व श्री जे० एच० सय्यद और आर० व्यंकटरमन् को उप नियंत्रण अधिकारी के पद पर भारत प्रतिभूति मुद्रणालय में तदर्थ रूप में 30-9-78 तक उन्हीं शर्तों के साथ नियुक्त करते हैं।

डी० सी० मुखर्जी,
महाप्रबन्धक,
भारत प्रतिभूति मुद्रणालय

आर्थिक कार्य विभाग

बैंक नोट मुद्रणालय

देवास, दिनांक 6 अगस्त 1978

नस्ती क्रमांक बी० एन० पी०/सी०/5/78—श्री एस० के० माथुर, स्थायी निरीक्षक नियन्त्रण को बैंक नोट मुद्रणालय, देवास में उप-नियन्त्रण अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर की गई नियुक्ति दिनांक 25-7-78 (पूर्वाह्न) से 3 माह की अवधि तक या पद के नियमित रूप से भरे जाने तक जो भी पहले हो निरन्तर की जाती है ।

मु० वै० चार,
उप-महा प्रबंधक

रक्षा लेखा विभाग

कार्यालय, रक्षा लेखा महा नियंत्रक

नई दिल्ली-22, दिनांक 5 अगस्त 1978

सं० 40011(2)/78/प्रशा० ए०—(1) वार्धक्य निवर्तन की आयु प्राप्त कर लेने पर निम्नलिखित लेखा अधिकारियों को प्रत्येक के नाम के सामने लिखी तारीख के अपराह्न से पेंशन स्थापना को अन्तरित कर दिया गया/जाएगा ।

क्रम सं०	नाम, रोस्टर संख्या सहित	ग्रेड	पेंशन स्थापना को अन्तरण की तारीख	संगठन
1	2	3	4	5
	सर्वश्री			
1.	सी० वासुदेवन (पी०/7)	स्थायी लेखा अधिकारी	30-11-78	रक्षा लेखा नियंत्रक, दक्षिणी कमान, पूना ।
2.	नरिन्द्र नाथ वर्मा (पी०/44)	स्थायी लेखा अधिकारी	30-6-78	रक्षा लेखा नियंत्रक, अन्य रैंक उत्तर, मेरठ।
3.	के० सुब्रह्मण्यम (पी०/53)	स्थायी लेखा अधिकारी	31-7-78	रक्षा लेखा नियंत्रक, मध्य कमान, मेरठ ।
4.	हरदयाल सिंह (पी०/69)	स्थायी लेखा अधिकारी	31-7-78	रक्षा लेखा नियंत्रक, मध्य कमान, मेरठ ।
5.	ए० शिव रमैया (पी०/73)	स्थायी लेखा अधिकारी	31-10-78	रक्षा लेखा नियंत्रक, दक्षिणी कमान पूना ।
6.	नन्द किशोर खन्ना (पी०/81)	स्थायी लेखा अधिकारी	30-6-78	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक) उत्तर, मेरठ ।

1	2	3	4	5
	सर्वश्री			
7.	त्रिलोक नाथ ककड़ (पी०/89)	स्थायी लेखा अधिकारी	30-11-78	रक्षा लेखा नियंत्रक (वायु सेना) देहरादून ।
8.	राम प्रकाश साहनी (पी०/90)	स्थायी लेखा अधिकारी	31-8-78	रक्षा लेखा नियंत्रक, (अन्य रैंक) उत्तर, मेरठ ।
9.	ब्रह्म देव (पी०/95)	स्थायी लेखा अधिकारी	30-11-78	रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) इलाहाबाद ।
10.	जी० शंकर राव (पी०/114)	स्थायी लेखा अधिकारी	31-10-78	रक्षा लेखा नियंत्रक दक्षिणी कमान, पूना ।
11.	मकसूदन लाल (पी०/202)	स्थायी लेखा अधिकारी	31-12-78	रक्षा लेखा नियंत्रक, पश्चिमी कमान, मेरठ ।
12.	पी० डी० देशमुख (पी०/217)	स्थायी लेखा अधिकारी	31-12-78	रक्षा लेखा नियंत्रक, (अन्य रैंक) दक्षिण, मद्रास ।
13.	सी० शेषगिरि राव (पी०/231)	स्थायी लेखा अधिकारी	31-10-78	रक्षा लेखा नियंत्रक, (नौ सेना) बम्बई ।
14.	निरंजन लाल (पी०/236)	स्थायी लेखा अधिकारी	30-9-78	रक्षा लेखा नियंत्रक, मध्य कमान, मेरठ ।
15.	हरबंस लाल ओबेराय (पी०/239)	स्थायी लेखा अधिकारी	31-10-78	रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक, (निधि) मेरठ ।
16.	जी० एन० नटराजन (पी०/243)	स्थायी लेखा अधिकारी	31-12-78	रक्षा लेखा नियंत्रक, (अफसर) पूना ।
17.	ए० बी० बी० बनर्जी (पी०/245)	स्थायी लेखा अधिकारी	30-10-78	रक्षा लेखा नियंत्रक, (फैक्टरीज) कलकत्ता ।
18.	शैलेन्द्र नाथ गांगुली (पी०/246)	स्थायी लेखा अधिकारी	31-10-78	रक्षा लेखा नियंत्रक, (फैक्टरीज) कलकत्ता ।
19.	आर० पी० सिंह (254)	स्थायी लेखा अधिकारी	30-11-78	रक्षा लेखा नियंत्रक, (पेंशन) इलाहाबाद ।
20.	एम० के० त्याग राजन (पी०/266)	स्थायी लेखा अधिकारी	31-12-78	रक्षा लेखा नियंत्रक, मध्य कमान, मेरठ ।
21.	एन० कान्तकृष्णन (पी०/279)	स्थायी लेखा अधिकारी	30-11-78	रक्षा लेखा नियंत्रक, (पेंशन) इलाहाबाद ।
22.	एम० एल० त्यागी (पी०/300)	स्थायी लेखा अधिकारी	31-12-78	रक्षा लेखा नियंत्रक, (फैक्टरीज) कलकत्ता ।
23.	के० राम धोराई (पी०/338)	स्थायी लेखा अधिकारी	30-9-78	रक्षा लेखा नियंत्रक, दक्षिणी कमान, पूना ।
24.	पूरन चन्द श्रीपाल (पी०/344)	स्थायी लेखा अधिकारी	31-12-78	रक्षा लेखा नियंत्रक, मध्य कमान, मेरठ ।
25.	एम० एम० दत्ता, (पी०/370)	स्थायी लेखा अधिकारी	31-12-78	रक्षा लेखा नियंत्रक, मध्य कमान, मेरठ ।
26.	श्रीपति भट्टाचार्यजी (पी०/399)	स्थायी लेखा अधिकारी	31-7-78	रक्षा लेखा नियंत्रक, (अन्य रैंक) उत्तर, मेरठ ।

1	2	3	4	5
	सर्वश्री			
27.	पी० एन० नरसिम्हन (पी०/405)	स्थायी लेखा अधिकारी	31-12-78	रक्षा लेखा नियंत्रक, दक्षिणी कमान, पूना ।
28.	के० पी० विश्वनाथन (पी०/409)	स्थायी लेखा अधिकारी	31-7-78	रक्षा लेखा नियंत्रक, (नौ सेना) बम्बई ।
29.	हरी किशन लाल (पी०/468)	स्थायी लेखा अधिकारी	30-11-78	रक्षा लेखा नियंत्रक, (वायु सेना) देहरादून ।
30.	एस० सी० लुकोज (पी०/451)	स्थायी लेखा अधिकारी	30-11-78	रक्षा लेखा नियंत्रक, (अन्य रैंक) दक्षिण, मद्रास ।
31.	पी० कृष्ण स्वामी (पी०/491)	स्थायी लेखा अधिकारी	30-11-78	रक्षा लेखा नियंत्रक, (पेंशन) इलाहाबाद ।
32.	निरंजन सेन गुप्त (पी०/511)	स्थायी लेखा अधिकारी	30-11-78	रक्षा लेखा नियंत्रक, (फैक्टरीज) कलकत्ता ।
33.	शेन लाल शर्मा (पी०/539)	स्थायी लेखा अधिकारी	30-9-78	रक्षा लेखा नियंत्रक, (फैक्टरीज) कलकत्ता ।
34.	जोगा सिंह (पी०/602)	स्थायी लेखा अधिकारी	30-6-78	रक्षा लेखा नियंत्रक, दक्षिणी कमान, पूना ।
35.	राजा राम वर्मा (पी०/626)	स्थायी लेखा अधिकारी	31-12-78	रक्षा लेखा नियंत्रक, दक्षिणी कमान, पूना ।
36.	पी० राम मोहन (पी०/628)	स्थायी लेखा अधिकारी	30-9-78	रक्षा लेखा नियंत्रक, दक्षिणी कमान, पूना ।
37.	शशांक मोहन देव (पी०/629)	स्थायी लेखा अधिकारी	31-12-78	रक्षा लेखा नियंत्रक, (अन्य रैंक) उत्तर, मेरठ ।
38.	प्रेम चन्द शर्मा (पी०/645)	स्थायी लेखा अधिकारी	31-8-78	रक्षा लेखा नियंत्रक, पश्चिमी कमान, मेरठ ।
39.	मुकन्द लाल सहगल (ओ०/65)	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	31-12-78	रक्षा लेखा नियंत्रक, मध्य कमान, मेरठ ।
40.	ई० एम० वारियर (ओ०/69)	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	31-12-78	रक्षा लेखा नियंत्रक, (नौ सेना) बम्बई ।
41.	चिन्तामणि जेटली (ओ०/93)	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	30-9-78	रक्षा लेखा नियंत्रक, मध्य कमान, मेरठ ।
42.	बी० शेषगिरि राव (ओ०/97)	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	30-9-78	रक्षा लेखा नियंत्रक, दक्षिणी कमान, पूना ।
43.	एम० एम० गांगुली (ओ०/108)	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	31-10-78	रक्षा लेखा नियंत्रक, (फैक्टरीज) कलकत्ता ।
44.	कंवल नयन मल्होत्रा (ओ०/129)	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	31-8-78	रक्षा लेखा नियंत्रक, मध्य कमान, मेरठ ।
45.	ए० डब्ल्यू० गोडबोले (ओ०/140)	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	30-6-78	रक्षा लेखा नियंत्रक, मध्य कमान, मेरठ ।
46.	पी० एल० मेहरोत्रा (ओ०/208)	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	31-8-78	रक्षा लेखा नियंत्रक, (अन्य रैंक) उत्तर, मेरठ ।

1	2	3	4	5
	सर्वश्री			
47.	एन० आर० भारद्वाज (ओ०/217)	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	31-12-78	रक्षा लेखा नियंत्रक, मध्य कमान, मेरठ ।
48.	एम० के० कुमथेकर (ओ०/299)	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	31-12-78	रक्षा लेखा नियंत्रक, (अफसर) पूना ।
49.	जी० के० महिन्दर कर (ओ०/300)	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	31-8-78	रक्षा लेखा नियंत्रक, (अन्य रैंक) दक्षिण, मद्रास ।
50.	गोपाल चन्द वशिष्ठ . . (ओ०/अभी नियत नहीं)	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	31-10-78	रक्षा लेखा नियंत्रक, पश्चिमी कमान, मेरठ ।
51.	के० के० सचदेव, . . (ओ०/अभी नियत नहीं)	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	30-11-78	रक्षा लेखा नियंत्रक, (वायु सेना) देहरादून ।
52.	के० लक्ष्मी नारायणन, . . (ओ०/अभी नियत नहीं)	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	30-6-78	रक्षा लेखा नियंत्रक, (अन्य रैंक) दक्षिण, मद्रास ।
53.	वाई० आर० शैल्के, . . (ओ०/अभी नियत नहीं)	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	31-10-78	रक्षा लेखा नियंत्रक, (अन्य रैंक) दक्षिण, मद्रास ।
54.	आर० डी० भटनागर, . . (ओ०/अभी नियत नहीं)	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	31-7-78	रक्षा लेखा नियंत्रक, मध्य कमान, मेरठ ।
55.	के० वरदाराजन, . . (ओ०/अभी नियत नहीं)	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	31-12-78	रक्षा लेखा नियंत्रक, (नौ सेना) बम्बई ।

आर० वेंकट रत्नम,
रक्षा लेखा उप महा नियंत्रक (कार्मिक)

रक्षा मंत्रालय

महानिदेशालय, आर्डनेंस फैक्टरियां,

भारतीय आर्डनेंस फैक्टरी सेवा

कलकत्ता 16, दिनांक 5 अगस्त 1978

शुद्धिपत्र

सं० 34/जी०/78—गजट अधिसूचना सं० 57/जी०/76 दिनांक 28-7-1978 के क्रमसंख्या 7 के समक्ष, प्रविष्टियां निम्नलिखित रूप में बदल ली जाएं:—

नाम एवं पद	तारीख
7. श्री डी० के० सरकार, स्थायी उप-प्रबन्धक	12 फरवरी, 1976 (निकट आगामी नियम के अन्तर्गत)

वी० के० मेहता,
सहायक महानिदेशक, आर्डनेंस फैक्टरियां

केन्द्रीय सलाह सेवा और श्रम विज्ञान केन्द्र
महानिदेशालय

बम्बई-22, दिनांक 31 जुलाई, 1978

सं० 5/11/78-प्रशासन—महानिदेशक ने श्री यू० बी० परेलकर को स्थाई रूप से निरीक्षक (स्थापत्य) के पद पर इस कारखाना सलाह सेवा और श्रम विज्ञान केन्द्र में 15 अप्रैल, 1976 से नियुक्त किया है।

ए० के० चक्रवर्ती,
महानिदेशक

श्रम मंत्रालय

कोयला खान श्रमिक कल्याण संस्था

धनबाद, दिनांक 31 जुलाई, 1978

सं० पी० 8(25)/67—कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि नियमावली 1949 के नियम 5 के अन्तर्गत उप नियम (1) (ए) में दिए गए अधिकारों का प्रयोग कर, कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि सलाहकार समिति एतद्द्वारा श्री एस० राय, मुख्य लेखा नियंत्रक, पूर्वीय कोयला क्षेत्र लिमिटेड, सैनटोरिया, डिजरगढ़ को श्री बी० एल० वडेहरा के स्थान पर वित्तीय उप-समिति का सदस्य मनोनीत करती है जिसका गठन अधिसूचना सं०-पी० 8(25)67 दिनांक 23-12-75 में उल्लिखित है तथा कथित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

"क्रम संख्या 2-श्री बी० एल० वडेहरा, प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय कोयला क्षेत्र लिमिटेड, दरभंगा हाउस, रांची" के

स्थान पर क्रम संख्या-2 श्री एस० राय मुख्य लेखा नियंत्रक पूर्वीय कोयला क्षेत्र लिमिटेड सैनिटोरिया, डिजरगढ़, वर्दवान प्रतिस्थापित किया।

एच० एच० कुरैशी
अपर कोयला खान कल्याण आयुक्त
धनबाद

वाणिज्य मंत्रालय

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 जून 1978

आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण

स्थापना

सं० 6/1228/77-प्रशासन (राज०)/4422—मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात एतद्द्वारा श्री डी० के० भट्टाचार्य को जो पहले वाणिज्य मंत्रालय में विगत प्रदर्शनी निदेशालय एवं वाणिज्यिक प्रचार में सहायक निदेशक थे, दिनांक 17-3-1978 से अगला आदेश होने तक उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय, फरीदाबाद में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियंत्रक आयात-निर्यात के रूप में नियुक्त करते हैं।

नियंत्रक, आयात-निर्यात के रूप में श्री डी० के० भट्टाचार्य नियमानुसार, 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1200 रुपए के वेतनमान में वेतन प्राप्त करेंगे।

टी० टी० ला,
उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात,
कृते मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक विकास विभाग

वस्त्र आयुक्त का कार्यालय

बम्बई-20, दिनांक 3 अगस्त 1978

सं० सी० ई० आर०/3/78—सूतीवस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 1948 के खंड 22 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद्द्वारा वस्त्र आयुक्त की अधिसूचना सं० सी० ई० आर०/3/69 दिनांक 19 सितम्बर, 1969 में निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करता हूं अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में :—

पैराग्राफ 7 में मद (6) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(6) सूत में इस्तेमाल किए गए विभिन्न प्रकार तंतुओं में से प्रत्येक का वास्तविक प्रतिशत, उदाहरणार्थ :—

रूई 60 प्रतिशत

पोलिएस्टर फाइबर 40 प्रतिशत

और यदि किसी तंतु की प्रतिशत मात्रा सूत में लगे सभी सभा तंतुओं का सम्पूर्ण मात्रा के दो प्रतिशत से कम हो तो ऐसे तंतु की प्रतिशत मात्रा की मोहर लगाने की आवश्यकता नहीं।

टिप्पणी :—उपर्युक्त उदाहरण केवल निदर्शन के लिए हैं। विनिर्माता रूई के अंश या आर्ट सिल्क या ऊन के अंश की वास्तविक प्रतिशत मात्रा की मोहर लगायएगा जो संमिश्र सूत म इस्तेमाल किए गए तंतुओं की संपूर्ण मात्रा के भार के आधार पर, प्रतिशत के रूप में होगा। यदि आर्ट सिल्क का उपयोग संमिश्र सूत के एक संघटक के रूप में किया गया हो तो उसके प्रजाति नाम, जैसे नाइलोन, पोलिएस्टर एक्रिलिक, विस्कोज आदि, जो भी हो, की मोहर उपर्युक्त उदाहरण के अनुसार लगाई जाएगी।

सं० 10(1)/73-78/सी० एल० बी०-II—कपास नियंत्रण आदेश, 1955 के खंड 4ए में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद्द्वारा वस्त्र आयुक्त की अधिसूचना सं० 10(1)73-76-सी० एल० बी०-II—दिनांक 5 अगस्त 1976 को विखंडित करता हूं।

2. उक्त विखंडन के बावजूद भी विनिर्माता द्वारा रखी जा सकने वाली रूई का मात्रा का विनियमन वस्त्र आयुक्त की अधिसूचना सं० 10(1)/73-74/सी०एल० बी०-II दिनांक 19 दिसम्बर, 1974 द्वारा होता रहेगा।

सं० सी० एल० बी० 11/10(2)/77-78—कपास नियंत्रण आदेश, 1955 के खंड 14 ए तथा अन्य संबंधित उपबंधों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद्द्वारा वस्त्र आयुक्त की अधिसूचना सं० सी० एल० बी० 11/10(1)/73-76 दिनांक 11 अक्टूबर, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करता हूं, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में से निदेश सं० (1) निकाल दिया जाएगा।

गौरी शंकर भार्गव,
संयुक्त वस्त्र आयुक्त

पूर्ति विभाग

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय

(प्रशासन अनुभाग-1)

नई दिल्ली, दिनांक 5 अगस्त 1978

सं० प्र०-1/2(360)—राष्ट्रपति श्री एम० सुन्दररामन, जो पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली में 1 फरवरी, 1978 से तदर्थ आधार पर निदेशक (भारतीय पूर्ति सेवा, ग्रुप ए के ग्रेड 1) के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे थे को दिनांक 9 मार्च, 1978 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों के जारी होने तक पूर्ति तथा निपटान निदेशालय, मद्रास में निदेशक (भारतीय पूर्ति सेवा

ग्रुप ए के ग्रेड-1) के पद पर नियमित आधार पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते है।

सं० प्र०-1/2(360)—राष्ट्रपति, श्री एम० ए० बी० चुगताई जो पूर्ति तथा निपटान निदेशालय बम्बई में 1-7-77 से तदर्थ आधार पर निदेशक (भारतीय पूर्ति सेवा, ग्रुप ए० के ग्रेड-1) के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे थे को दिनांक 9-3-78 से आगामी आदेशों के जारी होने तक उसी निदेशालय, बम्बई में निदेशक (भारतीय पूर्ति सेवा, ग्रुप ए के ग्रेड-1 में) के पद पर स्थानापन्न रूप से नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

सं० प्र०-1/1(836)—राष्ट्रपति, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली में सहायक निदेशक (ग्रेड-1) भारतीय पूर्ति सेवा, ग्रुप ए के ग्रेड-III) श्री एस० फारूख हमीद को दिनांक 17 जुलाई, 1978 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों के जारी होने तक इसी महानिदेशालय, नई दिल्ली, में स्थानापन्न रूप से तदर्थ आधार पर उप निदेशक पूर्ति (भारतीय पूर्ति सेवा, ग्रुप ए के ग्रेड-II) के रूप म नियुक्त करते हैं।

सूर्य प्रकाश,
[उप निदेशक (प्रशासन)
कृते महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

फिल्म प्रभाग

बम्बई-26, दिनांक 4 अगस्त 1978

सं० 6/85/54-सिबन्दी-I—फिल्म प्रभाग के प्रमुख निर्माता ने श्री एम० एस० विनोद बाबू फिल्म प्रभाग बम्बई के स्थानापन्न विक्रेता को दिनांक 31-7-1978 के पूर्वाह्न से फिल्म प्रभाग बम्बई के वितरण विभाग में स्थानापन्न शाखा प्रबन्धक के पद पर नियुक्त किया है।

एम० चन्द्रन नायरी
प्रशासकीय अधिकारी
कृते प्रमुख निर्माता

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 4 अगस्त 1978

सं० ए०-20012/4/71-प्र० (ए०)—विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशक, श्री जी० सी० बनिक को जौरहाट स्थित क्षेत्रीय प्रदर्शनी कार्यालय में 15-7-78 (अपराह्न) से अगले आदेश तक स्थानापन्न क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर० देवासर
उप निदेशक (प्रशासन)
कृते विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशक

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 अगस्त 1978

सं० ए० 12026/6/77-औ० नि०—राष्ट्रपति, केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कलकत्ता के जीव रसायन बिज्ञानी डा० एस० सी० शर्मा को 1 जुलाई, 1978 की पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उसी प्रयोगशाला में उप-निदेशक के पद पर नियुक्त करते है।

डा० एस० सी० शर्मा ने उसी दिन से केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला के जीव रसायन विज्ञानी के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

संगत सिंह
उप-निदेशक प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक 5 अगस्त 1978

सं० 12025/15/77-प्रशासन-I—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने डा० कुलदीप कौशिक को 16 मार्च, 1978 पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, इलाहाबाद में दन्त-शल्य चिकित्सक के पद पर स्थानापन्न आधार पर नियुक्त किया है।

शामलाल कुठियाला
उप निदेशक प्रशासन

भारतीय डाक-तार विभाग

मद्रास, दिनांक 2 अगस्त 1978

सं० ए० एस० टी०/ए० ई०-5/IV/—महाप्रबन्धक, मद्रास टेलीफोन जिला, निम्नलिखित कनिष्ठ इंजीनियरों को उनके नाम के आगे उल्लिखित अवधि के लिए, स्थानीय प्रबन्ध के रूप में, सहायक इंजीनियर नियुक्त करते हैं:—

क्र० सं०	नाम	पदोन्नति की तारीख	पूर्व पद पर परावर्तन की तारीख
1	2	3	4
	सर्वश्री		
1.	के० जी० सुन्दरेसन	10-2-78 पूर्वाह्न	30-3-78 अपराह्न
2.	बी० एस० नागराजन	10-2-78 पूर्वाह्न	30-3-78 अपराह्न
3.	आर० संपत	13-3-78 अपराह्न	30-4-78 पूर्वाह्न
4.	एम० ई० जयबालन	10-4-78 अपराह्न	27-5-78 पूर्वाह्न
5.	एम० ई० लक्ष्मणन	13-4-78 अपराह्न	1-6-78 अपराह्न

1	2	3	4
6.	ई० वी० नटेसन	22-4-78 अपराह्न	6-6-78 पूर्वाह्न
7.	एन० एम० कन्दस्वामी	22-4-78 अपराह्न	6-6-78 पूर्वाह्न
8.	आर० पुष्पनादन	1-5-78 अपराह्न	—
9.	आर० अप्पादुरै	1-5-78 अपराह्न	—
10.	एस० अरुलानन्दम	1-5-78 अपराह्न	—
11.	के० एस० राम मूर्ति	15-5-78 अपराह्न	—
12.	एन० वी० वरदराजुलु चेट्टी	15-5-78 अपराह्न	—
13.	डी० निरुवट्टीश्वरन	23-5-78 अपराह्न	20-6-78
14.	आर० संकरन	23-5-78	—
15.	एस० वी० सुब्रमणियन	5-6-78	—
16.	एन० संपत	12-6-78 अपराह्न	—
17.	बी० षण्मुगम	21-6-78 अपराह्न	—
18.	एन० पलनिस्वामी	21-6-78 अपराह्न	19-7-78 अपराह्न
19.	एस० रामस्वामी	26-6-78 अपराह्न	15-7-78 अपराह्न
20.	एन० दासु	20-6-78 अपराह्न	—
21.	आर० जानकीरमन	24-6-78 अपराह्न	17-7-78 अपराह्न

ह० अपठनीय
सहायक महाप्रबन्धक (प्रशासन)

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

विस्तार निदेशालय

कृषि विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 1978

सं० 2-11/77-स्था०-I—सहायक प्रदर्शनी अधिकारी कोटि प्रथम के पद पर श्री एन० शिवारामा कृष्णन् की तदर्थ नियुक्ति दिनांक 28 फरवरी, 1978 से आगे 26 जुलाई, 1978 तक बनी रही।

इन्द्रजीत कपूर,
निदेशक प्रशासन

ग्रामीण विकास विभाग

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय

प्रधान कार्यालय

फरीदाबाद, दिनांक 2 अगस्त 1978

सं० ए० 19023/6/78-प्र० III—इस निदेशालय में विपणन अधिकारी के पद से श्री एस० एस० इरापती द्वारा प्रस्तुत त्यागपत्र को दिनांक 26-9-77 (अपराह्न) से स्वीकृत किया जाता है।

जे० एस० उप्पल,
कृषि विपणन सलाहकार

फरीदाबाद, दिनांक 4 अगस्त 1978

सं० प्रशा० 19024/9/78-प्र० III—श्री ए० ए० एस० प्रकाशा राव, वरिष्ठ रसायनज्ञ को कोचीन में दिनांक 10 जुलाई, 1978 (पूर्वाह्न) से पूर्णतया अल्पकालीन आधार पर तीन माह से अधिक की अवधि के लिए नहीं या जब तक नियमित प्रबंध किए जाते हैं, दोनों में से जो भी पहले घटित हो, स्थानापन्न मुख्य रसायनज्ञ के रूप में नियुक्त किया जाता है ।

सं० प्रशा० 19025/21/78-प्र०III—श्री टी० जी० साहनी, सहायक विपणन अधिकारी (अस्थाई) (जो निलम्बित है) को केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के अनुसार दिनांक 1 जुलाई, 1978 (पूर्वाह्न) से सरकारी सेवा से हटाया गया है।

दिनांक 5 अगस्त 1978

सं० प्रशा० 19023/59/78-प्र० III—श्री के० एस० निशाल, सहायक विपणन अधिकारी को नई दिल्ली में दिनांक 3 जुलाई, 1978 (पूर्वाह्न) से पूर्णतया अल्पकालीन आधार पर तीन माह की अवधि के लिए या जब तक नियमित प्रबन्ध किए जाते हैं, दोनों में जो भी पहले घटित हो, स्थानापन्न रूप में विपणन अधिकारी (वर्ग-II), नियुक्त किया जाता है ।

2. विपणन अधिकारी के रूप में पदोन्नति होने पर श्री निशाल ने दिनांक 3 जुलाई, 1978 के पूर्वाह्न में सहायक विपणन अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

सं० प्रशा० 19023/66/78-प्र० III—संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुतियों के अनुसार श्री के० के० नम्बियार को विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद में दिनांक

31 जुलाई, 1978 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक स्थानापन्न रूप में विपणन अधिकारी (वर्ग-I), नियुक्त किया जाता है ।

बी० एस० मनिहार,
निदेशक, प्रशासन
कृते कृषि विपणन सलाहकार

वन साधनों का निवेश पूर्व सर्वेक्षण

देहरादून-248001, दिनांक 5 अगस्त 1978

सं० 6-1/78-प्र०—अण्डेमान और निकोबार शासन के श्री वी० के० वासु जो कि वन साधनों का निवेश पूर्व सर्वेक्षण, कलकत्ता जो कि इस संस्था की एक ईकाई है, में सहायक वन संरक्षक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे थे, 27 मई, 1978 के अपराह्न को संबंधित पद का कार्यभार छोड़ दिया । श्री वासू की सेवाएं 29-5-78 से 19-7-78 तक अवकाश की समाप्ति पर, अंडमान निकोबार शासन को पुनः सौंप दी गई है।

सी० एल० भाटिया,
मुख्य समन्वयक

परमाणु ऊर्जा विभाग

नरोरा, दिनांक 18 जुलाई 1978

सं० एनएपीपी/प्रशासन/ 1 (18) / 78/एस०—मुख्य परियोजना अभियन्ता, नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना ने, इस कार्यालय के स्थानापन्न सहायक कार्मिक अधिकारी श्री पी० वेणुगोपालन की, 24 मई, 1978 के पर्वाह्न से 17 जुलाई, 78 के अपराह्न तक के लिए, उसी परियोजना में प्रशासनिक अधिकारी-II के पद पर 840-40-1000-द० रो० 40-1200 रुपए के वेतनमान मे तदर्थ आधार पर की गई नियुक्ति को मंजूरी दे दी है । यह नियक्ति श्री आर० पी० हरन, प्रशासनिक अधिकारी-II के स्थान पर की गई है जिनका तबादला परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रान कलकत्ता को हो गया है और जो वहां प्रशासनिक अधिकारी-III के पद पर तैनात किए गए हैं।

जी० जी० कुलकर्णी,
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी

नरोरा, दिनांक 22 जुलाई 1978

सं० एनएपीपी/प्रशा० 1(81)/78-एस०/7593—विद्युत परियोजना इंजीनियरी प्रभाग पूल के स्थायी ड्राफ्ट्समैन "सी" और नरौरा परमाणु विद्युत परियोजना के स्थानापन्न वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड एसबी श्री ताजमोहम्मद ने अपने त्यागपत्र के फलस्वरूप 23 जून, 1978 के अपराह्न में अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया।

एस० कृष्णन,
प्रशासनिक अधिकारी

क्रय और भण्डार निदेशालय

बम्बई-400001, दिनांक अगस्त 1978

सं० क्र० भ० नि०/23/8/77-संस्थापन/20690—निदेशक, क्रय और भण्डार, परमाणु ऊर्जा विभाग, निम्नलिखत व्यक्तियों को सहायक लेखा अधिकारी पद पर प्रभारी रूप से कार्य करने हेतु, रु० 650-30-740-35-880 द० रो०-40-960 के वेतन क्रम में तदर्थ रूप से उनके सामने दिखाए गए समय तक इसी निदेशालय में नियुक्त करते हैं ।

1. श्री जे० जी० साठे, सहायक लेखाकार	17-3-78 से 9-6-78 तक
2. श्री ए० एम० परुलकर, सहायक लेखाकार	27-4-78 से 3-6-78 तक
3. श्री ए० मैस्करैन्स, सहायक लेखाकार	8-5-78 से 9-6-78 तक
4. श्री वी० जी० पिम्पलखरे, सहायक लेखाकार	10-5-78 से 9-6-78 तक
5. श्री दर्शन सिंह, प्रभागीय लेखाकार	15-5-78 से 23-6-78 तक

बी० जी० कुलकर्णी,
सहायक कार्मिक अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद-500762, दिनांक 5 अगस्त 1978

आदेश

सं० नाईस/प्रशा-5/20/1215—जब कि यह आरोपित है कि—

श्री एम० कनकाराजू, वैट क्लीनर, एम० ई० एस० के रूप में कार्य करते हुए ड्यूटी से बिना इजाजत के गैर हाजिर रहने की आदत के कारण कार्य का नुकसान करते रहे हैं । उक्त श्री कनकाराजू 1974 में 10 अवसरों 1975 में 10 तथा 1976 में बिना किसी वाजिब कारण के 5 अवसरों पर अनुपस्थित रहे हैं ।

उक्त श्री कनकाराजू 30-11-1976 से ड्यूटी से गैर कानूनी ढंग से निरंतर गैर हाजिर है ।

अपने उक्त आचरण के कारण उक्त श्री कनकाराजू ने ड्यूटी से गैर कानूनी ढंग से गैर हाजिर रह कर ना० ई० स० के स्थायी आदेशों के पैरा 34 तथा 39(5) के अनुसार आदतन गैर हाजिरी की एक बुरी हरकत की है।

और जबकि उक्त श्री कनकाराजू को उनके विरुद्ध लगाये गए आरोपों की सूचना ज्ञापन सं० नाईस/प्रशा-5/20/3376 दिनांक 14-11-1977 के द्वारा भेजी गई जिसमें उन्हें उक्त ज्ञापन मिलने की तारीख से 7 दिनों के भीतर प्रस्तावित कार्यवाही के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया गया था,

और जब कि उक्त ज्ञापन डाक विभाग द्वारा टिप्पणी "आसामी बिना बताए शहर से बाहर है" के साथ बिना वितरित किए वापिस लौटा दिया,

और जब कि ना० ई० स० के स्थायी आदेशों के पैरा 41 2( ) की जरूरतों के मुताबिक जांच आयोजित करने के लिए आदेश सं० नाईस/प्रशा-5/20/49 व 50 दिनांक 6-1-1978 के द्वारा एक जांच समिति का गठन किया गया,

और जब कि जांच अधिकारी द्वारा 9-1-1978 को श्री कनकाराजू को प्रेषित सूचना कि 20-1-1978 के दिन वे जांच कार्यवाही के समय उपस्थित रहें, डाक विभाग द्वारा टिप्पणी "आसामी बिना बताए इस पते से चला गया है" के साथ बिना वितरित किए ही लौटा दी गई,

और जब कि उक्त श्री कनकाराजू जांच के समय उपस्थित नही हुए,

और जब कि जांच कार्यवाही एक तरफा पूरी हुई,

और जब कि जांच अधिकारी ने उक्त श्री कनकाराजू के विरुद्ध आरोपों को सिद्ध करते हुए 20-1-1978 को जांच रपट दाखिल की,

और जब कि निम्न हस्ताक्षरकर्ता जांच रपट तथा बुरी हरकत की गम्भीरता पर विचार करने के पश्चात् इस अनंतिम निर्णय पर पहुंचे कि उक्त श्री कनकाराजू सेवा मे कायम रहने लायक व्यक्ति नही है तथा उन्हे सेवा से अलग कर दिया जाना चाहिए,

और जब कि उक्त श्री कनकाराजू को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजे गए ज्ञापन सं० नाईस/प्रशा-5/20/239 दिनांक 30-1-1978 में अनन्तिम निर्णय की सूचना दी गई तथा सेवा से अलग किये जाने की सजा दिए जाने के विरुद्ध, उक्त ज्ञापन मिलने के 10 दिनों के भीतर प्रतिनिधित्व का मौका दिया गया था,

और जब कि दिनांक 30-1-1978 का उक्त ज्ञापन 10-2-78 को प्राप्त होने की सूचना उक्त श्री कनकाराजू ने दी,

और जब कि उक्त श्री कनकाराजू उन्हें सेवा से अलग करने की प्रस्तावित सजा के विरुद्ध प्रतिनिधित्व करने मे असफल रहे,

और जब कि निम्न हस्ताक्षरकर्ता इस अंतिम निर्णय पर पहुंचे कि उक्त श्री कनकाराजू पर सेवा से अलग करने की सजा आरोपित की जानी चाहिए,

अब, इसीलिए, निम्न हस्ताक्षरकर्ता, ना० ई० स० के स्थायी आदेशों के पैरा 43 के साथ परमाणु ऊर्जा विभाग के आदेश सं० 28(1)/68-प्रशा० दिनांक 3-12-1970 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इसके द्वारा उक्त श्री कनकाराजू को तत्काल प्रभाव से सेवा से अलग करते हैं।

पी० उन्निकृष्णन,
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 जुलाई 1978

सं० ए-32013/4/78-ई०ए०—राष्ट्रपति ने श्री एस० सी० जोशी, विमानक्षेत्र अधिकारी को श्री एन० के० त्रिपाठी, जिन्हें छुट्टी मंजूर की गई है के स्थान पर दिनांक 19-6-78 से 17-8-78 तक की अवधि के लिए मुख्यालय में तदर्थ आधार पर वरिष्ठ विमान-क्षेत्र अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

दिनांक 1 अगस्त 1978

सं० ए-32013/5/77-ई०ए०—राष्ट्रपति ने श्री चानन सिंह, विमानक्षेत्र अधिकारी को दिनांक 24 जुलाई, 1978 से और अन्य आदेश होने तक नागर विमानन विभाग के विमानमार्ग तथा विमान क्षेत्र संगठन मे वरिष्ठ विमानक्षेत्र अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। श्री चानन सिंह को सिविल विमानक्षेत्र अगरतला में तैनात किया जाता है।

विश्व विनोद जौहरी,
सहायक निदेशक प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक 8 अगस्त 1978

सं० ए० 19014/147/72-ई-1—श्री एस० दयाल, तकनीकी अधिकारी विमान सुरक्षा नागर विमानन विभाग, नई दिल्ली का 9 जून, 1978 को सरकारी सेवारत होते हुए निधन हो गया है।

सं० ए-32013/10/77-ई-1—संघ लोक सेवा आयोग की सहमति से महानिदेशक नागर विमानन ने इस विभाग के श्री एस० के० चक्रवर्ती स्थानापन्न वरिष्ठ पुस्तकाध्यक्ष (स्थायी पुस्तकाध्यक्ष) को इस विभाग में दिनांक 14-6-1978 से 31-10-78 तक की अवधि के लिए रु० 650—30—740—35—810—द० रो०—35—880—40—1000—द० रो०—40—1200 के वेतनमान में मुख्य पुस्तकाध्यक्ष (ग्रुप 'ख' राजपत्रित) के पद पर नियुक्त किया है। यह इस विभाग की दिनांक 14-12-1977 की अधिसूचना सं० ए-32013/10/77-ई(1) के क्रम में जारी की जाती है।

प्रेम चन्द जैन,
सहायक निदेशक प्रशासन

ऊर्जा मंत्रालय

(विद्युत विभाग)

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

तापीय विद्युत केन्द्र कार्मिक प्रशिक्षण संस्थान

नई दिल्ली-110044, दिनांक 27 जून 1978

आपन

सं० स्था/36/ताविककाप्रस/78/81-88—मैं केन्द्रीय सिविल सेवाएं (अस्थायी सेवाएं) नियमावली, 1965 के नियम 5 के उप नियम (1) के परन्तुक की अनुपालना में एतद्द्वारा इस संस्थान के सफाईवाला, श्री गोविंद राम की सेवाओं को तत्काल समाप्त करता हूँ और निदेश देता हूं कि (नोटिस अवधि के बदले में) उन्हें उनके एक महीने के वेतन तथा भत्तों के बराबर रकम की अदायगी कर दी जाए जिनकी गणना इस नोटिस के उनको मिलने अथवा उनको दिये जाने की तारीख से तुरन्त पहले उनको दिए जा रहे वेतन और भत्तों की दर के अनुसार की जाए ।

जे० के० भसीन, निदेशक

केन्द्रीय जल आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 1978

सं० ए-19012/688/78-प्रशा० पांच—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, श्री मोहन ए० केतकर को केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे में सहायक अनुसंधान अधिकारी (इंजीनियरिंग-दूर संचार) के पद पर रु० 650–30–740–35–810–द० रो०–35–880–40–1000–द० रो०–1200 के वेतनमान में 29 जून, 1978 की पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं ।

2 श्री केतकर 29/6/78 से दो वर्ष पर्यन्त परिवीक्षा पर रहेंगे ।

सं० ए-32014/1/77-प्रशा० पांच (खण्ड-II)—विभागीय पदोन्नति समिति (ग्रुप-बी) की सिफारिश पर अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, निम्नलिखित अधिकारियों को, जो इस समय केन्द्रीय जल आयोग में अतिरिक्त सहायक निदेशक/सहायक अभियंता के रूप में सदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहे हैं, उसी श्रेणी में नियमित आधार पर रु० 650–30–740–35–810–द० रो० –35–880–40–1000–द० रो०–40–1200 के वेतनमान में प्रत्येक के सामने दिखाई गई तारीखों से नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	नियमित नियुक्ति की तारीख
1.	श्री जी० रंगा राव	2-11-77 (पूर्वाह्न)
2.	श्री मोहन कुमार	30-6-78 (पूर्वाह्न)

2. उपरोक्त अधिकारी अतिरिक्त सहायक निदेशक/सहायक अभियंता के पद पर उनके सामने दिखाई गई तारीखों से दो वर्ष पर्यन्त परिवीक्षा पर रहेंगे ।

सं० ए-32014/1/77-प्रशा०-पांच (खण्ड-II)—विभागीय पदोन्नति समिति (ग्रुप-बी) की सिफारिश पर अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, श्री कैलाश चन्द्र पर्यवेक्षक को, जिन्होंने चुखा हाईडिल परियोजना, भूटान में संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति/बाहरी सेवा में रहते हुए 'आसन्न कनिष्ठ नियम' की सभी शर्तें पूरी की हैं, अनुपस्थिति में, स्थानापन्न रूप में अतिरिक्त सहायक निदेशक/सहायक अभियन्ता की श्रेणी में रु० 650–30–740–35–810–द० रो० –35–880–40–1000–द० रो०–40–1200 के वेतनमान में 30 जून, 1978 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं ।

2. श्री कैलाश चन्द्र बाहरी सेवा से वापस लौटने पर केन्द्रीय जल आयोग में अतिरिक्त सहायक निदेशक/सहायक अभियंता के पद का कार्य-भार सम्भालने की तारीख से दो वर्ष पर्यन्त परिवीक्षा पर रहेंगे ।

दिनांक 4 अगस्त 1978

सं० क-19012/731/78-प्रशा०-पांच—अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, श्री एन० एम० महाजन, अनुसंधान सहायक, को केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे में सहायक अनुसंधान अधिकारी (भौतिकी) के पद पर रु० 650–30–740–35–810–द० रो०–35–880–40–1000–द० रो०–40–1200 के वेतनमान में पूर्णतया अस्थायी एवं तदर्थ आधार पर 12 जुलाई, 1978 की पूर्वाह्न से 30 सितम्बर, 1978 तक अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं ।

सं० क-19012/732/78-प्रशा०-पांच—अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, एम० जी० काम्बले, अनुसंधान सहायक, को केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनसंधान शाला, पूणे में सहायक अनुसंधान अधिकारी (भौतिकी) के पद पर रु० 650–30–740–35–810–द० रो०–35–880–40–1000–द० रो०–40–1200 के वेतनमान में पूर्णतया अस्थायी एवं तदर्थ आधार पर 12 जुलाई, 1978 की पूर्वाह्न से 30 सितम्बर, 1978 तक अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं ।

जे० के० साहा, अवर सचिव

केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड

फरीदाबाद, दिनांक 2 अगस्त 1978

सं० 3-538/78-ई (ई)—श्री आर० एम० अन्सारी को दिनांक 28-7-78 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड, फरीदाबाद में भंडार अधिकारी सामान्य सिविल सेवा श्रेणी 'बी' (राजपत्रित) वेतनमान रु० 650–30–740–35–810–द० रो०–35–880–40–1000–द० रो०–40–1200 में अस्थाई तौर पर नियुक्त किया जाता है ।

अजीत सिंह

मुख्य अभियन्ता एवम सदस्य

निर्माण महानिदेशालय

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 4 अगस्त 1978

सं० 23/2/77-ई सी II—केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के निम्नलिखित अधिकारी वार्धक्य की आयु प्राप्त करने पर, सरकारी सेवा से दिनांक 31 जलाई, 1978 (दोपहर बाद से) को सेवानिवृत्त हो गए :

नाम	वर्तमान पदनाम
1. श्री डी० पटवारी	कार्यपालक इंजीनियर 'डी' मंडल, के लो नि वि, नई दिल्ली
2. श्री रणबीर सिंह	कार्यपालक इंजीनियर, लोनिवि मंडल-10 (दिल्ली प्रशासन), नई दिल्ली
3. श्री के० रामचन्द्रन	कार्यपालक इंजीनियर, मद्रास केन्द्रीय मंडल सं० 1, के लो नि वि, मद्रास

सु० सू० प्रकाश राव
प्रशासन उपनिदेशक

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

नई दिल्ली-110022, दिनांक 28 जुलाई 1978

सं० 6/6/78-प्र० 2/अध्यक्ष—केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण एतत्द्वारा निम्नलिखित पर्यवेक्षकों को केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (श्रेणी-2) सेवा में अतिरिक्त सहायक निदेशक/सहायक अभियंता के ग्रेड में उनके नामों के सामने दी गई तिथियों से अन्य आदेश होने तक स्थानापन्न तौर पर नियुक्त करते है :—

1. श्री एस० के० अग्रवाल	31-3-78 (अपराह्न)
2. श्री जी० एस० के० नायर	21-3-78 (अपराह्न)
3. श्री ए० के० डुडेजा	21-3-78 (अपराह्न)
4. श्री कुलदीप सिंह-I	31-3-78 (अपराह्न)

संतोष विश्वास,
अवर सचिव

सवारी डिब्बा कारखाना

महाप्रबंधक का कार्यालय

कार्मिक शाखा/शेल

मद्रास-38, दिनांक 3 जुलाई 1978

सं० पी० बी० / जी० जी० / 9/ विविध—श्री जे० एस० रुक्मांगदन (भ० नि० सं० 48546), स्थानापन्न मुख्य अभिकल्प सहायक/ बिजली (श्रेणी III) को 3-4-78 से सहायक बिजली इंजीनियर/ अभिकल्प/ महानगर (श्रेणी II) के रूप में स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया गया।

श्री जी० राजामणि (भ० नि० सं० 48422), स्थानापन्न सहायक कर्मशाला प्रबंधक/ बिजली (श्रेणी II) को 16-1-1978 से वेतन मान रु० 650-1200 (सं० वे०) में श्रेणी II में स्थाई बनाया गया।

श्री एम० सुब्बा राव (अ० जा०) (भ० नि० सं० 48420) स्थानापन्न शाप अधीक्षक/ बिजली/ शाप-29 (श्रेणी III) को 26-4-78 से सहायक कर्मशाला प्रबंधक/ बिजली (श्रेणी II) के रूप में स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया गया।

श्री टी० ए० रामचन्द्रन (भ० नि० सं० 20101), स्थानापन्न वरिष्ठ बिजली इंजीनियर/ अनुरक्षण (व० वे०) को 26-4-78 से उप मख्य कार्मिक अधिकारी (क० प्र०) के रूप में स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया गया।

श्री जी० राजामणि, सहायक बिजली इंजीनियर/ निरीक्षण (श्रेणी II) को, 28-4-78 से 10-6-1978 तक कर्मशाला प्रबंधक/ बिजली (व० वे०) के रूप में स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया गया।

श्री एन० वेलप्पन पिल्ले (भ० नि० सं० 27181), स्थानापन्न शाप अधीक्षक, शाप-22 (श्रेणी III) को 29-4-78 के अपराह्न से सहायक उत्पादन इंजीनियर/ उत्पादन नियंत्रण/ शेल (श्रेणी II) के रूप में स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया गया।

श्री सी० ए० कृष्णमूर्ति (भ० नि० सं० 40038), स्थानापन्न उप भंडार नियंत्रक (क० प्र०) को रेलवे बोर्ड में संयुक्त निदेशक, रेलवे भंडार (खरीद) के रूप में हुए अपने स्थानांतरण के आदेश का पालन करने के लिये 2-5-78 के अपराह्न को इस प्रशासन से भारमुक्त किया गया।

श्री आर० सुदंरम (भ० नि० सं० 22510), अनुभाग अधिकारी (श्रेणी III), वि० सं० और मु० ले० अ० का कार्यालय, को 3-5-78 से सहायक लेखा अधिकारी/ लागत/ शेल (श्रेणी II) के रूप में स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया गया ।

श्री एस० अशोक (भ० नि० सं० 48396), स्थानापन्न मुख्य अभिकल्प सहायक / बिजली (श्रेणी III) को 4-5-78 से सहायक बिजली इंजीनियर/ सामग्री योजना (श्रेणी II) (तदर्थ) के रूप में स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया गया।

श्री सैयद नियमतुल्ला (भ० नि० सं० 21463), स्थानापन्न सहायक कर्मशाला प्रबंधक/ असेंब्ली / फर० (श्रेणी II) को वरिष्ठ वेतनमान में स्थानापन्न रूप से पदोन्नत करके 11-5-78 से 13-6-78 तक स्थानापन्न कर्मशाला प्रबंधक/ ए०-आई० आई०/ शेल (व० वे०) के रूप में तैनात किया गया।

श्री एन० सी० रामकृष्णन (भ० नि० सं० 42469), स्थानापन्न शाप अधीक्षक/ शाप-16 (श्रेणी III) को 11-5-78 से सहायक उत्पादन इंजीनियर/ प्रगति/ शेल (श्रेणी II) के रूप में स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया गया।

श्री एम० एन० कृष्णमूर्ति (भ० नि० सं० 22509), स्थानापन्न सहायक लेखा अधिकारी / फर्निशिंग (श्रेणी II) को 15-5-78 से वरिष्ठ लेखा अधिकारी / शेल (व० वे०) के रूप में स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया गया।

श्री जे० राजन (अ० जा०) (भ० नि० सं० 44166), अनुभाग अधिकारी / भंडार/लेखा (श्रेणी III) को 15-5-78 से सहायक लेखा अधिकारी / फर्निशिंग (श्रेणी II) के रूप में स्थानापन्न रूप से तैनात किया गया।

श्री एस० जगदीशन (भ० नि० सं० 48397), स्थानापन्न सहायक शाप अधीक्षक/शाप-45 (श्रेणी III) को 12-5-78 से सहायक बिजली इंजीनियर / निरीक्षण (श्रेणी II) (तदर्थ) के रूप में स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया गया।

श्री टी० आर० नटराजन, स्थानापन्न उप भंडार नियंत्रक, (क० प्र०) ने डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी, से स्थानान्तरित होकर इस प्रशासन में भर्ती रिपोर्ट पेश की और उन्हें 17-5-78 को उप भंडार नियंत्रक के रूप में तैनात किया गया।

श्री के० के० वर्गीज (भ० नि० सं० 21488), स्थानापन्न शाप अधीक्षक / शाप-30 (श्रेणी III) को 25-5-78 से सहायक कर्मशाला प्रबंधक/ विनिर्माण / फर्निशिंग (श्रेणी II) के रूप में स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया गया।

श्री के० एस० दस्तगीर (भ० नि० सं० 40049), स्थानापन्न कार्यपालक इंजीनियर (व० वे०) को 27-5-78 से स्थानापन्न उप मुख्य इंजीनियर (क०प्र०) के रूप में स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया गया।

श्री वी० आर० रामनाथन (भ० नि० सं० 20202), महाप्रबंधक के स्थानापन्न सचिव (व० वे०) को, जिनका इस प्रशासन के आई० आर० एस० एस० संवर्ग के कनिष्ठ वेतनमान में धारणाधिकार (लीन) है, 6-6-78 से वरिष्ठ वेतनमान में, स्थाई बनाया गया।

श्री एस० चिदंबरम (भ० नि० सं० 48010), स्थानापन्न वरिष्ठ बिजली इंजीनियर/अनुरक्षण (व० वे०) (तदर्थ) को श्रेणी II सेवा में परावर्तित करके 10-6-78 से सहायक बिजली इंजीनियर/ निर्माण (श्रेणी II) के रूप में तैनात किया गया।

श्री एस० मस्तान (अ०जा०) /(भ० नि० सं० 57740), स्थानापन्न शाप अधीक्षक /निरीक्षण / बिजली (श्रेणी III) को 13-6-78 से सहायक बिजली इंजीनियर/ संपर्क -II (श्रेणी II) (तदर्थ) के रूप में स्थानापन्न रूप से पदोन्नति किया गया।

श्री बी० महादेवन (भ० नि० सं० 48407), स्थानापन्न शाप अधीक्षक / उ० नि० बिजली (श्रेणी III) को 15-6-78 से सहायक बिजली इंजीनियर/ निरीक्षण (श्रेणी II) (तदर्थ) के रूप में स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया गया।

श्री आर० विनायकमूर्ति (भ० नि० सं० 20937), को जो आई० आर० एस० एम० ई० के० अधिकारी है। 12-6-78 से वरिष्ठ वेतनमान में स्थाई बनाया गया।

श्री वी० नारायणस्वामी (भ० नि० सं० 22121), स्थानापन्न उत्पादन इंजीनियर/ प्रगति/ फर्निशिंग 30-6-78 को सेवा निवृत्त हो गये।

श्री बी० एफ० मेशराम (अ० जा०) (भ० नि० सं० 42441), स्थानापन्न शाप अधीक्षक, शाप-42 (श्रेणी III) को 6-7-78 से सहायक यांत्रिक इंजीनियर/ डी० पी० डी० (श्रेणी II) के रूप में स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया गया

एस० वेंकटरामन
उप मुख्य कार्मिक अधिकारी
कृते महाप्रबंधक

चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना

चित्तरंजन, दिनाक 3 अगस्त 1978

सं० जी० एम० ए०/ जी० एस० / 8 (मेड) —इस प्रशासन के निम्नलिखित डाक्टर को चित्तरंजन रेलइंजन कारखाना के चिकित्सा विभाग के संवर्ग में प्रथम श्रेणी की सेवा में सहायक जिला चिकित्सा अधिकारी के पद पर तारीख 01-10-1973 (पूर्वाह्न) से स्थायी किया जाता है।

क्रम सं०	डाक्टर का नाम	पद जिस पर स्थायी किया गया है
1	2	3
1.	डा० एस० के० चटर्जी	सहायक जिला चिकित्सा अधिकारी (अन्तरंग)।
2.	डा० असित कुमार बनर्जी	सहायक जिला चिकित्सा अधिकारी (पैथोलोजी)।
3.	डा० ए० बी० राय	सहायक जिला चिकित्सा अधिकारी (अन्तरंग)।
4.	डा० एम० सी० सरकार	सहायक जिला चिकित्सा अधिकारी (अन्तरंग)।
5.	डा० एस० के० दास	सहायक जिला चिकित्सा अधिकारी (बहिरंग)।
6.	डा० एच० बी० तपादार	सहायक जिला चिकित्सा अधिकारी (वक्षनिदानशाला)।
7.	डा० ए० मैत्र	सहायक जिला चिकित्सा अधिकारी (जन स्वास्थ्य)
8.	डा० एस० भट्टाचार्य	सहायक चिकित्सा जिला अधिकारी (बहिरंग)।
9.	डा० अजित कुमार कारी बनर्जी	सहायक जिला चिकित्सा अधिकारी (बहिरंग)।

1	2	3
10.	डा० के० पी० विश्वास	सहायक जिला चिकित्सा अधिकारी (एनेस्थीसिओलाजी) ।
11.	डा० डी० बी० सेन	सहायक जिला चिकित्सा अधिकारी (अन्तरंग) ।
12.	डा० ए० एम० विश्वास	सहायक जिला चिकित्सा अधिकारी (अन्तरंग) ।
13.	डा० (कुमारी) पी० मुत्सुद्दी	सहायक जिला चिकित्सा अधिकारी (अन्तरंग) ।

के० रमन
महाप्रबन्धक

उत्तर रेलवे

नई दिल्ली, दिनांक 2 अगस्त 1978

सं० 28—उत्तर रेलवे के निम्नलिखित अधिकारी, प्रत्येक के सामने लिखी तारीख से अन्तिम रूप से, रेल सेवा से निवृत्त हो गये हैं :—

1.	श्री जे० बी० शर्मा, सहायक कार्मिक अधिकारी	31-8-76 अपराह्न
2.	श्री टी० पी० कपूर, उप मुख्य कार्मिक अधिकारी.	30-6-77 अपराह्न
3.	श्री एस० सी० मुखर्जी, सहायक कार्मिक अधिकारी	30-6-77 अपराह्न
4.	श्री बी० डी० वशिष्ठ, सहायक कार्मिक अधिकारी	30-6-77 अपराह्न
5.	श्री ए० सी० जैन, सहायक कार्मिक अधिकारी	30-9-77 अपराह्न
6.	श्री बी० एल० मधोक, मन्डल कार्मिक अधिकारी	28-2-78 अपराह्न

सं० 29—उत्तर रेलवे के निम्नलिखित अधिकारी प्रत्येक के सामने लिखी तारीख से अन्तिम रूप से रेल सेवा में निवृत्त हो गये हैं :—

1.	श्री आर० एन० निगम, सहायक सतर्कता अधिकारी	28-2-77 अपराह्न
2.	श्री आर० के० बहादुर विधी अधिकारी	31-7-77 अपराह्न
3.	श्री ओ० पी० चोपड़ा, वरिष्ठ उपमहाप्रबन्धक	31-8-77 अपराह्न
4.	श्री ओ० पी० मेहता, सहायक वाणिज्य प्रकाशन अधिकारी I	31-8-77 अपराह्न
5.	श्री बी० डी० आहूजा, सहायक सचिव महाप्रबन्धक	31-8-77 अपराह्न
6.	श्री जी० एच० केसवानी, महाप्रबन्धक	31-5-78 अपराह्न

एच० एल० भाटिया
महाप्रबन्धक (कार्मिक)

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

कम्पनी लॉ बोर्ड

कम्पनी रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स तुलसी बिल्डर्स ईन्टरप्राईसीस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में ।

अहमदाबाद, दिनांक 1 अगस्त 1978

सं० 560/1962—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है, कि मैसर्स तुलसी बिल्डर्स ईन्टरप्राइसीस प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शंधवी वायर इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में ।

अहमदाबाद, दिनांक 1 अगस्त 1978

सं० 560/ 1976—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप-धारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि, मैसर्स शंधवी वायर इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स स्पेशीयल बेरींग्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में ।

अहमदाबाद, दिनांक 1 अगस्त 1978

सं० 560/ 2163—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप-धारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स स्पेशीयल बेरींग्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स तुलसी इंवेस्टमेन्ट गुजरात प्राइवेट लिमिटेड के विषय में ।

अहमदाबाद, दिनांक 1 अगस्त 1978

सं० 560/2215—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप-धारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी

जाती है कि, मैसर्स तुलसी इनवेष्टमेन्ट गुजरात प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है ।

जे० गो० गाथा
प्रमंडल पंजीयक, गुजरात राज्य,
अहमदाबाद

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रूंगटा स्ट्रा बोर्ड एण्ड पेपर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में ।

ग्वालियर, दिनांक 29 जुलाई 1978

सं० 1245/ए०/ 560 (5) —कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रूंगटा स्ट्रा बोर्ड एण्ड पेपर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इन्दौर बांटलिंग कम्पनी लिमिटेड के विषय में ।

ग्वालियर, दिनांक 29 जुलाई 1978

सं० 1252/ए०/ 560 (5) —कम्पनी अधिनिमय, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स इन्दौर बांटलिंग कम्पनी लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इस्टर्न रीफेब टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड के विषय मे ।

ग्वालियर दिनांक 29 जुलाई 1978

सं० 1270/ए०/560 (5) —कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ईस्टर्न रीफेब टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है ।

सुरेन्द्र कुमार सक्सेना
कम्पनी रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश, ग्वालियर

कम्पनी अधिनियम 1956 और आकाश चिट फण्ड एण्ड ट्रेडिंग कं० प्राइवेट लिमिटेड के विषय में ।

नई दिल्ली, दिनांक 5 अगस्त 1978

सं० 3816/14308—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर आकाश चिट फण्ड एण्ड टरेडिंग कं० प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी ।

ह० श० शर्मा
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कार्यालय शासकीय समापक

नई दिल्ली-110002, दिनांक 3 जुलाई 1978

सेवा समाप्त होने का नोटिस

स० पी० एफ०/ पी० डी० पी० / ओ० एल० —केन्द्रीय जान पद सेवा (अस्थाई सेवा) नियम 1965 के अन्तर्गत उपधारा (1) की धारा 5 में मैं, शासकीय समापक, दिल्ली के कार्यालय के चपरासी श्री पुण्य देव प्रकाश को सूचित करता हूं कि इस नोटिस के राजकीय पत्र में प्रकाशित होने की तिथि के एक माह उपरान्त उन की सरकारी सेवा समाप्त हो जाएगी ।

एस० च० मित्तल
शासकीय समापक, दिल्ली

श्री पुण्य देव तकांश
नं० 25 ए, फेस न–II, कोटबारीया सराय,
डी० डी० ए० क्वाटरस, नई दिल्ली

कार्यालय, धनकर/दानकर आयुक्त, दिल्ली-2

नई दिल्ली, दिनांक 29 जुलाई 1978

धनकर/दानकर

फा० सं० जुरि० दिल्ली/2/78-79/ 17356—धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 8 ए० ए० की उपधारा (1) तथा दान-कर अधिनियम, 1958 की धारा 7 ए० ए० द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धन-कर/दान-कर आयुक्त दिल्ली-2, नई दिल्ली निदेश देते हैं कि धन-कर अधिकारी/ दान-कर अधिकारी कम्पनी सर्किल 24 और डिस्ट्रिक्ट 6 (13), नई दिल्ली को किसी क्षेत्र या व्यक्तियो या व्यक्तियो के वर्ग या आय या आय के वर्ग या मामले या मामलो के वर्ग के बारे में प्रदान की गई या सौंपी गई किसी या सभी शक्तियों या कार्यों का प्रयोग या निष्पादन निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त, रेंज-2-ई भी साथ-साथ करेंगे ।

कार्य निष्पादन की सुविधा के प्रयोजन के लिए धनकर/ दान-कर आयुक्त, दिल्ली-2, नई दिल्ली, धनकर अधिनियम की धारा 8 ए० ए० की उपधारा (2) तथा दानकर अधिनियम की धारा 7 ए० ए० के मन्तव्य के अनुसार आदेशो को पास करने के लिए निरीक्षीय सहायक धनकर/ दानकर आयुक्त, रेन्ज, 2-ई को भी प्राधिकृत करते हैं ।

यह आदेश 1-8-78 से लागू होगा ।

ए० सी० जैन
आयकर आयुक्त, दिल्ली-2, नई दिल्ली

कार्यालय आयकर आयुक्त, दिल्ली-3

नई दिल्ली, दिनांक 29 जुलाई 1978

कर-वसूली अधिकारियों मे कार्यभार का वितरण

आदेश

फा० सं० जुरि-दिल्ली/3/78-79/ 17478—इस विषय पर पहले के सभी आदेशो का अधिक्रमण करते हुए आयकर आयुक्त, दिल्ली-3, नई दिल्ली निदेश देते हैं कि नीचे की अनुसूची

में निर्दिष्ट कर-वसूली अधिकारी उसी अनुसूची के कालम 3 में निर्दिष्ट रेंज-/डिस्ट्रिक्टो/सर्किलों के बारे में अपने कार्य करेंगे :—

अनुसूची

क्रम सं० पदनाम	आयकर डिस्ट्रिक्ट/ सर्किल
1 2	3
1. कर-वसूली अधिकारी-5 नई दिल्ली	डि० 5 (1), 5(2), 5 (3), 5(4), (5 (5), (5(6), 5 (7), 5 (8), (5 (9), 5 (10), 5 (13), 5 (14), 5 (15), 5 (15), अतिरिक्त, 5 (18), नई दिल्ली ।
तथा अतिरिक्त सर्वे सर्किल-4 .	
2. कर-वसूली अधिकारी-8 नई दिल्ली	डि० 8 (1), 8(2), (8(4), 8 (6), 8(7), 8(8), 8 (9), 8 (10), 8(11), 8 (12), 8 (16), 8 (17), तथा आई० ए० सी० रेन्ज-4 डी० निर्धारण ।
3. कर-वसूली अधिकारी-14 नई दिल्ली	डि० 10(1), 10 (2), 10 (4), 10 (6), 10 (7), 10 (8), 10 (9), 10(10), 10 (12), 10 (13), तथा सर्वे सर्किल-4, नई दिल्ली ।
4. कर-वसूली अधिकारी-10 नई दिल्ली	डि०-5(11), 5(12), 5 (16), 8(3), 8(5), 8(13) 8 (14), 8 (15), 10 (3), 10 (11), स्पेशल सर्किल-6, स्पेशल सर्किल-6 अतिरिक्त, स्पेशल सर्किल-10, स्पेशल सर्किल 14, स्पेशल सर्किल-16, नई दिल्ली ।

यह आदेश 1 अगस्त, 1978 से लागू होगा ।

फा० सं० जुरि-दिल्ली/3/78-79/17407.—इस कार्यालय की दिनाक 19-4-77 की अधिसूना एफ० सं० जुरि०-दिल्ली/ 3/78-79/ 1375 में आंशिक संशोधन करते हुए तथा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43 वा) की धारा 123 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो, तथा इस बारे में प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर आयुक्त, दिल्ली-3, नई दिल्ली निदेश देते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम-1 में निर्दिष्ट निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त, उसी अनुसूची के कालम-2 में निर्दिष्ट डि०/ सर्किलों के आयकर अधिकारियो के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र या व्यक्ति या व्यक्तियो के वर्ग या आय या आय के वर्ग या मामले या मामलो के वर्गों के बारे में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त के सभी कार्य निष्पादित करेंगे :—

अनुसूची

रेन्ज	आयकर डिस्ट्रिक्ट / सर्किल
1	2
निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त रेन्ज-4 ए	डि० 5 (1), 5(2), 5(3), 5 (6), 5(5), 5 (6), 5(7), 5(8), 5 (9), 5 (10), 5(13), 5 (14), 5(15), 5(15) अतिरिक्त, 5(18), नई दिल्ली तथा अतिरिक्त सर्वे सर्किल-4
कर वसूली अधिकारी-5, नई दिल्ली	
निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त रेंज-4 बी०	डि० 8(1), 8(2), 8(4), 8 (6), 8(7) 8 (8), 8(9), 8 (10), 8(11),8(12), 8(16), तथा 8 (17), नई दिल्ली ।
कर-वसूली अधिकारी-8, नई दिल्ली	
निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त रेन्ज-4 सी०	डि० 10(1), 10 (2), 10 (4), 10(6), 10 (7), 10 (8), 10(9), 10(10), 10 (12), 10(13), तथा सर्वे सर्किल -4, नई दिल्ली ।
कर-वसूली अधिकारी-14, नई दिल्ली	
निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त रेन्ज-4-ई०	डि० 5(11),5(12) 5(16), 8(3), 8(5), 8 (13), 8 (14), 8 (15), 10(3), 10(11), स्पेशल सर्किल-6, स्पशल सर्किल-6 अतिरिक्त, स्पेशल सर्किल-10, स्पेशल सर्किल 14, स्पेशल सर्किल-16 नई दिल्ली कर-वसूली अधिकारी-10, नई दिल्ली ।

यह आदेश 1 अगस्त, 1978 से लागू होगा ।

एस० बी० देवा,
आयकर आयुक्त, दिल्ली-3,
नई दिल्ली

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 3 अगस्त 1978

निर्देश सं० 112/78-79—यतः मुझे, के० एस० वेंकट रामन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० 10-3-76 I सल मारेडपली है, जो सिकन्द्राबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सिकन्द्राबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिसम्बर, 1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री वी० एस० वरदराज पिता श्री० वी० सबापती ईस्ट मारेडपली घर नं० 10-3-36 सिकन्द्राबाद। (अन्तरक)

(2) श्री सोहनराज पिता इन्दरमल घर नं० 10-3-36 इस्ट मारेडपली सिकन्द्राबाद। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

पहीला सता का घर नं० 10-3-36 तुर्प मारेडपली सिकन्द्राबाद में रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 2066/77 घर रजिस्ट्री कार्यालय सिकन्द्राबाद में।

के० एस० वेंकटरामन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षीय)
अर्जन रेज, हैदराबाद

तारीख : 3-8-1978
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰—————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, सोनीपत रोड रोहतक

रोहतक, दिनांक 24 जुलाई 1978

निदेश सं॰ बी॰ जी॰ आर॰/31/77-78—यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार पठानिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु॰ से अधिक है

और जिसकी सं॰ प्लाट नं॰ 78 डी॰ एल॰ एफ॰ इण्डस्ट्रियल एस्टेट नं॰ I निकट 13/6 माईल स्टोन है तथा जो फरीदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बल्लबगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मै॰ न्यू हिन्दुस्तान आयरन स्टोरस मार्फत श्री के॰ के॰ चोपड़ा पुत्र श्री रोशन लाल चोपड़ा निवासी के-39, साउथ एक्सटैनशन पार्ट-II, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. (1) कु॰ रिछा गुप्ता सुपुत्री श्री हरि चन्द गुप्ता
(2) कु॰ भारती गुप्ता सुपुत्री हरि चन्द गुप्ता
दोनों निवासी :
सी-15, फ्रेंड्स कालोनी (ईस्ट) मथुरा रोड, नई देहली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं॰ 78, डी॰ एल॰ एफ॰ इण्डस्ट्रीयल एस्टेट नं॰ I, निकट 13/6 माईल स्टोन, फरीदाबाद।

(सम्पत्ति जैसे कि रजिस्ट्रीकर्ता बल्लबगढ़ के कार्यालय में रजिस्ट्री क्रमांक नं॰ 4382 तिथि 29-12-1977 पर दर्ज है)।

रवीन्द्र कुमार पठानिया,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, रोहतक

तारीख : 24-7-78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज सोनीपत रोड रोहतक

रोहतक, दिनाक 24 जुलाई, 1977

निदेश सं० पी० एन० पी०/25/77-78—अतः मुझे रवीन्द्र कुमार पठानिया,

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, रोहतक आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि जिसका रकबा 19 कनाल 12 मरले, सामने ब्यास प्रोजेक्ट है तथा जो जी० टी० रोड पानीपत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित) है, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पानीपत में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख नवम्बर, 1977 ।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देन के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने मे सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हे भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. सर्वश्री हनवन्त सिंह, बलबीर सिंह, लाल चन्द, पुत्रगण श्री रिशी सिंह निवासी ग्राम व डाकना सिवाह तहसील पानीपत, जिला करनाल (अन्तरक)
2. मैस० दीपक वूलन मिल्ज मार्फत श्री दीपक नाथ, ब्यास प्रोजेक्ट के सामने जी० टी० रोड़, पानीपत । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति क अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध मे कोई भी आक्षप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि कुल 19 कनाल 12 मरले और जोकि ब्यास प्रोजेक्ट के सामने जी० टी० रोड पर स्थित है ।

(सम्पत्ति जैसाकि रजिस्ट्रीकर्ता पानीपत के कार्यालय में रजिस्ट्री क्रमांक 2807 तिथि 15-11-1977) पर दर्ज है) ।

रवीन्द्र कुमार पठानिया,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेज, रोहतक

तारीख : 24-7-78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज कानपुर

कानपुर, दिनांक 27 जुलाई, 1978

निदेश सं० 1569/अर्जन/मेरठ/7778—अतः मुझे एल० एन० गुप्ता,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मेरठ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 28-11-1977
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री कैलाश नाथ सिन्हा पुत्र स्वर्गीय गोपी नाथ सिन्हा एडवोकेट नि० 50 साकेत मेरठ (अन्तरक)

2. श्री मोहित कुमार जैन पुत्र हरिश्चन्द जैन, 479 सकेत मेरठ (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति मकान नं० 49 ए स्थित साकेत मेरठ (½ भाग) 60,000 के विक्रय मूल्य में बेचा गया।

एल० एन० गुप्ता
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख: 27-7-78
मोहर:

रूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 29 जुलाई, 1978

निदेश नं० 1597 ए/अर्जन/शहर/7778—अतः मुझे, एल० एन० गुप्ता

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन

तारीख 1-12-1977

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को, जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्री सूरज प्रकाश पावहा, चन्द्र प्रकाश पावहा सतीश कुमार पावहा, मन मोहन पावहा, किरती कुमार पावहा पुत्रगण चुन्नी लाल पावहा नि० 323 दयाकरण चांदनी चौक दिल्ली । (अन्तरक)

2. श्रीमती किरन देवी पत्नी नन्द किशोर श्रीमती शोभारानी पत्नी रमेश चन्द, राज कुमार, उमेश कुमार एवं नितिन कुमार (वियस्क गण) पुत्रगण रमेश चन्द एवं रमेश चन्द पुत्र नन्द किशोर नि० बुलन्दशहर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित म किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

कोल्ड स्टोरेज एवं बर्फ फैक्ट्री 11815 वर्ग गज पर बना हुआ हिन्दुस्तान कोल्ड स्टोरेज एंड रेफ्रिजरेशन कम्पनी के नाम से स्थित जी० टी० रोड़ बुलन्दशहर 7,50,000 के विक्रय मूल्य में बेचा गया ।

एल० एन० गुप्ता,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : : 29-7-1978

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 5 अगस्त 1978

निदेश सं० ए० पी० सं० 1814—यतः मुझे बी० एस० दहिया आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो 518-आर माडल टाउन में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर, 1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण मे हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती तिलोतमा देवी पत्नी अयित्न लाल चोपड़ा 518-एल माडल टाउन जालन्धर (अन्तरक)
2. श्रीमती बिला देवी पत्नी बलदेव सिह गांव सीना अब 161 माडल टाउन जालन्धर। (अन्तरिती)
3. जैसा कि उपर 2 में है (वह व्यक्ति, जिनके बारे मे अधिभोग में सम्पत्ति हैं)।
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है। (वह व्यक्ति, जिनके बारे म अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

Property as mentioned in the Registration Sale Deed No. 5301 of December, 1977 of the Registering Authority, Jullundur.

बी० एस० दाहिया
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 5/8/78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 5 अगस्त 1978

निदेश नं० ए० पी० नं० 1215—यतः मुझे बी० एस० दाहिया आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो 324 न्यू जवाहर नगर जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये, अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिति (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11), या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री जोगिन्द्र सिंह सन्धू पुत्र सुन्दर सिंह सन्धू 256 लाजपत नगर जालन्धर (अन्तरक)
2. (1) डा० प्रतिपाल सिंह पुत्र रत्न सिंह (2) जगदीप कौर पत्नी डा० प्रतिपाल सिंह नकोदर रोड़ जालन्धर (अन्तरिती)
3. जैसा ऊपर 2 में है। (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

Property as mentioned in the Registration Sale Deed No. 5361 of December 77 of the Registering Authority, Jullundur.

बी० एस० दहिया
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 5/8/77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 5 अगस्त 1978

निदेश सं० ए०पी० नं० 1816—यत: मुझे, बी० एस० दहिया आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो गांव गड़ा तहसील जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री प्रमजीत सिंह पुत्र गुरगोपाल सिंह, गांव गड़ा, तहसील जालन्धर । (अन्तरक)

2. (1) श्री संतोख सिंह पुत्र चानन सिंह गांव अठोला ।
(2) दविन्द्र सिंह पुत्र चानन सिंह गांव ढापई, तहसील कपूरथला । (अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है ।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है) ।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

Property as mentioned in the Registration Sale Deed No. 5802 of December, 1977 of the Registering Authority, Jullundur.

बी० एस० दहिया,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर ।

तारीख : 5-8-78
मोहर

प्ररूप आई०टी०एन०एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 5 अगस्त, 1978

निदेश सं० ए० पी० 1817—यतः मुझे, बी० एस० दहिया आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो 324 बी न्यू जवाहर नगर जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख दिसम्बर, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. जोगिन्द्र सिंह संधू पुत्र सुन्दर सिंह संधू, 256 लाजपत नगर, जालन्धर (अन्तरक)

2. (1) श्रीमती गनमाला जैन पत्नी राज कुमार जैन, (2) परदीप कुमार जैन पुत्र राज कुमार जैन, 38 आदर्श नगर, जालन्धर । (अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है ।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है) ।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है) ।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

Property as mentioned in the Registration Sale Deed No. 5362 of December, 77 of the Registering Authority, Jullundur.

बी० एस० दहिया,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर ।

तारीख: 5-8-78

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 5 अगस्त 1978

निदेश सं० ए० पी० -1818—यतः मुझे, बी० एस० दहिया **आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/- रुपए से अधिक है**

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो शहीद बाबू लाभ सिंह नगर जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख दिसम्बर 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्री हरबंस लाल पुत्र बोरबल, 3ए-117 बाजार पापरीयां मुहल्ला मुगलां, जालन्धर (अन्तरक)
2. किंग स्टील रोलिंग मिल्स जालन्धर (राहीं) मोहिन्द्र पाल सिंह पुत्र जैमल सिंह, एन० 437 गोपाल नगर, जालन्धर (अन्तरिती)
3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है।
   (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।
   (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है

अनुसूची

Property as mentioned in the Registration Sale Deed No. 5351 of December 1977 of the Registering Authority Jullundur.

बी० एस० दहिया,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर।

तारीख : 5-8-78
मोहर :

प्रारूप आई०टी०एन०एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, धारवाड

धारवाड-580004, दिनांक 7 अगस्त 1978

निर्देश सं० 220/78-79/अर्जन—यतः मुझे, डि० सि० राजागोपालन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० नं० 45 है, जो गुल्लरहवेली गांव बीदर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बीदर अंडर कुकमेंट नं० 1741/77-78

में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 8-11-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री सयद अफजल अहमद क्यादि पिता लेट सयद शाह मोहम्मद क्यादि केरआफ हैफीड पोलटरी और क्याटल फीडस तिनक रोड़, हैदराबाद (ए० पी०) (अन्तरक)

2 श्री मोहम्मद फसिउद्दीन पिता मोहम्मद जफारलि दिलक्षु पोलटरि फारम गुल्लार हेवेलि न्यु कालोनी एम बीदर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

लवांड मीजरोंठा 204'-9" लेंथ और 116" विडथ गुल्लनर हवेली गांव बीदर के यहां है ।

पूर्व : 30' बड़ा रस्ता
पश्चिम : मुनिसीपल वालोका जगा
उत्तर : कट्टा ग्रेव यार्ड
दक्षिण : 30' वेड रोड कोलार के ओर और फारेस्ट नरसरी

डी० सी० राजगोपालन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, धारवाड

तारीख : 7-8-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, धारवाड़

धारवाड़-580004, दिनांक 7 अगस्त 1978

निर्देश सं० 221/78-79/अर्जन—यतः मुझे डी० सी० राजागोपालन,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० मकान नं० 8-11-24/1, सी० नं० 45, है, जो गुल्लर हवेली गांव, बीदर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची म और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बीदर, अंडर डाकुमेन्ट नं० 1742/77-78 भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 8-11-77
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-च की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री सयद अफजल अहमद क्यादि स्वर्गवासी पिता सयद साहमोहम्मद क्यादि केरआफ है० फीड पोल्टरी और क्याटल फीडस तिलक रोड़, हैदराबाद (ए० पी०)।
(अन्तरक)

2. श्री मोहम्मद फसिउद्दिन पिता मोहम्मद डिलक्ष पोलटरी फार्म गुल्लर हवेली न्यू कालोनी, एम बीदर।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

पोलटरी फार्म का बिल्डिंग नं० 8-11-24/1 गुल्लर हवेली गांव का नं० 45 इसके चारों ओर
पूर्व : पोलटरी शैड ऑफ श्री मानिक राव फुलकर।
पश्चिम : कुवां और वेंडर का जगा सीरीयल नं० 45
उत्तर और दक्षिण : वेंडर का जगा नं० 45

डी० सी० राजागोपालन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, धारवाड़

तारीख : 7-8-78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, धारवाड़

धारवाड़-580004, दिनांक 7 अगस्त 1978

निर्देश सं० 222/78-79/अर्जन—यतः मुझे डी० सी० राजागोपालन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० मकान नं० 8-11-24/1, मि नं० 45, है, जो गुल्लेर हवेलि गांव बीदर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बीदर अंडर डाकुमेंट नं० 1743/77-78 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दि० 8-11-77 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री मानिकराव रामचंदर राव फुलेकर एन०एम०एल०ए० प्रेसिडेंट ओफ डी० सी० सी० बीदर। (अन्तरक)
2. मोहम्मद फसिउद्दीन पिता मोहम्मद जफार अली डिलक्ष पोलटरी फार्म गुल्लर हवेली गांव एम बीदर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

पोल्टरी फार्म मकान नं० 8-11-24/1, गुल्लोर हवेली गांव का सर्वे नं० 45 और आकार

पूर्व : सयद अफजल अहमद क्यादि की जमीन है।

पश्चिम : सयद अफजल अहमद कयादि की जमीन है पोलटरी फार्म का शैड है।

उत्तर और दक्षिण : की ओर सयद अफजल अहमद क्यादि की जमीन है।

डी० सी० राजागोपालन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, धारवाड़

तारीख : 7-8-78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकीनाडा

काकीनाडा, दिनांक 26 जुलाई 1978

सं० 710—यत: मुझे एन० के० नागराजन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 18-19-937/18 है, जो विजयवाडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, विजयवाडा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 7-12-77 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्री जि० वीराभद्राचार्युभ (2) एस० वेंकटा कनका दुर्गाभबा, बिजयवाडा । (अन्तरक)
2. (1) श्री वै० सुब्बाराव (2) एन० गोविंदा शेकर राव, विजयवाडा (अन्तरिती)
3. (1) श्री आर० गोपालराव (2) एम० कुटमबाराव (3) सी० एच० सुर्याराव (4) एम० एम० आली विजयवाडा (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

विजयवाडा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 15-12-77 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 3523/77 में निगमित अनुसूची सम्पत्ति।

एन० के० नागराजन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
एम बि अर्जन रेंज, काकीनाडा

तारीख : 26-7-78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज कांकीनाडा

कांकीनाडा, दिनांक 27 जुलाई, 1978

सं० 711—यतः मुझे, एन० के० नागराजन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है,

और जिसकी सं० आर० एस० 217/5 और 218/1 है, जो कानूरू ग्राम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, विजयवाडा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 28-12-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में; मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन; निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती एन० वेंकटा सुब्बम्मा विजयवाडा (अन्तरक)
2. श्री टि० प्रेमलाल विजयवाडा (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनसूची

विजयवाडा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 31-12-77 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 3716/77 में निगमित अनसूची सम्पत्ति ।

एन० के० नागराजन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
एम० बी० अर्जन रेंज काकीनाडा

तारीख : 27-7-78

मोहर :

5—216GI/78

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (नि ीक्षण)

अर्जन रेंज काकीनाडा

काकीनाडा, दिनांक 27 जुलाई 1978

सं० 712—यतः मुझे एन० के० नागराजन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० आर० एस० 217/5 है, जो कानूरू में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, विजयवाडा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 28-12-77 को

पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : —

1. श्री एम० पुत्तय्या (2) एम० कोटेस्वरराव (3) एम० कृष्णा मूर्ती (4) एम० सीता महलक्ष्मी विजयवाडा। (अन्तरक)

2. श्री टी० प्रेमलाल, विजयवाडा (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों मे से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

विजयवाडा रजिस्ट्री अधिकारी से पाँक्षिक अंत 31-12-77 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 3717/77 में निगमित अनुसूची सम्पत्ति।

एन० के० नागराजन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज काकीनाडा

तारीख : 27-7-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज काकीनाडा

काकीनाडा, दिनांक 27 जुलाई 1978

सं० 713—यतः मुझे एन० के० नागराजन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 27-1-45 है, जो विजयवाडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, विजयवाडा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 2-12-77 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्रीमती वि० अन्नपूर्नम्मा, हैदराबाद (अन्तरक)

2. श्री वि० श्यामसुन्दर विजयवाडा (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

विजयवाडा रजिस्ट्री अधिकारी से पाँक्षिक अंत 15-12-77 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 3443/77 में निगमित अनुसूची सम्पत्ति।

एन० के० नागराजन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)
एम० वि० अर्जन रेंज काकीनाडा

तारीख : 27-7-78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकीनाडा

काकीनाडा, दिनांक 27 अगस्त 1978

सं० 714—यतः मुझे, एन० के० नागराजन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 14-49-74 से 77 है, जो विजयवाडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय विजयवाडा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 26-12-77 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को विचत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती आर० सीतामहलक्ष्मी (2) पी० भारती देवी (3) ऐ० हैमावती (4) के० राजेश्वरी (5) ए० लक्ष्मी बाई (6) बी० कमला बाई (7) वि० विजयालक्ष्मी (8) वि० बाबू नरसिंहा राव मद्रास (अन्तरक)
2. श्री एम० रामचन्द्रा राव विजयवाडा (अन्तरिती)
3. (1) माजेटी रामचन्द्रा राव सन्स (2) जैहिंद जुवलरी मार्ट (3) मृत्युनजयराव विजयवाडा ।
(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ।)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

विजयवाडा रजिस्ट्री अधिकारी से पाँक्षिक अंत 31-12-77 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 3714/77 में निगमित अनुसूची सम्पत्ति ।

एन० के० नागराजन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
एम० वी० अर्जन रेंज काकीनाडा

तारीख : 27-7-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकीनाडा

काकीनाडा, दिनांक 27 जुलाई 1978

निर्देश सं० 715—यतः, मुझे, ए०जन० के० नागराजन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं महावीर आयल मिल है, तथा जो कोमटिपल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गणपतिनगरम में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 28-12-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. (1) श्री सत्यनारायण महेश्वरी (2) सत्यनारायण महेश्वरी (3) चि० बापनम्मा सेट्टी (4) पि० चिनवेंकम्मा (5) वेणुगोपालासई संकर राव (6) वेंकटा सत्यनारायण मूर्ती (7) पि० श्रीनिवासन राव (8) पि० चिन्नवेंकम्मा (9) पि० इश्वर मकाष (10) पि० भास्करा सत्या श्रीनिवास (11) पि० माना (12) पि० पैडि बाका लिपुरसुन्दरा (13) बा० महलक्ष्मा (14) के० ज्योति (15) पि० वेंकटारतनम विजयनगरम

(अन्तरक)

2. (1) श्री अनिसेट्टी सत्यासिराव (2) अनिमट्टी सत्यनारायण गणपतिनगरम

(अन्तरिती)

3. श्री बाकाजी ट्रेडर्स, कोमटिपल्ली (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

गणपतिनगरम रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 31-12-1977 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 3329/77 में निगमित अनुसूची सम्पत्ति ।

एन० के० नागराजन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, काकीनाडा

तारीख : 27-7-1978
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद कार्यालय

अहमदाबाद, दिनांक 14 जून 1978

निर्देश सं० ए० सी० क्यू० 23-1-1449 (668)/1-1/77-78—यतः, मुझे, एस० सी० परीख, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० एफ० पी० नं० 275, एस० पी० नं०-1 है, तथा जो दफ़नाला के पास, शाहीबाग, अहमदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर 1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्री हरी प्रसाद डी० लश्करी, पावर ग्रोफ़ एटारनी होल्डर, श्री अनिल कुमार एच० लश्करी, दुर्गेश बंगलो, शाहीबाग, अहमदाबाद (अन्तरक)

2. श्रीमती शांताबेन जयंतीलाल गज्जर, नं० 1185-1, नवा—असारवा, अहमदाबाद (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक खुली जमीन वाला प्लाट जिसका कुल क्षेत्रफल 578 वर्ग गज है तथा जिसका एफ० पी० नं० 275, एस० पी० नं० 1, है तथा जो उफनाला के पास, शाही बाग, टी० पी० एस०-14 अहमदाबाद में स्थित है तथा जिसका पूर्ण विवरण दिसम्बर 1977 वाले बिक्री दस्तावेज में दिया गया है।

एस० सी० पारीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II,
अहमदाबाद

तारीख: 14-6-78
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 14 जून 1978

निर्देश सं० एस० सी० क्यू० 23-1-1513(669)/10-1/77-78—यतः, मुझे, एस० सी० परीख,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० टीचर्स क्वार्टरस के पीछे एक अचल सम्पत्ति है, तथा जो इंडियन रेयान फैक्टरी के पीछे, हाई वे के पास वेरावल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, वेरावल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 20-12-1977

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री लुहार नाथू डोडिया, स्टेशन रोड, वेरावल
(अन्तरक)

2. श्री पतानी मोहम्मद अहमद जमादार, बहर कोर, हाजीभाई बिल्डिंग, मसजिद, वेरावल
(अन्तरिती)

3. (1) श्री अनिल कुमार जे० जोशी, (2) श्री रेडकंद गोरधनदास, (3) श्री ठाकुर लाल, (4) श्री वल्लभदास अथाजी, (5) श्री जीवत राम मिरचूमल, (6) श्री जेठ्ठानन्द चेलाराम, (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक अचल सम्पत्ति जो 636 वर्ग गज भूमि पर स्थित है तथा जिसका बांधकाम 228 वर्ग गज है ? जो टीचर्स क्वारटर्स के पीछे, इंडियन रेयान फैक्टरी के पीछे, हाई वे के पास, वेरावल में स्थित है । तथा जिसका पूरण विवरण 20-12-77 वाले बिक्री दस्तावेज नं० 2075 में दिया गया है ।

रा० कु० परीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

तारीख : 14-6-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 23 जून 1978

निर्देश सं० ए० सी० क्यू०-23-1-1520(674)/10-1/77-78—यतः, मुझे, एस० सी० परीख, **आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है**

और जिसकी सं० सर्वे नं० 4/1/1 है, तथा जो सुमीयार विलब जामनगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जामनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 31-12-1977 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. (1) श्री प्रताप राय रंगील दास मेहता,
   (2) श्री प्रभु दास रंगील दास मेहता,
   (3) श्री हेमाभाई निरभय शंकर,
   (4) श्री मोतीचन्द सेजपाल, दिगविजय नगर, प्लाट, जामनगर (अन्तरक)
2. (1) श्री रामचन्द वीरपार शेठ,
   (2) श्री धीरजलाल नरसी,
   (3) श्रीमती चंपाबेन फूलचन्द शाह,
   (4) श्री जयंतीलाल वीरपार,
   (5) शांति लाल वीरपार,
   (6) श्री विपिन चंद्र लखमशी,
   (7) श्री महेश कुमार कनाजी,
   (8) श्री देवराज भूरा पटेल
   (9) श्री कीरीत कुमार मोतीचन्द,
   (10) श्री दाई भाई हीराजी भाई,
   (11) पूनमचन्द नरसी, जेल रोड के पास, जामनगर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक खेतीबाड़ी वाली जमीन जिसका कुल क्षेत्रफल 2 एकड़—4 गुंठा बराबर 91476 वर्ग फुट है तथा जिसका सर्वे नं० 4/1/1 है तथा जो सुमियार क्लिब रोड, जामनगर में स्थित है तथा जिसका पूर्ण विवरण 31-12-77 वाले बिक्री दस्तावेज में दिया गया है।

एस० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

तारीख : 23-6-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 30 जून 1978

निर्देश सं० ए० सी० क्यू० 23-1-1566(676)/16-6/77-78—यतः, मुझे, एस० पी० परीख,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

जिसकी सं० प्लाट नं० 114, है, तथा जो शेरी नं० 23 के ईस्ट में, जगन्नाथ के पास, राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 2-12-1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्रीगुलाबबेन छोटालाल बोगाणी, 28, प्रह्लाद प्लाट, राजकोट (अन्तरक)

2. श्री उत्तम चन्द जयंतीलाल कोठारी, "पना कुटीर ब्लाक नं० 4, घाटकोपर, बम्बई 400077 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

खुली जमीन वाला प्लाट जिसका कुल क्षेत्रफल 250 वर्ग गज है तथा जिसका प्लाट नं० 114 है तथा शेरी नं० 23 है तथा जो न्या जागनाथ प्लाट पर, राजकोट में स्थित है ।

एस० पी० परीख
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

तारीख : 30-6-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 3 जुलाई 1978

निर्देश सं० ए० सी० क्यू०: 23-1-1579(677)/10-1/77-78—यतः, मुझे, एस० सी० परीख, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 119, है, तथा जो शहु सेक्शन रोड के पास, जामनगर में स्थित है (और इससे उपाबन्द्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जामनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 31-12-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री अरविंद कांतीलाल शाह, कस्तूरबा बिल्डिंग, स्टेशन रोड, जामनगर (अन्तरक)

(सुचित) डुविन सर्किल, जामनगर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक खुली जमीन वाला प्लाट जिसका कुल क्षेत्रफल 1 एकड़—32 गुंठा है तथा जिसका सर्वे नं० 119, है तथा जो शहु सेक्शन रोड पर जामनगर में स्थित है तथा जिसका पूर्ण विवरण 31-12-77 वाले बिक्री दस्तावेज नं० 1903 में दिया गया है।

एस० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

तारीख : 3-7-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 3 जुलाई 1978

निर्देश सं० ए० सी० क्यू० : 23-1-1528(678)/10-1/77-78—यतः, मुझे, एस० सी० परीख, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है,

और जिसकी सं० सर्वे नं० 4-ए०-1, है, तथा जो "ब्लोक सी०" पहला मंजिला, सुपर मारकेट, जामनगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जामनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 31-12-1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में; मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् ।—

1. श्री मेघजी राजाभाई, ग्रेन मारकेट, जामनगर (अन्तरक)

2. डा० नवीनचंद्र राए संघवी, सुपर मारकेट ब्लोक "सी" पहेला मजिल, जामनगर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक अचल सम्पत्ति जिसका कुल क्षेत्रफल 2611 वर्ग फुट है तथा बहु मणी बिल्डिग मे पहली मंजिल पर है। तथा जिसका सर्वे नं० 4 ए०-1 है तथा जो सुपर मारकेट, जामनगर में स्थित है। तथा जिसका पूर्ण विवरण 31-12-77 वाले बिक्री दस्तावेज नं० 1837 मे दिया गया है।

एस० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

तारीख : 3-7-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एम० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 3 जुलाई 1978

निर्देश सं० ए०सी० क्यू० : 23-I-1555(679)/16-6/77-78—यतः, मुझे, एस० सी० परीख,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 401, प्लाट नं० 4, है, तथा जो उमाकांत उद्योग नगर रेडीयो मिल के पास, राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 31-12-1977

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व म कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. मैसर्स स्वास्टिक इंजीनियरिंग वर्कस, की ओर से भागीदार :—
   (1) श्री भगवानजी कालूभाई खंभायता,
   (2) श्री मनसुखलाल मानजीभाई बडाकिया,
   (3) श्री सुरेश भगवानजी खंभायता,
   (4) श्रीमती मुक्ताबेन मानजीभाई बडाकिया, गोन्डल रोड, राजकोट (अन्तरक)
2. मैसर्स विरंदावन इंजीनियरिंग वर्कस, की ओर से भागीदार :—
   (1) श्री देवजीभाई रंछोड़भाई सावलिया,
   (2) श्री केवशलाल रंछोड़भाई सावलिया,
   (3) श्री पुरषोत्तमभाई रंछोड़भाई सावलिया,
   (4) श्री रामजीभाई रंछोड़भाई सावलिया, उमाकांत उद्योगनगर, राजकोट (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक अचल सम्पत्ति जो 2341.40 वर्ग मीटर पर स्थित है तथा जिसका सर्वे नं० 401, प्लाट नं० 4, है तथा जो उमाकांत उद्योगनगर, भक्ति नगर स्टेशन के दक्षिण में, रेडीया मिल के पास, राजकोट में स्थित है ।

एस० सी० परीख,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 3-7-1978
मोहर :

प्ररूप आई• टी•एन• एस•———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 5 जुलाई 1978

निर्देश सं० ए० सी० क्यू०: 23-I-1558(681)/16-6/77-78—यत., मुझे, एस० सी० परीख, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 401, प्लाट नं० 7, भावडी प्लाट, है, तथा जो पंडित उद्योगनगर राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर 1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. मैसर्स सौराष्ट्र इंजीनियरिंग वर्कर्स की ओर से भागीदार :—
(1) श्री गिरधरलाल नरसीभाई मिस्त्री, तथा
(2) श्री प्रताप राए गिरधरलाल मिस्त्री, 68, रामजी वेला प्लाटस, भक्ति नगर सोसायटी के पीछे, राजकोट (अन्तरक)

2. मैसर्स गुजरात एलेक्ट्रोप्लेटर्स, की ओर से भागीदार :—
श्री एन० एल० वैशनव, भावडी प्लाट, पंडित उद्योगनगर, राजकोट (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक फैक्टरी अचल सम्पत्ति जो 2844-4-0 वर्ग गज भूमि पर स्थित है तथा जिसका सर्वे नं० 401, प्लाट नं० 7 है तथा जो पंडित उद्योगनगर, भावडी प्लाट, राजकोट में स्थित है तथा जिसका पूर्ण विवरण दिसम्बर 77 वाले बिक्री दस्तावेज नं० 3397 में दिया गया है।

एस० सी० परीख
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 5-7-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एस० एस० ————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद कार्यालय
अहमदाबाद, दिनांक 5 जुलाई 1978

निर्देश सं० ए० सी० क्यू० : 23-1-1556(682)/16-6/77-78—यतः, मुझे, एस० सी० परीख, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 111 तथा 112, तथा जो हजूर पैलेस, राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 31-12-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल के, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैसर्स प्रछूमन डेवलप्मेन्ट कारपोरेशन, हजूर पैलेस, राजकोट (अन्तरक)

2. (i) श्री ललित चन्द्र हिम्मतलाल शाह,
(ii) श्रीमती जसूमती ललितचन्द्र शाह, 13 दीवान परा, राजकोट (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक खुली जमीन वाला प्लाट जिसका कुल क्षेत्रफल 382–57 वर्ग गज है तथा जिसका प्लाट नं० 111 तथा 112 है तथा जो हजूर पैलेस, राजकोट में स्थित है तथा जिसका पूर्ण विवरण 31-12-77 वाले बिक्री दस्तावेज नं० 3394/77 में दिया गया है ।

एस० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

तारीख : 5-7-1978
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 5 जुलाई 1978

निर्देश सं० ए० सी० क्यू० : 23-I-1447(683)/1-1/77-78—यतः, मुझे, एस० सी० परीख, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० फायनल प्लाट नं० 914/915, सब प्लाट नं० 3, है, तथा जो एलिस ब्रिज, अहमदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. (1) श्री गनवंतलाल लालभाई अगरवाल,
(2) श्री चंद्रवदन एल्यास चिनूभाई लालभाई अगरवाल,
(3) श्री विपिनचंद्र एल्यास बगूभाई लालभाई अगरवाल
(4) श्री प्रफूलचंद्र एल्यास दीपकभाई लालभाई अगरवाल, बंगलो नं० 5 चित्रकूट कालोनी, राजनगर सोसायटी के पास, पालडी, अहमदाबाद (अन्तरक)

2. (1) कांतीलाल मोहनलाल गज्जर,
(2) श्रीमती कलावंतीबेन कांतीलाल गज्जर, 34-4, शंगार शेरी, सरसपुर, अहमदाबाद (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक अचल सम्पत्ति (जमीन) जिसका कुल क्षेत्रफल 455 वर्ग गज है तथा जिसका फ़ायनल प्लाट नं० 914/915 है तथा जो सब प्लाट नं० 5 है, टी० तथा पी० एस० नं० 3, एलिसब्रिज अहमदाबाद में स्थित है तथा जिसका पूर्ण विवरण दिसम्बर 1977 वाले बिक्री दस्तावेज नं० 8026/77 में दिया गया है।

एस० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 5-7-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 11 जुलाई 1978

निर्देश सं० ए० सी० क्यू०-23-I-1526(682)/10-1/77-78—यतः, मुझे, एस० सी० परीख, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

जिसकी सं० सर्वे नं० 91-एच०-1, 95-एच०-1, पैकी बी०-15, है, तथा जो एस० टी० बस स्टेन्ड के पीछे, जामनगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जामनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 31-12-1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री जवेरभाई जेठालाल तथा अन्य, स्वास्तीक सोसायटी, जामनगर (अन्तरक)

2. मैसर्स जी० सी० पूंजानी एण्ड कं०, की ओर से भागीदार :—

(1) श्री लीलाधर पी० पटेल,
(2) श्री मोरानलाल प्राणजीवन पटेल,
(3) श्री सुरेशचंद्र, हाथीभाई देसाई,
(4) श्री गौरीशंकर छगनलाल पूंजानी, बारोट फ़ली, जामनगर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक खुली जमीन वाला प्लाट जिसका कुल क्षेत्रफल 9588 वर्ग फुट है तथा जिसका सर्वे नं० 91-एच०-1, तथा 95-एच०-1 पैकी बी०-15 है तथा जो एस० टी० बस स्टेन्ड के सामने जामनगर में स्थित है तथा जिसका पूर्ण विवरण 31-12-1977 वाले बिक्री दस्तावेज नं० 1855 में दिया गया है।

एस० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-I अहमदाबाद

तारीख : 11-7-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 13 जुलाई 1978

निर्देश सं० ए० सी० क्यू०-23-I-1552(683)/16-6/77-78—यतः, मुझे, एस० सी० पारीख, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० सी० के० कैबल इन्डस्ट्रीज बिल्डिंग, है, तथा जो गोंडल रोड, राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 29-12-1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैसर्स रज्जर मिल्स, गोंडल रोड, एस० टी० वर्कशाप के पास, राजकोट (अन्तरक)

2. मैसर्स सी० के० कैबल इंडस्ट्रीज की ओर से एडमिनिस्ट्रेटर :—
श्री चन्द्रकांत कांजीभाई भम्मर, चौधरी स्कूल के सामने, राठोड हास्पीटल के पीछे, राजकोट (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बिल्डिंग जो "सी० के कैबल इंडस्ट्रीज बिल्डिंग" के नाम से प्रख्यात है तथा जो 950 वर्ग गज भूमि पर स्थित है तथा जो गोंडल रोड राजकोट में स्थित है तथा जिसका पूर्ण विवरण 29-12-77 वाले बिक्री दस्तावेज नं० 3336/1977 में दिया गया है।

एस० सीम परीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 13-7-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 29 जुलाई 1978

निर्देश सं० ए० सी० क्यू० : 23-I-1532(690)/1-1/77-78—यतः, मुझे, एस० सी० परीख, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० न्य ब्लाक नं०-3, प्लाट नं० 67 है, तथा जो वटवा दस्क्रोई तालूक, डिस्ट्रिकट अहमदाबाद में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 27-12-1977

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था; या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैसर्स नवोलिया इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन, 2-ए०, सरीता दरशन सोसायटी, आश्रम रोड, अहमदाबाद (अन्तरक)

2. श्री वल्लभभाई मोतीभाई पटेल, 85 श्याम सदन एफ० रोड, मरीन ड्राईव, बम्बई (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों म से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति म हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20—क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक खुली ज़मीन वाला प्लाट जिसका कुल क्षेत्रफल 5630 वर्ग गज है तथा जिजसका न्यू ब्लोक नं० 3, प्लाट नं० है तथा जो वटवा, तालूका दस्क्रोई, डि० अहमदाबाद में स्थित है। तथा जिसका पूर्ण विवरण 27-12-77 वाले बिक्री दस्तावेज नं० 9310 में दिया गया है।

एस० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 29-7-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्वी०/भोपाल/78-79/1045—यतः, मुझे, रा० कु० बाली,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० मकान है, तथा जो भोपाल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भोपाल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 29-12-77 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. (1) श्रीमती शान्ती देवी पत्नि श्री स्व० दुलीचन्द्र श्रीवास्तव, (2) श्री वीरेन्द्र कुमार, (3) श्रीमती सुधा श्रीवास्तव, (4) श्रीमती मधु श्रीवास्तव, (5) कु० शशी श्रीवास्तव—सभी पुत्र व पुत्री स्व० श्री दुलीचन्द्र श्रीवास्तव सभी निवासी सराय सिकन्दरीया, स्टेशन भोपाल (अन्तरक)

2. श्रीमती हाजरा बाई पत्नि श्री मुल्ला मुमताज हुसैन निवासी मोहल्ला बेलदार पुरा, भोपाल (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दो मंजिला मकान स्थित प्लाट नं० 3, वार्ड नं० 5, शापिंग सेंटर, टी० टी० नगर, भोपाल।

रा० कु० बाली
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 1-7-78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्वी०/भोपाल 78-79/1046—अतः, मुझे, रा० कु० बाली,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० मकान है, तथा जो इन्दौर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 7-11-77 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 15 प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्रीमती चन्द्र प्रभा पत्नि श्री गिरधारी लाल महाराज निवासी मकान नं० 1, यशवन्त गंज, इन्दौर (अन्तरक)

2. श्री गौस्वामी गोकुलोत्सव जी महाराज पुत्र स्व० श्री गिरधर लाल जी महाराज निवासी म० नं० 1, यशवंत गंज, इन्दौर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 6 का उत्तरी भाग गली नं० 3—न्यू पलासिया, इन्दौर।

रा० कु० बाली,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 3-7-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्वी०/भोपाल 77-78/1047—यत: मुझे, रा० कु० बाली,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० मकान है, तथा जो इन्दौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 7-11-1977 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्रीमती चन्द्रप्रभा पत्नि श्री गिरधारी लाल महाराज निवासी म० नं० 1, यशवंत गंज, इन्दौर
(अन्तरक)

2. श्री गोस्वामी देवकी नन्दन जी महाराज पुत्र श्री गिरधारी लाल जी महाराज निवासी म० नं० 1, यशवंत गंज, इन्दौर
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 6 (भाग), गली नं० 3, न्यू पलासिया, इन्दौर।

रा० कु० बाली
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 3-7-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्वी०/भोपाल 78 79/1048—यतः, मुझे, रा० कु० बाली,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० मकान है, तथा जो इन्दौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 8-11-1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री नाथू लाल पुत्र श्री हीरा लाल मुनाट निवासी 7 ए०/4, तुकोगंज मेन रोड, इन्दौर

(अन्तरक)

2. श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री धन्नालाल जैन निवासी 7 ए०/4, तुकोगंज मेन रोड, इन्दौर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 7 ए०/4 स्थित साउथ तुकोगंज मेन रोड, इन्दौर।

रा० कु० बाली
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 3-7-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्वी०/भोपाल/78-79/1047—यतः, मुझे, रा० कु० बाली,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० कृषि भूमि है, तथा जो अलीराजपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अलीराजपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 8-11-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री श्रीमन्त सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री महाराज फतेह सिंह द्वारा आमुख्तयार श्री अभय सिंह खुमान सिंह सोलंकी निवासी अलीराजपुर (अन्तरक)

2. (1) श्री सुनील कुमार बेडिया, (2) भूपेन्द्र कुमार दोनों पुत्र श्री श्याम सुन्दर बेडिया दोनों निवासी अलीराजपुर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20 क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

8.02 एकड़ कृषि भूमि साथ 20 आम के पेड़ स्थित ग्राम राक्सा अलीराजपुर ।

रा० कु० बाली
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 3-7-1978

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख 3 जुलाई 1978

निदेश सं० आई० ए० सी० एक्वी०/भोपाल-78-79/1050—

अतः मुझे, रा० कु० बाली

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी प्लाट्स है, तथा जो इन्दौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का) के अधीन, तारीख 2-11-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. मानव कल्याण गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित 195, जवाहर मार्ग, इन्दौर (अन्तरक)

2. अल्प आय समुदाय गृह निर्माण सहकारी संस्थामर्यादित द्वारा प्रेसिडेन्ट श्री सी० एस० द्विवेदी, 16 बक्षी बाग, इन्दौर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 4 से 7 तक, 8 से 14 तक व 437 से 142 तक सेक्टर II वैशाली नगर, इन्दौर।

रा० कु० बाली
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 3-7-78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एम०----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 1978

निदेश सं० आई० ए० सी० एक्वी०/भोपाल/78-79/1051 ---अतः मुझे, रा० कु० बाली

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट है, तथा जो इन्दौर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 3-11-1977

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---

1. ब्रह्म दत्त सूद पुत्र श्री मंगत सिंह जी सूद निवासी मटरुछाया हनुमान क्रास रोड, विले पारले, बाम्बे-57 (अन्तरक)

2 श्रीमती भवरी देवी सान श्री गोविन्द लाल जी कावरा निवासी 380, एम० जी० रोड, इन्दौर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 7, बी०, बिल्डर्स कालोनी, इन्दौर।

रा० कु० बाली
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 3-7-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० ए० एम०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख 3-7-1978

निर्देश सं० आई० ए० सी०एक्वी०/भोपाल/78-79/1052—

यतः मुझे, रा० कु० बाली,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी म० खुली भूमि है, तथा जो रायपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, रायपुर में,

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन,

तारीख 13-2-1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने मे सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :—

1 (1) श्री रतनलाल लक्ष्मी नारायण राठी (2) श्री विजय रतन लाल राठी (3) श्री अनिल रतनलाल राठी (4) श्री राजेन्द्र रतन लाल राठी सभी निवासी श्री कृष्ण पेठ, अमरावती, (महाराष्ट्र) (अन्तरक)

2. (1) श्रीमती कमलाबाई पत्नी श्री कान्तीलाल सावरिया (2) श्रीमती कल्पना सांवरिया पत्नी श्री भारत सावरिया दोनो निवासी नाहरपारा, रायपुर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का, जो आयकर अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

ओपन प्लाट नं० 2/3 ब्लाक नं० 94, क्षेत्रफल 28288.54 वर्गफुट स्थित लक्कड गंज, न्यू हास्पिटल वार्ड, रायपुर।

रा० कु० बाली,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण,
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 3-7-1978

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 1978

निदेश सं० आई० ए० सी० एक्सी०/भोपाल/78-79/1053—

अतः मुझे, रा० कु० बाली

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है,

और जिसकी सं० प्लाट है, तथा जो इन्दौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 14-11-77 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैसर्स दयाल मोटर्स द्वारा पार्टनर श्री गुरचरण चड्डा पुत्र श्री प्रकाश चन्द्र चड्डा निवासी नव-रतन बाग, इन्दौर (अन्तरक)

2. (1) श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह चौधरी (2) श्री वीरेन्द्र सिंह (3) श्री सुरेन्द्र सिंह दोनों पुत्र श्री धनसिंह चौधरी (4) श्रीमती स्नेहलता पत्नी श्री नरेन्द्र सिंह चौधरी सभी निवासी श्रीनगर कालोनी, इन्दौर (5) श्रीमती हर्ष बाला पत्नी श्री बालकृष्ण गामके, निवासी 298, शिवाजी नगर, इन्दौर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 11 स्थित विक्टरी स्टेट कालोनी, रतलाम कोठी, इन्दौर।

रा० कु० बाली,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भोपाल।

तारीख : 3-7-1978

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एम० एम०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3-7-1978

सं० आई० ए० सी० एक्वी०/भोपाल-78-79/1054—अतः मुझे, रा० कु० बाली,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी स० प्लाट है, तथा जो इन्दौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय इन्दौर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 28-11-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें, भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था; या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. सरदार जोधा सिंह पुत्र श्री भैयालाल निवासी 31/2 नार्थ राज मोहल्ला, इन्दौर (अन्तरक)

2. श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री देवेन्द्र कुमार निवासी "सुनील सदन" शास्त्री कालोनी जावरा (म० प्र०) (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट न० 1-ए० स्थित सीता बाग कालोनी, इन्दौर।

रा० कु० बाली,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 3-7-1978

मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 1978

निदेश सं॰ आई॰ ए॰ सी॰ एक्वी॰/भोपाल/78-79/1055 —अतः मुझे, रा॰ क॰ बाली

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु॰ से अधिक है

और जिसकी सं॰ मकान है, तथा जो इन्दौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 14-12-1977 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री बखतराम पुत्र श्री हीला राम जी पन्जानी निवासी 6, काटजू कालोनी, इन्दौर (अन्तरक)

2. श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री गुलाबराम मदनानी निवासी 58, प्रेम नगर कालोनी, इन्दौर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो; के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं॰ 6 पर बना मकान स्थित काटजू कालोनी, इन्दौर।

रा॰ कु॰ बाली
सक्षम प्राधिकारी
(निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 3-7-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय; सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, तारीख 3 जुलाई 1978

निदेश सं० आई० ए० सी० एक्वी०/भोपाल /78-79/1056—यत: मुझे, रा० कु० बाली आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि है, तथा जो रतलाम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, रतलाम में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 7-11-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और (अन्तरिती) (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्री समीर मल (2) श्री इन्द्र मल (3) श्री शान्ती लाल (4) श्री श्रेणीक लाल सभी पुत्र श्री रतनलाल मान्डोत (5) श्री कमल कुमार पुत्र श्री सिरेमल जी कतारिया, सभी निवासी चांदनी-चौक, रतलाम (अन्तरक)

2. (1) श्री श्रेणीक कुमार (2) श्री सिरेमल (3) श्री धीरज मल (4) श्री अमृत लाल (5) श्री संतोष कुमार (6) श्री अशोक कुमार सभी पुत्र श्री रखबचन्द्र मूणत निवासी त्रिपोलिया गेट, चांदनी चौक, रतलाम (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली भूमि माप 26.07 × 19.67 वर्गमीटर स्थित मोहल्ला लक्कड़पीठा, रतलाम।

रा० कु० बाली
सक्षम प्राधिकारी
(निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 3-7-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, तारीख 3 जुलाई 1978

निदेश सं० आई० ए० सी० एक्वी/भोपाल 78-79/1057—अतः मुझे, रा० कु० बाली

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० मकान है, तथा जो इन्दौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, (1908 का 16) के अधीन तारीख 7-11-1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती ऊषा पाठक पत्नी श्री प्रभात पाठक निवासी 370 साकेत नगर इन्दौर (अन्तरक)

2. श्रीमती सुखनन्दन बालिया पत्नी श्री डी० एस० बालिया 94 रेडियो कालौनी इन्दौर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान स्थित प्लाट नं० 9 साकेत नगर इन्दौर।

रा० कु० बाली
सक्षम प्राधिकारी
(निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 3-7-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, तारीख 3-7-1978

निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्वी०/भोपाल-78-79/1058 —अतः मुझे, रा० कु० बाली

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० मकान है, तथा जो इन्दौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर मे, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 7-11-1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए, अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्री केशव गोविन्द नायक निवासी 179, पालसीकर कालोनी इन्दौर (अन्तरक)

2. श्रीमती द्रोपदीबाई पत्नी नन्द कुमार जी, निवासी 53, पालसीकर कालोनी, इन्दौर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 179, का तल मंजिल, पालसीकर, कालोनी इन्दौर ।

रा० कु० बाली
सक्षम प्राधिकारी
(निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 3-7-1978
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 1978

निदेश सं० आई० ए० सी० एक्सी/भोपाल 7-8-79/1059—अतः मुझे, रा० कु० बाली

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० मकान है तथा जो इन्दौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 8-11-1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री गोकुलदास पुत्र श्री कन्हैयालाल जी मुछाल निवासी 274, जवाहर मार्ग, इन्दौर

(अन्तरक)

2. श्री सैफुद्दीन पुत्र श्री कादिर भाई, (2) श्री अब्दुल तरमेय कादर भाई बोहरा दोनों निवासी, 61, बोहरा बाजार, इन्दौर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 274 का पश्चिमी भाग, जवाहर मार्ग, इन्दौर।

रा० कु० बाली
सक्षम प्राधिकारी
(निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त)
अर्जन रेंज, भोपाल।

तारीख : 3-7-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख 6-7-1978

निर्देश स० आई० ए० सी० एक्वी०/भोपाल/78-79/1060—

यतः मुझे, रा० कु० बाली

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० कृषि भूमि है, तथा जो दुर्ग में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दुर्ग मे, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 23-11-1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है, और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसा किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री सरदार इन्द्रजीत सिंह पिता कबूल सिंह जोहल निवासी मोहन नगर दुर्ग (अब यू० एस० ए० मे रहते हैं) (अन्तरक)
2. श्रीमती भागवती बाई बेवा श्री हजारीमल वर्मा निवासी दीपक नगर, दुर्ग (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

2.340 हैक्टर, भूमि, खसरा नं० 202/12, ग्राम सिकोजा तहसील एवं जिला दुर्ग 1.099 हैक्टर भूमि, खसरा नं० 146/3. ग्राम करहीडीह तहसील एवं जिला दुर्ग।

रा० कु० बाली
सक्षम प्राधिकारी
(निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 6-7-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख 6-7-1978

निदेश सं० आई० ए० सी० एक्वी०/भोपाल/78-79/1061—

अतः मुझे, रा० कु० बाली

प्राधिकारी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसका सं० मकान है, तथा जो उज्जैन में स्थित है (और इससे उपबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, उज्जैन में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन.

तारीख 30-11-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. (1) श्री एजाज भाई पुत्र श्री अमगर भाई (2) श्री बाल मुकन्द पुत्र श्री हरनाम दोनों निवासी फुब्वारा चौक, उज्जैन (3) श्री कासम भाई पुत्र श्री मोहम्मद भाई (4) श्री द्वारकादास पुत्र श्री दौलत राम, पाटनी बाजार (5) श्री प्रेम नारायण पुत्र श्री पूनमचन्द गर्ग सर्राफा (6) दुर्गाप्रसाद पुत्र श्री शिवप्रसाद, दौलत गंज (7) कैलाश चन्द्र पुत्र श्री जवाहर लाल, सर्राफा (8) श्री सत्येन्द्र कुमार पुत्र श्री फतहलाल सेठी, क्षीर सागर, (8) श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री भगवानदास बुदवारिया (10) डूगरमल पुत्र श्री इरकचन्द्र महाजन माधोनगर उज्जैन।

(अन्तरक)

2. देवीबाई पत्नी श्री बूलचन्द्र जी ललवानी सिंधी निवासी माधव नगर, उज्जैन (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

तीन मंजिला मकान म्युनिसिपल नं० 6/105 स्थित 6 तात्याटोपे मार्ग, माधोनगर, उज्जैन।

रा० कु० बाली
सक्षम प्राधिकारी
(निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 6-7-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)]

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनाक 6 जुलाई 1978

निर्देश स० आई० ए० सी०/एक्सी०/भोपाल/78-79/1062—

अतः मुझे, रा० कु० बाली

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट है, तथा जो इन्दौर मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 7-11-1978

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री नारायण दास पिता श्री मोहर चन्द्र निवासी 1/1 पारसी मोहल्ला, इन्दौर। (अन्तरक)
2. श्री शान्तीनाथ जैन, चेरीटेबल ट्रस्ट, इन्दौर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 3, मोहन नगर, इन्दौर।

रा० कु० बाली,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
(निरीक्षण सहायक आयकर आयुक्त)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 6-7-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 1978

निदेश सं० आई० ए० सी० /एक्वी०/भोपाल/78-79/1063 अतः मुझे, रा० कु० बाली, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० मकान है, तथा जो इन्दौर मे स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर मे, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 9-11-1978 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री केशव गोविन्द नायक निवासी 159, पालसीकार कालोनी, इन्दौर। (अन्तरक)

2. श्रीमती रानी बाई पत्नी श्री मनोहरलाल जी, निवासी 535, पालसीकार कालोनी इन्दौर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दुमंजिला मकान स्थित प्लाट नं० 179, पालसीकार कालोनी, इन्दौर (भाग)

रा० कु० बाली,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख: 6-7-1978
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनाक 6 जुलाई 1978

निदेश सं० आई० ए० सी० /एक्वी०/भोपाल/78-79/1064—अतः, मुझे रा० कु० बाली

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० मकान है, तथा जो इन्दौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 17-11-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल के, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री सुरेन्द्र सिंह पिता श्री राजेन्द्र सिंह, निवासी 1/1 साउथ तुकोगंज, इन्दौर (अन्तरक)
2. श्री राम नारायण पिता श्री नन्दलाल निवासी 54, मल्लारगंज, इन्दौर (अन्तरिती)
3. श्री सुनील कुमार भटनागर किरायादार भू-तल पर (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान न० 1/1, साउथ तुकोगंज, इन्दौर।

रा० कु० बाली
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज भोपाल

तारीख : 6-7-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 1978

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्वी०/भोपाल/78-79/1065—अतः मुझे, रा० कु० बाली

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० मकान है, तथा जो इन्दौर मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मे इन्दौर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन,

तारीख 23-11-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है ।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय का बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को, जिन्हे भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. डी० एस० लोनकर पुत्र श्री आनन्द राव लोनकर निवासी 227, श्रीनगर कालोनी, इन्दौर
(अन्तरक)

2 श्रीमती लक्ष्मीबाई पत्नी श्री सूरजमल सलेजा निवासी 227, श्री नगर कालोनी, इन्दौर
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों मे से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्लाट नं० 227 पर बना मकान स्थित श्री नगर कालोनी, इन्दौर (भाग)

रा० कु० बाली
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 6-7-1978
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 1978

निदेश सं० आई०ए० सी० एक्वी०/भोपाल 78-79/1066—अतः मुझे, रा० कु० बाली

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० मकान है, तथा जो जबलपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जबलपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 8-11-1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री नईम खां पुत्र श्री अब्दुल अजीज खां (2) हाजी अब्दुल अजीज खां पुत्र श्री इमाम खां निवासी नया मोहल्ला, जबलपुर (अन्तरक)

(2) श्री निर्मल कुमार अग्रवाल, पुत्र श्री शंकरलाल अग्रवाल, निवासी 340, वार्ड गंज, जबलपुर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दो मंजिला मकान, म्यूनिसिपल नं० 1632 व 4632/ए० एरिया 3752 वर्गफुट जोकि डाईवर्टेट प्लाट नं० 749 पर बना है स्थित नेपियर टाउन, जबलपुर।

रा० कु० बाली,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भोपाल।

तारीख : 6-7-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ध(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 1978

निदेश सं० आई० ए० सी० एक्वी०/भोपाल/78-79/1090—अतः मुझे, रा० कु० बाली

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है

और जिसकी सं० मकान है तथा जो जबलपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जबलपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 20-12-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269ध की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्रीमती अन्नपूर्णा बाई, निवासी राइत टाउन, जबलपुर (अन्तरक)
2. सरदार अमर सिंह (2) श्रीमती के० सौभाग्य वती (3) सरदार ईशर सिंह, निवासी मोदी बाडा, जबलपुर छावनी (अन्तरिती)
3. (1) श्री भाटिया (2) श्री बन्ध्योपाध्याय (3) श्री परमार (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 1186 स्थित मोदी बाड़ा, जबलपुर छावनी।

रा० कु० बाली,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भोपाल।

तारीख : 5-8-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 1978

निदेश सं० आई० ए० सी० एक्वी०/भोपाल-78-79/1071—अतः मुझे, रा० कु० बाली

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० मकान है, तथा जो जबलपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जबलपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 28-12-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री एम० बी० डिग्वेकर पुत्र श्री भीखा जी डिग्वेकर निवासी 1310 ए०, राइट टाउन, जबलपुर

(अन्तरक)

2. (1) श्री राज कुमार (2) श्री रूप कुमार पुत्र श्री रतनचन्द्र सर्राफ (3) श्री बीरेन्द्र कुमार (अवयस्क) पुत्र श्री रतनचन्द्र सर्राफ निवासी ग्राम सिहोरा तह० सिहोरा जिला जबलपुर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मकान नं० 1313, 1314, राइट टाउन, जबलपुर (क्षेत्रफल 5428 वर्गफुट) जो कि जो कि डाईवर्जन प्लाट नं० 581 पर बना है शीट नं० 154 सी० सुभाष नगर म्युनिसिपल प्लाट नं० 8/1।

रा० कु० बाली
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 5-8-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 1978

निदेश सं० आई० ए० सी० एक्वी०/भोपाल/78-79/1072—

अतः मुझे, रा० कु० बाली

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० मकान है, तथा जो रायपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय रायपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 20-12-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है ।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री बृज लाल भाई पुत्र श्री स्व० रतनसी ग्रेट इस्टर्न रोड, मोव हुपारा रायपुर (अन्तरक)

2. (1) श्री कन्हैया लाल (2) श्री प्रभु राम (3) श्री किशन लाल आहूजा आत्मजा स्व० कवंर लाल आहूजा निवासी शारदा चौक, रायपुर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

तीन मंजिला मकान नं० 5/217 जो कि ब्लाक नं० 77 प्लाट नं० 2/28 एरिया 627 वर्ग फुट तथ जमीन ब्लाक नं० 77 प्लाट नं० 2/26 एरिया 718 वर्ग फुट स्थित मोहापारा वार्ड, रायपुर।

रा० कु० बाली
सक्षम प्राधिकारी
(निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 5-8-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 1978

निदेश सं० आई० ए० सी० एक्वी०/भोपाल 78-79/1073—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० मकान है, तथा जो मुडवाडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मुडवाडा में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 16) के अधीन, तारीख 26-12-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री नारायण प्रसाद पुत्र श्री घनश्याम प्रसाद मिश्रा निवासी ओझा वार्ड, मंडला (अन्तरक)

2. (1) श्री अर्जुन दास (2) श्री आसूदोमल पुत्र श्री नारायण दास पंजवानी निवासी शिवाजी वार्ड, मुडवाडा। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान म्युनिसिपल नं० 78, 78/1,78/2, 78/3 व 78/4 स्थित मालवीय गंज, मुडवाडा।

रा० कु० बाली
सक्षम प्राधिकारी
(निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 5-8-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5-8-1978

निदेश सं० आई० ए० सी० एक्वी० /भोपाल 78-79/1074—अत: मुझे, रा० कु० बाली

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रू० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट है, तथा जो भोपाल मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भोपाल में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 23-12-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसा किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री भीषम लाल पुत्र श्री कन्हैया लाल द्वारा पावर आफ एटार्नी श्रीमति विद्याबाई पत्नी श्री कन्हैया हलवानी निवासी डबरा (अन्तरक)

2. श्री शमीम एहमद साहब पुत्र श्री अनीस अहमद साहब निवासी पुत्र बोबदा, भोपाल (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 11 बी० क्षेत्रफल 8500 वर्गफुट स्थित भोपाल आइल एण्ड फ्लोर मिल्स के अन्दर, चिंसी, जहांगीराबाद, भोपाल।

रा० कु० बाली
सक्षम प्राधिकारी
(निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख: 5-8-1978
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)

की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

दिनांक 5 अगस्त 1978

निदेश सं० आई०ए० सी० एक्वी०/भोपाल/78-79/1095—अतः मुझे, रा० कु० बाली

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट है, तथा जो भोपाल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भोपाल में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 23-12-1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री रानोमल जी पुत्र श्री बाटोमल जी निवासी इन्दौर हाल मुकाम शाहजहांबाद, भोपाल (अन्तरक)

2. श्री शमीम अहमद पुत्र श्री अनीस अहमद साहब निवासी पुल बोग्दा, भोपाल (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 11 ए० क्षेत्रफल 7850 वर्ग फुट स्थित भोपाल आइल एण्ड फ्लोर मिल्स के अन्दर, जिसी जहांगीराबाद, भोपाल।

रा० कु० बाली
सक्षम प्राधिकारी
(निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 5-8-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, दिल्ली-1

4/14 क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 8 अगस्त 1978

निदेश सं० आई० ए० सी० एक्वी०/1/एस० आर०- 3/202/नव० 1/(20)77-78/20 72—अतः मुझे, जे० एस० गिल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० कृषि भूमि है, तथा जो सुलतान पुर दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 8-11-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री राजपाल पुत्रगण श्री धनीराम गांव सुलतानपर (दिल्ली) (अन्तरक)

2. श्री गुरू सरन पुत्र श्री हकुमत राय (2) मोहम्मद हनीफ पुत्र चांद खान निवासी खुरैजी खास, दिल्ली (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि योग्य भूमि 4 बीघा 16 विश्वास जिनका नं० 558 जो कि कमरे के साथ (चौकीदार का कमरा) है जो कि गांव सुलतानपुर दिल्ली में है।

जोगिन्दर सिंह गिल
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, दिल्ली, नई दिल्ली

तारीख: 8 अगस्त, 1978
मोहर:

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 19th July 1978

No. F. 6/78-SCA(I).—The Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to appoint Shri P. S. Parvatheesam, Officiating Stenographer Grade 'B' of the Department of Social Welfare and permanent Stenographer Grade 'C' of the Ministry of Communication, Government of India, as an Officiating Private Secretary to the Hon'ble Judge, Supreme Court of India, with effect from the forenoon of 15th July, 1978, until further orders.

MAHESH PRASAD
Deputy Registrar (Admn. I)
Supreme Court of India

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110011, the 2nd August 1978

No. A. 32013/2/77-Admn. I.—The Chairman, Union Public Service Commission, hereby appoints Dr. D. N. Prasad, Associate Professor of the NDRI and officiating as Under Secretary in the office of the Union Public Service Commission to the post of Deputy Secretary in the office of the Union Public Service Commission on *ad hoc* basis with effect from the forenoon of 2-8-1978 to 1-11-78 or until further orders, whichever is earlier, *vide* proviso to Regulation 4 read with Regulation 7 of the Union Public Service Commission (Staff) Regulations, 1958, amended uptodate.

P. N. MUKHERJEE
Under Secy.
for Chairman
Union Public Service Commission

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DEPTT. OF PERSONNEL & A. R.

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi, the 2nd August 1978

F. No. A-19036/15/78-Ad. V.—The Director, C.B.I. & IGP/SPE hereby promotes Shri S. R. Agarwal, Inspector of Police, C.B.I. to officiate as Dy. S.P., C.B.I., S.P.E. with effect from the forenoon of 15-7-78 in a temporary capacity until further orders.

F. No. A-19036/16/78-Ad. V.—The Director C.B.I. & I.G.P., SPE hereby promotes Shri S. A. Hyder Naqvi, Inspector of Police, C.B.I. to officiate as Dy. Supdt. of Police in the C.B.I., SPE with effect from the forenoon of 20-7-78 in a temporary capacity until further orders.

F. No. A-19036/17/78-Ad. V.—The Director, C.B.I. & I.G.P./S.P.E. hereby promotes Shri Umesh Inspector of Police C.B.I. to officiate as Dy. Supdt. of Police C.B.I., S.P.E. with effect from the afternoon of 20-7-78 in a temporary capacity until further orders.

The 4th August 1978

No. A-19021/2/75-Ad. V.—Shri C. Anajneya Reddy, IPS (1966-Andhra Pradesh) on deputation to C.B.I. as Superintendent of Police relinquished charge of his office on the afternoon of 4-7-78.

2. On relief from the C.B.I., the services of Shri Reddy have been placed at the disposal of the Government of Andhra Pradesh.

M. K. AGARWAL
Administrative Officer (A)
C.B.I.

New Delhi, the 3rd August 1978

No. 21021/15/78-Ad. I.—Consequent upon his promotion, Deputy Inspector General of Police, Special Police Establishment, hereby appoints Shri C. Sadish Chandran, Sub-Inspector of Police in the Delhi Special Police Establishment Division of the Central Bureau of Investigation as Inspector, ECW/Bombay Branch in a temporary capacity, with effect from the afternoon of 19-6-78 until further orders.

JARNAIL SINGH
Administrative Officer (E)
Central Bureau of Investigation

DIRECTORATE GENERAL CRP FORCE

New Delhi-110001, the 7th August 1978

No. O. II-1024/72-Estt.—The President is pleased to accept the resignation tendered by Shri Deepak Chopra, Dy. S.P. of C.R.P.F. (on deputation to Directorate of Coordination Police Computers) with effect from 31-7-78 (AN).

A. K. BANDYOPADHYAY
Assistant Director (Adm.)

OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL

CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-110019, the 31st July 1978

No. E-38013(2)/1/78-Pers.—On transfer to Baroda Shri D. S. Treasure relinquished the charge of the post of Commandant, CISF Unit BALCO Korba with effect from the forenoon of 17th July 1978.

The 3rd August 1978

No. E-16013(2)/6/77-Pers.—On transfer on deputation from UP Police Shri Daljit Singh assumed the charge of the post of Commandant CISF Unit, NFL, Naya Nangal (Punjab) with effect from the forenoon of 8-6-78.

No. E-16014(3)/1/77-Pers.—On repatriation to Delhi Police, Shri Kailash Chander Behl relinquished the charge of the post of Asstt. Commandant CISF Trg. Reserve, New Delhi with effect from the afternoon of 30th June 1978.

No. E-16013(1)/1/78-Pers.—On transfer on deputation Shri Shiv Mohan Singh IPS (MP-1954) assumed the charge of the post of Dy. Inspector-General, CISF, NW/Zone, New Delhi with effect from the forenoon of 7th July 1978 *vice* Shri S. V. Singh IPS (MP-1955) who on repatriation to the State Cadre relinquished the charge of the said post with effect from the same date.

No. E-16013(1)/1/78-Pers.—On transfer on deputation Shri B. R. Sur IPS (MP-54), assumed the charge of the post of Dy. IG/CISF, Bokaro Steel Ltd., Bokaro with effect from the forenoon of 10th July 1978.

No. E-16013(1)/1/78-Pers.—On transfer on deputation Shri Maharaj Singh IPS (MP-56) assumed charge of the post of Dy. IG/CISF, Bhilai Ispat Ltd., Bhilai, with effect from the forenoon of 10th July 1978.

No. E-38013(2)/1/78-Pers.—On transfer from Calcutta Shri A. C. Roy, assumed the charge of the post of Commandant. CISF Unit, BCCL, Jharia with effect from the forenoon of 20-5-1978.

No. E-38013(2)/1/78-Pers.—On transfer from Barauni Shri Ashok Darbari, IPS (MP-68), assumed the charge of the post of Commandant, CISF Unit, Calcutta Port Trust, Calcutta with effect from the forenoon of 5-6-78.

No. E-38013(2)/1/78-Pers.—On transfer to Hardwar Shri Daljit Singh relinquished the charge of the post of Commandant CISF Unit, NFL Naya Nangal with effect from the afternoon of 30th June 1978.

No. E-38013(3)/1/78-Pers.—On transfer to Hardwar Shri Inder Mohan relinquished the charge of the post of Asstt. Commandant CISF Unit, ISRO Thumba with effect from the afternoon of 11-5-78.

No. E-38013(3)/1/78-Pers.—On transfer from Durgapur Shri N. K. Khaiuria assumed the charge of the post of Asstt. Commandant CISF Unit Calcutta Port Trust, Calcutta with effect from the forenoon of 22nd June 1978.

No. E-38013(3)/1/78-Pers.—The President is pleased to appoint Inspector B. P. Dubey to officiate as Asstt. Commandant, CISF Unit, IPCL Baroda on *ad hoc* basis and assumed the charge of the same post with effect from the afternoon of 10-6-78.

No. E-38013(3)/1/78-Pers.—The President is pleased to appoint Inspector R. N. Sarkar to officiate as Asstt. Commandant, CISF Unit, N.P. & P.C. Ltd., Nagaland on *ad-hoc* basis and assumed the charge of the said post with effect from the forenoon of 6-6-78.

No. E-38013(3)/1/78-Pers.—On transfer from Hardwar, Shri R. K. Bhagat, assumed the charge of the post of Asstt. Commandant, CISF Unit, BHEL, Khailar, Jhansi with effect from the forenoon of 27th May 1978.

No. E-38013(3)/1/78-Pers.—On transfer from Rourkela Shri Bhupinder Singh Rana, assumed the charge of the post of Asstt. Commandant, CISF Unit IOC Mathura Refinery Project, Mathura w.e.f. the forenoon of 10-5-78.

No. E-38013(3)/1/78-Pers.—The President is pleased to appoint Inspector Krishan Kumar Sharma to officiate as Asstt. Commandant CISF Unit, RSP Rourkela on *ad hoc* basis and assumed the charge of the same posts with effect from the forenoon of 5-6-78.

No. E-38013(3)/1/78-Pers.—On transfer from Namrup Shri P. P. Mitra assumed the charge of the post of Asstt. Commandant, CISF Unit DSP Durgapur with effect from the forenoon of 13-6-78.

No. E-38013(3)/1/78-Pers.—The President is pleased to appoint Shri N. G. D. Gupta to officiate as Asstt. Commandant, CISF Unit, BCCL Jharia on *ad-hoc* basis and assumed the charge of the said post with effect from the forenoon of 25th May 1978, while on camp at Hyderabad.

2. This supersedes earlier Notification of even number dated 5-7-78.

No. E-38013(3)/1/78-Pers.—The President is pleased to appoint Inspector A. S. R. Reddy to officiate as Asstt. Commandant, CISF Unit, MPT Madras on *ad hoc* basis and assumed the charge of the said posts with effect from the forenoon of 5-6-78.

R. C. GOPAL
Inspector-General/CISF

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

New Delhi, the 1st August 1978

No. 2/1/75-RG(Ad-1).—The President is pleased to appoint Shri S. K. Agarwal, Assistant Director of Census Operations (Technical) in the office of the Director of Census Operations, Haryana at Chandigarh and at present working as Deputy Director of Census Operations, on *ad-hoc* basis, in the office of the D.C.O. Uttar Pradesh at Lucknow, as Deputy Director of Census Operations, in the office of the D.C.O. Uttar Pradesh, Lucknow, with the headquarters continue to be at Lucknow, on regular basis, in a temporary capacity, with effect from the forenoon of 26 June, 1978, until further orders.

No. 2/1/75-RG(Ad. I).—The President is pleased to appoint Shri M. M. Dua, Assistant, Director of Census Operations (Technical) in the office of the Registrar General, India, at New Delhi as Deputy Director of Census Operations in the same office, with his headquarters at New Delhi, on regular basis, in a temporary capacity with effect from the forenoon of 4 July, 1978, until further orders.

No. 2/1/75-RG(Ad. I).—The President is pleased to appoint Shri P. C. Sharma, Assistant Director of Census Operations (Technical) in the office of the Director of Census Operation, Punjab, Chandigarh, and at present working as Deputy Director of Census operations, on *ad hoc* basis, in the office of the D.C.O. Punjab Chandigarh, as Deputy Director of Census Operations, in the office of the D.C.O. Punjab at Chandigarh, with the headquarters continue to be at Chandigarh, on regular basis, in a temporary capacity, with effect from the forenoon of 28 June, 1978, until further orders.

No. 2/1/75-RG(Ad. I).—The President is pleased to appoint Shri S. S. S. Jaiswal, Assistant Director of Census Operations (Technical) in the office of the Registrar General, India at New Delhi and at present working as Deputy Director of Census Operations, on *ad-hoc* basis, in the office of the D.C.O., Uttar Pradesh at Lucknow, as Deputy Director of Census Operations, in the office of the D.C.O. Uttar Pradesh at Lucknow, with the headquarters continue to be at Lucknow, on regular basis, in a temporary capacity, with effect from the forenoon of 26 June, 1978, until further orders.

No. 2/1/75-RG(Ad.I).—The President is pleased to appoint Shri K. C. Suri, Assistant Director of Census Operations (Technical) in the office of the Director of Census Operation Punjab at Chandigarh and at present working as Deputy Director of Census Operations, on *ad-hoc* basis, in the office of the D.C.O. Himachal Pradesh, Simla as Deputy Director of Census Operations, in the office of the D.C.O. Himachal Pradesh at Simla, with the headquarters continue to be at Simla, on regular basis, in a temporary capacity, with effect from the forenoon of 27 June, 1978, until further orders.

P. PADMANABHA, Registrar General, India.

MINISTRY OF FINANCE

(Deptt. of E.A.)

INDIA SECURITY PRESS, NASIK ROAD

Nasik Road, the 31st July 1978

No. 781/A.—In continuation of Notification No. 485/A dated 30-4-1978, the *ad hoc* appointments of S/Shri J. H. Sayyad & R. Venkataraman as Deputy Control Officers, India Security Press, Nasik Road are extended for a further period upto 30-9-78 on the same terms & conditions or till posts are filled on a regular basis, whichever is earlier.

D. C. MUKHERJEA, General Manager.

DEPTT. OF ECONOMIC AFFAIRS

BANK NOTE PRESS: DEWAS (MP)

Dewas (MP), the 6th August 1978

F. No. BNP/C/5/78.—Shri S. K. Mathur, a permanent Inspector Control is appointed to officiate as Deputy Control Officer on *ad hoc* basis in the Bank Note Press, Dewas for a period of 3 months with effect from the Forenoon of 25-7-78 or till the post is filled on regular basis whichever is earlier.

M. V. CHAR, Dy. General Manager

DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT

Office of the Controller General of Defence Accounts

New Delhi, the 5th August, 1978.

No. 40011(2)/78/AN-A—(1) The undermentioned Accounts officers were/will be transferred to the Pension Establishment with effect from the afternoon of the date shown against each on their attaining the age of Superannuation.

Sl. No.	Name with Roster Number	Grade	Date from which transferred to Pension Establishment.	Organisation
1	2	3	4	5
	S/Shri			
1.	C. Vasudevan P/7 . .	Permanent Accounts Officer	30-11-78	Controller of Defence Accounts Southern Command Poona.

1	2	3	4	5
2.	Narindra Nath Varma P/44 .	Permanent Accounts Officer	30-6-78	Controller of Defence Accounts (Other Ranks), North, Meerut.
3.	K. Subramaniam P/53 . .	Do.	31-7-78	Controller of Defence Accounts, Centre Command, Meerut.
4.	Hardayal Singh P/69 . .	Do.	31-7-78	Controller of Defence Accounts, Central Command, Meerut.
5.	A. Sivaramiah P/73. . .	Do.	31-10-78	Controller of Defence Accounts, Southern Command, Poona.
6.	Nand Kishore Khanna P/81 .	Do.	30-6-78	Controller of Defence Accounts, (Other Ranks), North, Meerut.
7.	Tarlok Nath Kakar P/89 .	Do.	30-11-78	Controller of Defence Accounts, (Air Force), Dehra Dun.
8.	Ram Parkash Sawhney P/90 .	Do.	31-8-78	Controller of Defence Accounts, (ORS) North Meerut.
9.	Braham Dev P/95 . .	Do.	30-11-78	Controller of Defence Accounts (Pensions), Allahabad.
10.	G. Sankara Rao P/114 . .	Do.	31-10-78	Controller of Defence Accounts, Southern Command, Poona.
11.	Maqsoodan Lal P/202 . .	Do.	31-12-78	Controller of Defence Accounts, Western Command Meerut.
12.	P. D. Deshmukh P/217 .	Do.	31-12-78	Controller of Defence Accounts, (Other Ranks), South Madras.
13.	G. Seshagiri Rao P/231 . .	Do.	31-10-78	Controller of Defence Accounts (Navy) Bombay.
14.	Niranjan Lal P/236	Do.	30-9-78	Controller of Defence Accounts, Central Command, Meerut.
15.	Harbans Lal Oberoi P/239 .	Do.	31-10-78	Joint Controller of Defence Accounts (Funds) Meerut.
16.	G.N. Natatajan P/243 . .	Do.	31-12-78	Controller of Defence Accounts (Officers Poona.
17.	A. B. Banerjee P/245 . .	Do	31-10-78	Controller of Defence Accounts (Factories) Calcutta.
18.	Sailendra Nath Ganguly P/246	Do.	31-10-78	Controller of Defence Accounts (Factories), Calcutta.
19.	R. P. Singh P/254 . .	Do.	30-11-78	Controller of Defence Accounts (Pensions), Allahabad.
20.	M. K. Thyagarajan P/266 .	Do.	31-12-78	Controller of Defence Accounts, Central Command, Meerut.
21.	N. Kanthakrishnan P/279 .	Do.	30-11-78	Controller of Defence Accounts (Pensions), Allahabad.
22.	M. L. Tyagi P/300 . .	Do.	31-12-78	Controller of Defence Accounts (Factories), Calcutta.
23.	K. Ramadorai P/338 . .	Do.	30-9-78	Controller of Defence Accounts Southern Command, Poona.
24.	Puran Chand Sirpaul P/344 .	Do.	31-12-78	Controller of Defence Accounts, Central Command, Meerut.
25.	M. M. Datta P/370 . .	Do.	31-12-78	Controller of Defence Accounts, Central Command, Meetut.
26.	Sripati Bhattacharjee P/399 .	Do.	31-7-78	Controller of Defence Accounts (Othter Ranks), North, Meerut.
27.	P. N. Narasimhan P/405 .	Do.	31-12-78	Controller of Defence Accounts, Southern Command, Poona.
28.	K P. Vishwanathan P/409 .	Do.	31-7-78	Controller of Defence Accounts, (Navy), Bombay.
29.	Hari Krishan Lal P/468 .	Do.	30-11-78	Controller of Defence Accounts, (Air Force), Dehra Dun.
30.	M. C. Lukose P/451 .	Do.	30-11-78	Controller of Defence Accounts (Other Ranks) Madras.
31	P. Krishnaswamy P/491	Do.	30-11-78	Controller of Defence Accounts, (Pensions), Allahabad.
32.	Niranjan Sen Gupta P/511	Do.	30-11-78	Controller of Defence Accounts (Factories), Calcutta.
33.	Shian Lal Sharma P/539 .	Do.	30-9-78	Controller of Defence Accounts (Factories), Calcutta.

1	2	3	4	5
34.	Joga Singh P/602 . .	Permanent Accounts Officer	30-6-78	Controller of Defence Accounts, Southern Command, Poona.
35.	Rajaram Verma P/626 . .	Do.	31-12-78	Controller of Defence Accounts, Central Command, Meerut.
36.	P. Ramamohan P/628 . .	Do.	30-9-78	Controller of Defence Accounts, Southern Command, Poona.
37.	Sasanka Mohan Deb P/629 .	Do.	31-12-78	Controller of Defence Accounts, (other Ranks), North, Meerut.
38.	Prem Chand Sharma P/645 .	Do.	31-8-78	Controller of Defence Accounts, Western Command, Meerut.
39.	Mukund Lal Sehgal O/65 .	Officiating Account Officer	31-12-78	Controller of Defence Accounts, Central Command, Meerut.
40.	E. M. Warriot O/69 . .	Do.	31-12-78	Controller of Defence Accounts, (Navy), Bombay.
41.	Chintamani Jetly (O/93) .	Do.	30-9-78	Controller of Defence Accounts, Central Command, Meerut.
42.	V. Seshagiri Rao O/97 . .	Do.	30-9-78	Controller of Defence Accounts, Southern Command, Poona.
43.	M. M. Ganguly O/108 . .	Do.	31-10-78	Controller of Defence Accounts, (Factories), Calcutta.
44.	Kanwal Nain Malhotra O/129	Do.	31-8-78	Controller of Defence Accounts, Central Command, Meerut.
45.	A. W. Godbole O/140 . .	Do.	30-6-78	Controller of Defence Accounts, Central Command, Meerut.
46.	P. L. Mehrotra O/208 .	Do.	31-7-78	Controller of Defence Accounts (Other Ranks), North, Meerut.
47.	N. R. Bharadwaj O/217 .	Do.	31-12-78	Controler of Defence Accounts, Central Command, Meerut.
48.	M. K. Kumthekar O/299 .	Do.	31-12-78	Controller of Defence Accounts (Officers), Poona.
49.	G. K. Mahinderkar O/300 .	Do.	31-8-78	Controller of Defence Accounts, (Other-Ranks), South Madras.
50.	Gopal Chand Vashist O/NYA	Do.	31-10-78	Controller of Defence Accounts, Western Command, Meerut.
51.	K.K. Sachdeva O/NYA .	Do.	30-11-78	Controller of Defence Accounts (Air Force) Dehra Dun.
52.	K. Lakshminarayanan O/NYA	Do.	30-6-78	Controller of Defence Accounts (Other Ranks) South, Madras.
53.	Y. R. Shelke O/NYA . .	Do.	31-10-78	Controller of Defence Accounts, (Other Ranks), South, Madras.
54.	R. D. Bhatnagar O/NYA .	Do.	31-7-78	Controller of Defence Accounts, Central Command. Meerut.
55.	K. Varadarajan O/NYA .	Do.	31-12-78	Controller of Defence Accounts, (Navy) Bombay.

R. VENKATARATNAM
Dy. Controller General of Defence Accounts (PERS)

MINISTRY OF DEFENCE

DIRECTORATE GENERAL, ORDNANCE FACTORIES

INDIAN ORDNANCE FACTORIES SERVICE
CORRIGENDUM

Calcutta, the 5th August 1978

No. 34/G/78.—Entries against serial No. 7 of the Gazette Notification No. 57/G/76 dated 28/7/76 may be substituted as under :—

Name and Designation Date

7. Shri D. K. Sarkar—12th Feb, 1976 (under 'Next below rule') Pt. Dy. Manager.

V. K. MEHTA, Asstt., Director General, Ordnance Factories

DIRECTORATE GENERAL FACTORY ADVICE SERVICE AND LABOUR INSTITUTES, SION, BOMBAY-22.

Bombay-22, the 3rd July, 1978

No. 5/11/78-Adm.—Director General, Factory Advice Service and Labour Institute, Bombay is pleased to appoint Shri U. B. Parelkar substantively to the post of Inspector (Architect) in the Directorate General Factory Advice Service and Labour Institute organisation with effect from 15th April, 1976.

A. K. CHAKRABARTY, Director General.

MINISTRY OF LABOUR

COAL MINES LABOUR WELFARE ORGANISATION

Dhanbad, the 31st July 1978

No. P. 8(25)67.—In exercise of the powers conferred by Sub-rule (1)(a) of Rule 5 of the Coal Mines Labour Welfare

Fund Rules 1949, the Coal Mines Labour Welfare Fund Advisory Committee hereby appoints Shri S. Roy, Chief Controller of Accounts, Eastern Coalfields Ltd. Sanctoria, Disergarh as member of the Finance Sub-Committee constituted in the notification No. P.8(25)67 dated 23-12-1975 *vice* Shri B. L. Wadehra and makes the following amendment in the said notification viz :—

For the entry 'Sl. No. 2 Shri B. L. Wadehra Mg. Director, Central Coalfields Ltd. Darbhanga House Ranchi' the entry sl. no. 2 Shri S. Roy, Chief Controller of Accounts, Eastern Coalfields Ltd., Sanctoria Disergarh, Burdwan" shall be substituted.

H. H. QURAISHY, Addl. Coal Mines Welfare Commissioner Dhanbad.

MINISTRY OF COMMERCE

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS & EXPORTS,

New Delhi, the 21st June 1978

IMPORT AND EXPORT TRADE CONTROL

ESTABLISHMENT

No. 6/1228/77-Admn(G)/4422.—The Chief Controller of Imports & Exports hereby apoints Shri D. K. Bhatacharya, formerly Assistant Director in the erstwhile Directorate of Exhibitions and Commercial Publicity in the Ministry of Commerce, as Controller of Imports and Exports in the office of the Deputy Chief Controller of Imports and Exports, Faridabad, in an officiating capacity with effect from the 17th March, 1978, until further orders.

2. As Controller of Imports & Exports, Shri D. K. Bhattacharya will draw his pay according to the Rules in the pay scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1200.

T. T. LA, Dy. Chief Controller of Imports & Exports.
for Chief Controller of Imports & Exports.

MINISTRY OF INDUSTRY

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

OFFICE OF THE TEXTILE COMMISSIONER

Bombay-20, the 3rd August 1978

No. CER/3/78.—In exercise of the powers conferred on me by Clause 22 of the Cotton Textiles (Control) Order, 1948, I hereby make the following further amendment to the Textile Commissioner's Notification No. CER/3/69 dated the 19th September, 1969, namely :—

In the said notification :—

In paragraph VII for item (6) the following shall be substituted namely :—

"(6) the exact percentage of each of the different type of fibres used in the yarn as illustrated below :—

Cotton	60%
Polyester fibre	40%

Provided that when the percentage of any fibre is less than 2% of the total fibre content in the yarn, the percentage of such fibre need not be stamped.

NOTE : The example given above, is only for the purpose of illustration. Manufacturers shall stamp actual percentage of cotton content or artsilk or wood content as the case may be, in the yarn, expressed as percentage to the total fibre content, by weight of yarn. In case, where artsilk fibre is used as one of the components, its generic name, for example, nylon, polyester, acrylic, viscose etc., as the case may be, shall be stamped as indicated in the illustration above.

No. 10(1)/73-78/CLB II.—In exercise of the powers conferred on me by Clause 4A of the Cotton Control Order, 1955, I hereby rescind the Textile Commissioner's Notification No. 10(1)/73-76/CLB.II, dated the 5th August, 1976.

2. Notwithstanding the rescission of the said Notification, the quantity of cotton that can be held by a manufacturer shall continue to be regulated by the Textile Commissioner's Notification No. 10(1)/73-74/CLB II dated the 19th December, 1974.

No. CLB II/10(2)/77-78.—In exercise of the powers conferred on me by Clause 14A and other relevant provisions of the Cotton Control Order, 1955, I hereby make the following amendment to the Textile Commissioner's Notification No. CLB.II/10(1)/73-76 dated the 11th October, 1976, namely :—

In the said notification, Direction No. (1) shall be deleted.

G. S. BHARGAVA
Jt. Textile Commissioner

DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES & DISPOSALS

(Administration Section A-1)

New Delhi-1, the 5th August 1978

No. A-1/2(360).—The President is pleased to appoint Shri M. Sundararaman, who has been officiating as Director (Grade I of the Indian Supply Service, Group 'A') in the Directorate General of Supplies and Disposals, New Delhi on *ad hoc* basis with effect from the 1st February 1978 to officiate as Director (Grade I of the Indian Supply Service, Group 'A') in the Dte. of Supplies and Disposals, Madras on regular basis from the forenoon of the 9th March, 1978 and until further orders.

No. A-1/2(360).—The President is pleased to appoint Shri M. A. B. Chughai, who has been officiating as Director (Grade I of Indian Supply Service, Group 'A') in the Dte. of Supplies and Disposals, Bombay on *ad hoc* basis with effect from 1-7-1977 to officiate as Director (Grade I of Indian Supply Service, Group 'A') in the same Directorate at Bombay on regular basis with effect from 9-3-78 and until further orders.

No. A-1/1(836).—The President is pleased to appoint Shri S. Farukh Hamid, Assistant Director (Grade I) (Grade III of Indian Supply Service, Group 'A') in the Directorate General of Supplies and Disposals, New Delhi to officiate on *ad hoc* basis as Deputy Director of Supplies (Grade II of the Indian Supply Service, Group 'A') in the same Directorate General at New Delhi with effect from the forenoon of the 14th July, 1978 and until further orders.

SURYA PRAKASH,
Dy. Director (Administration)
for Director General of Supplies & Disposals.

FILMS DIVISION

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

Bombay-26, the 4th August 1978

No. 6/85/54-Est.I.—The Chief Producer, Films Divisin, has appointed Shri M. S. V. Vinod Babu, officiating Salesman, Films Division, Bombay to officiate as Branch Manager, Films Division, Distribution Wing, Bombay with effect from forenoon of 31-7-1978.

M. CHANDRAN NAIR,
Administrative Officer
for Chief Producer.

DIRECTORATE OF ADVERTISING & VISUAL PUBLICITY

New Delhi-1, the 4th August 1978

No. A-20012/4/71-Exh (A).—The Director of Advertising and Visual Publicity hereby appoints Shri G. C. Banik to officiate as Field Exhibition Officer in the Field Exhibition

Office of this Directorate at Jorhat with effect from 15-7-78 (A.N.), until further orders.

R. DEVASAR,
Deputy Director (Admn.)
for Director of Advtg. & Visual Publicity.

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 1st August 1978

No. A. 12026/6/77-DC.—The President is pleased to appoint Dr. S. C. Sharma, Biochemist, Central Drugs Laboratory, Calcutta, to the post of Deputy Director, in the same laboratory with effect from the forenoon of 1st July, 1978, until further orders.

Dr. S. C. Sharma relinquished the charge of the post of Biochemist, Central Drugs Laboratory, Calcutta, on the same day.

SANGAT SINGH,
Dy. Director Administration.

New Delhi, the 5th August 1978

No. A. 12025/15/77-Admn.I.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Dr. Kuldip Kaushik to the post of Dental Surgeon at the C.G.H.S. Allahabad, with effect from the forenoon of 16th March, 1978, in an officiating basis and until further orders.

S. L. KUTHIALA.
Dy. Director Administration (O&M).

INDIAN POSTS AND TELEGRAPHS DEPARTMENT

OFFICE OF THE GENERAL MANAGER

MADRAS TELEPHONES

Madras-600001, the 2nd August 1978

No. AST/AE-5/IV.—The General Manager, Madras Telephone District, is pleased to appoint the undermentioned Junior Engineers to officiate as Assistant Engineers in local arrangement in Madras Telephone District for the period mentioned against each.

Sl. No.	Name	Date of promotion to TES Group B		Date of reversion to parent cadre.	
1.	Sri K. G. Sundaresan	10-2-78	AN	30-3-78	FN
2.	Sri B. S. Nagarajan	10-2-78	AN	30-3-78	FN
3.	Sri R. Sampath	13-3-78	FN	30-4-78	AN
4.	Sri S. E. Jayabalan	10-4-78	FN	27-5-78	FN
5.	Sri M. E. Lakshmanan	13-4-78	FN	1-6-78	FN
6.	Sri E. V. Natesan	22-4-78	FN	6-6-78	AN
7.	Sri N. S. Kandaswamy	22-4-78	FN	6-6-78	AN
8.	Sri R. Pushpanathan	1-5-78	FN		
9.	Sri R. Appadurai	1-5-78	FN		
10.	Sri S. Arulanandam	1-5-78	FN		
11.	Sri K. S. Ramamurthy	15-5-78	FN		
12.	Sri N. V. Varadarajulu Chetty	15-5-78	FN		
13.	Sri D. Thiruvateeswaran	23-5-78	FN	20-6-78	FN
14.	Sri R. Sankaran	23-5-78		—	
15.	Sri S. V. Subramanian	5-6-78			
16.	Sri N. Sampath	12-6-78	FN		
17.	Shri B. Shanmugham.	21-6-78	FN		
18.	Shri N. Palaniswamy	21-6-78	FN	19-7-78	FN
19.	Sri S. Ramaswami	26-6-78	FN	15-7-78	FN
20.	Sri N. Dasu	20-6-78	FN	—	
21.	Sri R. Janakiraman	24-6-78	FN	17-7-78	FN

K. RAJAGOPALAN
Asstt. General Manager (Admn.)
for General Manager

KRISHI AUR SINCHAI MANTRALAYA

(KRISHI VIBHAG)

VISTAR NIDESHALAYA

New Delhi, the 31st July 1978

No. F. 2-11/77-Estt.(1).—The *ad hoc* appointment of Shri N. Sivarama Krishnan in the post of Assistant Exhibition Officer (Gr. I) is further continued beyond 28th February 1978 and upto 26th July, 1978.

I. J. KAPUR,
Director of Administration.

(DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT)

DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION,

Faridabad, the 2nd August 1978

No. A. 19023/6/78-A.III.—The resignation tendered by Shri S. S. Tripati from the post of Marketing Officer in this Directorate has been accepted with effect from 26-9-77 (A.N.).

J. S. UPPAL,
Agricultural Marketing Adviser

Faridabad-121001, the 4th August 1978

No. A-19024/9/78-A.III.—Shri A. A. S. Prakasa Rao, Senior Chemist, is appointed to officiate as Chief Chemist at Cochin w.e.f., 10-7-1978 (F.N.), on purely short-term basis, for a period not exceeding three months or till the post is filled on regular basis, whichever is earlier.

No. A.19025/21/78-A.III.—Shri T. G. Shahani, Assistant Marketing Officer (temporary) (under suspension) has been removed from service in accordance with the Central Civil Service (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, with effect from 1-7-1978 (F.N.).

The 5th August 1978

No. A.19023/59/78-A.III.—Shri K. S. Nishal, Assistant Marketing Officer, is appointed to officiate as Marketing Officer (Group II) at New Delhi with effect from 3-7-1978 (F.N.) on purely short-term basis for a period of 3 months or until regular arrangements are made, whichever is earlier.

2. On his promotion as Marketing Officer, Shri Nishal relinquished charge of the post of Assistant Marketing Officer at New Delhi in the forenoon of 3-7-1978.

No. 19023/66/78-A.III.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, Shri K. K. Nambiar is appointed to officiate as Marketing Officer (Group I) in the Directorate of Marketing and Inspection at Faridabad with effect from 31-7-1978 (Forenoon), until further orders.

B. L. MANIHAR
Director of Administration,
for Agricultural Marketing Adviser

PREINVESTMENT SURVEY OF FOREST RESOURCES

Dehra Dun-248001, the 5th August 1978

No. 6-1/78-Adm.—Shri B. K. Basu, Assistant Conservator of Forests, Andaman & Nicobar Islands on deputation as Assistant Conservator of Forests in the Preinvestment Survey of Forest Resources, Eastern Zone, Calcutta, relinquished charge of the post in question on the afternoon of 27th May, 1978. The services of Shri Basu stand replaced at the disposal of the Andaman & Nicobar Islands on the expiry of his leave from 29-5-78 to 19-7-78.

C. L. BHATIA
Chief Coordinator

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

NARORA ATOMIC POWER PROJECT

Narora, the 18th July 1978

No. NAPP/Adm/1(18)/78/S.—Chief Project Engineer, Narora Atomic Power Project has approved the appointment

of Shri P. Venugopalan, an officiating Asst. Personnel Officer in this office as Administrative Officer-II in the scale of pay of Rs. 840—40—1000—EB—40—1200 with effect from the forenoon of May 24, 78 to the afternoon of July 17, 78 in the same Project in a temporary capacity on *ad hoc* basis *vice* Shri R. P. Haran, Administrative Officer-II transferred to the VEC Project, Calcutta, and posted as Administrative Officer-III.

G. G. KULKARNI
Sr. Administrative Officer
Narora Atomic Power Project

Narora, the 21st July 1978

No. NAPP/Adm/1(81)/78-S.—Consequent on his tendering resignation, Shri Taj Mohammed, a permanent Draftsman 'C' in the PPED pool and an officiating Scientific Officer/Engineer Grade SB in the Narora Atomic Power Project relinquished charge of his post with effect from the afternoon of June 23, 1978.

S. KRISHNAN
Administrative Officer

DIRETORATE OF PURCHASE AND STORES

Bombay-400001, the 5th August 1978

No. DPS/23/8/77-Est./20690—Director, Purchase & Stores, Department of Atomic Energy appoints the following persons in the Directorate of Purchase & Stores to officiate as Assistant Accounts Officers in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-880-EB-40-960, on an ad hoc basis, in the same Directorate for the period as shown against each.

1. Shri J. G. Sathe Assistant Accountant	from 17-3-78 to 9-6-78
2. Shri A. M. Parulkar Assistant Accountant	from 27-4-78 to 3-6-78
3. Shri A. Mascarenhas Assistant Accountant	from 8-5-78 to 9-6-78
4. Shri V. G. Pimpalkhare Assistant Accountant	from 10-5-78 to 9-6-78
5. Shri Darshan Singh Divisional Accountant	from 15-5-78 to 23-6-78

B. G. KULKARNI
Assistant Personnel Officer

NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500 762, the 5th August 1978

ORDER

Ref : NFC/PA.V/20/1215.—WHEREAS it was alleged that :

Shri M. Kanaka Raju, while employed as Wet Cleaner, MES, is in the habit of remaining absent from duty without prior permission and thus causing dislocation of work. The said Shri Kanaka Raju remained absent on 18 occasions in 1974, 10 occasions in 1975 and 5 occasions in 1976, without sufficient cause.

The said Shri Kanaka Raju has further been remaining unauthorisedly absent from duty with effect from 30-11-1976.

By his aforesaid behaviour, the said Shri Kanaka Raju has committed acts of misconduct by remaining unauthorisedly absent from duty in terms of para 34 and indulging in habitual absenteeism in term of para 39(5) of the NFC Standing Orders.

AND WHEREAS the said Shri Kanaka Raju was informed of the charges levelled against him, vide memo No. NFC/PA.V/20/3376 dated 14-11-1977, wherein he was given an opportunity to make representation against the proposed action within a period of 7 days from the date of receipt of the said memo,

AND WHEREAS the said memo was returned undelivered by the postal authorities with the remark 'party left the station without instructions',

AND WHEREAS as required under para 41.2(ii) of the NFC Standing Orders, an inquiry committee was constituted to conduct the inquiry, vide Order No. NFC/PA.V/20/49 & 50 dated 6-1-1978,

AND WHEREAS the notice dated 9-1-1978 issued by the Inquiry Officer asking Shri Kanaka Raju to attend the inquiry proceedings on 20-1-1978, was returned undelivered by postal authorities with the remark "party left the address without instructions",

AND WHEREAS the said Shri Kanaka Raju did not turn up for the inquiry,

AND WHEREAS the inquiry proceedings were held ex parte,

AND WHEREAS the inquiry officer submitted the inquiry report on 20-1-1978 holding the charges framed against the said Shri Kanaka Raju as proved,

AND WHEREAS the undersigned after considering the inquiry report and the gravity of the misconduct came to the provisional conclusion that the said Shri Kanaka Raju is not a fit person to be retained in service and should be removed,

AND WHEREAS, vide memo No. NFC/PA.V/20/239 dated 30-1-1978 sent by registered post, the said Shri Kanaka Raju was informed of the provisional conclusion and given an opportunity to make representation if any against imposition of the penalty of removal within ten days from receipt of the said memorandum,

AND WHEREAS the said memo dated 30-1-1978 was acknowledged by the said Shri Kanaka Raju on 10-2-1978,

AND WHEREAS the said Shri Kanaka Raju failed to submit any representation against the proposed penalty of removal,

AND WHEREAS the undersigned has come to the final conclusion that the penalty of removal should be imposed on the said Shri Kanaka Raju,

NOW, THEREFORE, the undersigned in exercise of the powers conferred under para 43 of the NFC Standing Orders read with DAE Order No. 28(1)/67-Adm dated 3-12-1970, hereby orders that the said Shri Kanaka Raju be removed from service with immediate effect.

P. UNNIKRISHNAN
Senior Administrative Officer

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 28th July 1978

No. A.32013/4/78-EA.—The President has been pleased to appoint Shri S. C. Joshi, Aerodrome Officer to the grade of Senior Aerodrome Officer, at Headquarters, on purely *ad hoc* basis for the period from 19-6-78 to 17-8-78 *vice* Shri N. K. Tripathi, granted leave.

The 1st August 1978

No. A.32013/5/77-EA.—The President has been pleased to appoint Shri Chanan Singh, Aerodrome Officer to the grade of Senior Aerodrome Officer, in the Air Routes & Aerodromes Organisation of the Civil Aviation Department, in an officiating capacity, with effect from the 24th July 1978 and until further orders. Shri Chanan Singh is posted at Civil Aerodrome, Agartala.

V. V. JOHRI
Asstt. Director of Administration

New Delhi, the 8th August 1978

No. A.19014/147/72-E.I.—Shri S. Dayal, Technical Officer, Air Safety, Civil Aviation Department, New Delhi, died while in service on the 9th June, 1978.

No. A.32013/10/77-E.I.—The Director General of Civil Aviation is pleased to appoint with the concurrence of the Union Public Service Commission Shri S. K. Chakraborty, Officiating Senior Librarian (Permanent Librarian) in this

Department to the post of Chief Librarian (Group 'B' Gazetted) in this Department in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200, for a period from 14-6-78 to 31-10-78 in continuation of this Department Notification No. A.32013/10/77-E(I), dated 14-12-1977.

P. C. JAIN
Asstt. Dir. of Admn.

MINISTRY OF ENERGY

(DEPARTMENT OF POWER)

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

THERMAL POWER STATION PERSONNEL TRAINING INSTITUTE

New Delhi-110044, the 27th June 1978

Memorandum

No. Est/36/TPSPTI/78/81-88.—In pursuance of the proviso to sub-rule (1) of rule 5 of the Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1965, I hereby terminate forthwith the services of Shri Govind Ram, Safaiwala of this Institute and direct that he shall be paid a sum equivalent to the amount of pay and allowances for a period of one month (in lieu of the period of notice) calculated at the same rate at which he was drawing them immediately before the date on which this order is served on or, as the case may be, tendered to him.

J. K. BHASIN
Director

CENTRAL WATER COMMISSION

New Delhi, the 31st July 1978

No. A-19012/688/78-Adm.V.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the Chairman, Central Water Commission hereby appoints Shri Mohan A. Ketkar to the post of Assistant Research Officer (Engineering-Telecommunication) in the Central Water & Power Research Station, Pune, in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 w.e.f. the forenoon of 29th June, 1978.

2. Shri Ketkar will be on probation for a period of two years w.e.f. 29-6-78.

No. A-32014/1/77-Admn. V (Vol. II)—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee (Group-B), Chairman, Central Water Commission hereby appoints the following officers, presently officiating on ad-hoc basis as extra Assistant Director Assistant Engineer in the Central Water Commission, on a regular basis in the same grade in the pay scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200, with effect from the dates shown against each :—

Sl. No.	Name of Officer	Date of regular appointment
1.	Shri G. Ranga Rao	2-11-77 (FN)
2.	Shri Mohan Kumar	30-6-78 (FN)

2. The above mentioned officers will be on probation in the post of Extra Assistant Director/Assistant Engineer, for a period of two years with effect from the dates shown against each.

No. A-32014/1/77-Adm.V(Vol.II).—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee (Group-B), Chairman, Central Water Commission hereby appoints Shri Kailash Chander, Supervisor who satisfy all the conditions of the 'Next Below Rules', while on deputation/foreign service to ex-cadre post to Chukha Hydel Project, Bhutan, to the grade of Extra Assistant Director/Assistant Engineer, in the pay scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200, in absentia, in an officiating capacity with effect from the forenoon of 30th June, 1978.

2. Shri Kailash Chander will be on probation for a period of two years with effect from the date he assumes charge of the post of Extra Assistant Director/Assistant Engineer in the Central Water Commission on reversion from foreign service.

The 4th August 1978

No. A-19012/731/78-Adm.V.—The Chairman, Central Water Commission, hereby appoints Shri N. M. Mahajan, Research Assistant, to the post of Assistant Research Officer (Physics) in the Central Water and Power Research Station, Pune, in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 on a purely temporary and *ad hoc* basis w.e.f. the forenoon of 12th July, 1978 upto 30th September, 1978 or till the post is filled on regular basis, whichever is earlier.

No. A-19012/732/78-Adm.V.—The Chairman, Central Water Commission, hereby appoints Shri M. D. Kamble, Research Assistant, to the post of Assistant Research Officer (Physics) in the Central Water and Power Research Station, Pune, in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 on a purely temporary and *ad hoc* basis with effect from the forenoon of 12th July, 1978 upto 30th September, 1978 or till the post is filled on regular basis, whichever is earlier.

J. K. SAHA
Under Secy.
Central Water Commission.

CENTRAL GROUND WATER BOARD

Faridabad, the 2nd August 1978

No. 3-538/78-Estt.(E).—Shri R. M. Ansari is appointed to the post of Stores Officer, G. C. S. Group 'B' (Gazetted) in the scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-1200 on temporary basis in Central Ground Water Board, Faridabad w.e.f. 28-7-1978(FN) till further orders.

AJIT SINGH
Chief Engineer & Member.

CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT

OFFICE OF THE DIRECTOR-GENERAL (WORKS)

New Delhi, the 4th August 1978.

No. 23/2/77-EC. II.—The following Officers of Central Public Works Department, on attaining the age of superannuation, have retired from Government service on 31st July, 1978 (A.N.) :

Name	Present designation
1. Shri D. Patwary	Executive Engineer, 'D' Division, Central Public Works Department, New Delhi.
2. Shri Ranbir Singh	Executive Engineer, P. W. D. Division No. X (DA), New Delhi.
3. Shri K. Ramachandran	Executive Engineer, Madras Central Division No. I, C. P. W. D., Madras.

S. S. P. RAU
Deputy Director of Administration
For Director-General (Works)

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

New Delhi-22, the 28th July 1978

No. 6/6/78-Admn.II.—The Chairman Central Electricity Authority hereby appoints the undermentioned Supervisors to the grade of Extra Assistant Director/Assistant Engineer of the Central Power Engineering (Group B) Service in an officiating capacity with effect from the dates shown against their names :—

1. Shri S. K. Aggarwal.—31-3-78 (Forenoon)
2. Shri G. S. K. Nair.—21-3-78 (Forenoon)
3. Shri A. K. Dudeja.—21-3-78 (Forenoon)
4. Shri Kuldip Singh.—31-3-78 (Afternoon)

S. BISWAS
Under Secy.

INTEGRAL COACH FACTORY

GENERAL MANAGER'S OFFICE

PERSONNEL BRANCH/SHELL

Madras-38, the 29th July 1978

No. PB/GG/9/Misc.—Shri J. S. RUKMANGATHAN (P.F. No. 48546), Officiating Chief Design Assistant/Electrical (Class III) has been promoted to officiate as Assistant Electrical Engineer/Design/MTP (Class II) with effect from 3-4-1978.

Shri G. Rajamani (P.F No. 48422), Officiating Assistant Works Manager/Electrical (Class II) has been confirmed in Class II service in scale of Rs. 650—1200 (RS) from 16-1-1978.

Shri M. SUBBA RAO (SC), (P.F. No. 48420), Officiating Shop Superintendent/Elec./Shop-29 (Class III) has been promoted to officiate as Assistant Works Manager/Electrical (Class II) with effect from 26-4-1978.

Shri T. A. RAMACHANDRAN (P.F. No. 20101), Officiating Senior Electrical Engineer/Maintenance (S.S) has been promoted to officiate as Deputy Chief Personnel Officer (J.A.) from 26-4-1978.

Shri G. RAJAMANI, Assistant Electrical Engineer/Inspection (Class II) has been promoted to officiate as Works Manager/Electrical (S.S.) from 28-4-1978 to 10-6-1978.

Shri N. VELLAPPAN PILLAI, (P.F. No 21781), Officiating Shop Superintendent, Shop-22 (Class III) has been promoted to officiate as Assistant Production Engineer/PC/S (Class II) with effect from the afternoon of 29-4-1978.

Shri C. A. KRISHNAMURTHY (P.F. No. 40038), Officiating Deputy Controller of Stores (J.A.), has been relieved on the afternoon 2-5-1978 to carry out his transfer as Joint Director, Railway Stores (P), Railway Board.

Shri R. SUNDARAM (P.F. No. 22510), Section Officer (Class III), FA & CAO's Office has been promoted to officiate as Assistant Accounts Officer/Costing/Shell (Class II) with effect from 3-5-1978.

Shri S. ASHOK (P.F. No 48396), Officiating Chief Design Assistant/Electrical (Class III), has been promoted to officiate as Assistant Electrical Engineer/Material Planning (Class II) (*ad hoc*) from 4-5-78.

Shri SYED NEAMATHULLAH (P.F. No. 21463), Officiating Assistant Works Manager/A/F (Class II) has been promoted to officiate in Senior Scale and posted as Officiating Works Manager/A.II/Shell (S.S.) from 11-5-78 to 13-6-1978.

Shri N. C. RAMAKRISHNAN (P.F. No. 42469), Officiating Shop Superintendent/Shop-16 (Class III) has been promoted to officiate as Assistant Production Engineer/PR/S (Class II) from 11-5-1978.

Shri M. N. KRISHNAMOORTHY (P.F. No. 22509), Officiating Assistant Accounts Officer/Furnishing (Class II) has been promoted to officiate as Senior Accounts Officer/Shell (S.S.) from 15-5-1978.

Shri J. RAJAN (S.C.) (P.F. No. 44166), Section Officer/Stores/Accounts (Class III) has been promoted to officiate as Assistant Accounts Officer/Furnishing (Class II) from 15-5-1978.

Shri S. JAGADEESAN (P.F. No. 48397), Officiating Assistant Shop Superintendent/Shop 45 (Class III) has been promoted to officiate as Assistant Electrical Engineer/I (Class II) (*ad-hoc*) from 12-5-1978.

Shri T. R. NATARAJAN, Officiating Deputy Controller of Stores (J.A.) on transfer from D.L.W./Varanasi reported in this Administration and posted as Deputy Controller of Stores from 17-5-1978.

Shri K. K. VERGHEESE (P.F. No. 21488), Officiating Shop Superintendent/Shop-30 (Class III) has been promoted to officiate as Assistant Works Manager/M/F (Class II) from 25-5-1978.

Shri K. S. DASTHAGIR (P.F. No. 40049), Officiating Executive Engineer (S.S.) has been promoted to officiate as officiating Deputy Chief Engineer (J.A.) from 27-5-1978.

Shri V. R. RAMANATHAN (P.F. No. 20202), Officiating Secretary to General Manager (S.S.) who has been holding his lien in Junior Scale in I.R.S.S. Cadre of this Administration has been confirmed in Senior Scale from 6-6-1978.

Shri S. CHIDAMBARAM (P.F. No. 48010), Officiating Senior Electrical Engineer/M (SS), (*ad-hoc*) has been reverted to Class II service and posted as Assistant Electrical Engineer/Construction (Class II) from 10-6-1978 (A.N.).

Shri S. MASTHAN (S.C.), (P.F. No. 57740), Officiating Shop Superintendent/Inspection/Elec. (Class III) has been promoted to officiate as Assistant Electrical Engineer/Liaison-II (Class II) (ad-hoc) from 13-6-78.

Shri B. MAHADEVAN (P.F. No. 48407), Officiating Shop Superintendent/P.C./Elec. (Class III) has been promoted to officiate as Assistant Electrical Engineer/Inspection (Class II) (*ad-hoc*) from 15-6-1978.

Shri R. VINAYAKAMURTHY (P.F. No. 20937), an Officer of the I.R.S.M.E., has been confirmed in Senior Scale from 12-6-1978.

Shri V. NARAYANASWAMY (P.F. No. 22121), Officiating Production Engineer/Progress/Fur. has finally retired from service on 30-6-1978.

Shri B. F. MESHRAM (S.C.), (P.F. No. 42441), Officiating Shop Superintendent, Shop-42 (Class III) has been promoted to officiate as Assistant Mechanical Engineer/DPD (Class II) from 6-7-1978.

S. VENKATARAMAN,
Deputy Chief Personnel Officer
for General Manager

CHITTARANJAN LOCOMOTIVE WORKS

Chittaranjan, the 3rd August 1978

No. GMA/GS/8 (Med.)—The following Doctors of this administration are confirmed as Assistant District Medical Officer in Class I service in the cadre of Medical Department of Chittaranjan Locomotive Works with effect from 1-1-73 (F/N) :—

Sl No.	Name of the Doctor.	The post against which Confirmed
1.	Dr. S. K. Chatterjee	ADMO (Indoor)
2.	Dr. Asit Kumar Banerjee	ADMO (Pathology)
3.	Dr. A. B. Roy	ADMO (Indoor)
4.	Dr. M. C. Sarkar	ADMO (Indoor)
5.	Dr. S. K. Das	ADMO (Outdoor)
6.	Dr. H. B. Tapadar	ADMO (Chest Clinic)
7.	Dr. A. Moitra	ADMO (Public Health)
8.	Dr. S. Bhattacharjee	ADMO (Outdoor)
9.	Dr. Ajit Kumar Banerjee	ADMO (Outdoor)
10.	Dr. K. P. Biswas	ADMO (Anaesthesiology)
11.	Dr. D. B Sen	ADMO (Outdoor)
12.	Dr. A. M. Biswas	ADMO (Indoor)
13	Dr. (Miss) P. Mutsuddi	ADMO (Indoor)

K. RAMAN,
General Manager

NORTHERN RAILWAY

HEADQUARTERS OFFICE

BARODA HOUSE

New Delhi, the 2nd August 1978

No. 28 —The following Officer of Northern Railway, have finally retired from service from the dates noted against each :—

1. Shri J. P. Sharma, Asstt. Personnel Officer—31-8-76 (AN).

2. Shri T. P. Kapoor, Dy. Chief Personnel Officer—30-6-77 (AN).
3. Shri S. C. Mukherjee, Asstt. Personnel Officer—30-6-77 (AN).
4. Shri V. D. Vasisth, Asstt Personnel Officer—30-6-77 (AN).
5. Shri A. C Jain, Asstt. Personnel Officer—30-9-77 (AN).
6. Shri B. L. Madhok, Divl. Personnel Officer—28-2-78 (AN).

No. 29.—The following officers of Northern Railway have finally retired from service from the date noted against each :—

1. Shri R. N. Nigam Asstt : Vigilance Officer.—28-2-77 AN
2. Shri R. K. Bahadur, Law Officer.—31-7-77 AN.
3. Shri O. P. Chopra, Sr. Deputy General Manager.—31-8-77 AN.
4. Shri O. P. Mehta, Asstt. Commercial Publicity Officer.—31-8-77 AN.
5. Shri B. D. Ahuja, Asstt. Secy. to General Manager.—30-9-77 AN
6. Shri G. H Keswani, General Manager.—31-5-78 AN.

R. SRINIWASAN

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(DEPTT. OF COMPANY AFFAIRS)
COMPANY LAW BOARD
OFFICE OF THE REGISTRAR

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Tulsi Bvilders Enterprises Pvt. Ltd.

Ahmedabad. the 1st August 1978

No. 1962/560.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Tulsi Bvilders Enterprises Pvt Ltd Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s Sanghvi Wire Industries Private

Ahmedabad, 1st August 1978

No. 1976/560.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sanghvi Wire Industries Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s Special Bearing Pvt Ltd

Ahmedabad, 1st August 1978

No. 2163/560.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s Special Bearings Pvt. Ltd. has this day been struck off the Register and the said company is dissolved

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Tulsi Investment Gujarat Private Limited

Ahmedabad, 1st August 1978

No. 2215/560.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Tulsi Investment Gujarat Ltd has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

J. V. V. ATHA,
Registrar of Companies,
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Rungta Straw Board & Paper Products Private Limited.

Gwalior, the 29th July 1978

No. 1245 A/560(5).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rungta Straw Board & Paper Products Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Indore Bottling Company Limited

Gwalior, the 29th July 1978

No. 1252/A/560(5).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Indore Bottling Company Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Eastern Refab Technology Private Limited.

Gwalior, the 29th July 1978

No. 1270/A/560(5).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Eastern Refab Technology Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

S. K. SAXENA,
Registrar of Companies
Madhya Pradesh, Gwalior.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Aakash Chit Fund & Trading Co. Pvt. Ltd.

New Delhi, the 5th August 1978

No. 3816/14308.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Aakash Chit Fund & Trading Co. Pvt. Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the Company will be dissolved.

H. V. KHANNA,
Asstt. Registrar of Companies
Delhi & Haryana

OFFICE OF THE OFFICIAL LIQUIDATOR

TERMINATION NOTICE

New Delhi, the 3rd July 1978

No. PF/PDP/OL.—In pursuance of Sub-Rule (1) of Rule 5 of the Central Civil Service (Temporary Service) Rules 1965, I hereby give notice to Shri Punya Dev Parkash, peon of the Office of the Official Liquidator, Delhi that his services shall stand terminated after one month from the date of publication of this notice in the Gazette.

S. C. MITTAL,
Official Liquidator, Delhi.

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF WEALTH/GIFT-TAX

New Delhi, the 29th August 1978

WEALTH TAX/GIFT TAX

F. No. JUR-DLI/II/78-79|17356.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8AA of Wealth-tax Act, 1957 and 7AA of Gift-tax Act, 1958, the Commissioner of Wealth-tax/Gift-tax Delhi. II, New Delhi hereby directs that all or any of the powers or functions conferred on or assigned to the wealth-tax officer/Gift-tax officers Co. Circle XXIV and Distt. VI(13), New Delhi in respect of any area or persons or classes of persons or incomes or classes of income, or cases or classes of cases shall be exercised or performed concurrently by the I.A.C. Range-II-E.

2. For the purpose of facilitating the performance of the functions Commissioner of Wealth-tax/Gift-tax, Delhi. II New Delhi also authorises the Inspecting Assistant Commissioner of Wealth-tax/Gift-tax Range-II-E to pass such orders as contemplated in sub-section (2) of Section 8AA of wealth-tax Act/7AA of Gift-tax Act.

3. This notification shall take effect from 1-8-1978.

A. C. JAIN
Commissioner of Income tax,
Delhi-II, New Delhi.

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX DELHI-III

New Delhi, the 29th July 1978

ORDER

Distribution of work load amongst T.R.Os —

F. No. Jur. DLI/III/77-78/17478—In supersession of all previous orders on the subject the commissioner of Income-tax, Delhi-III, New Delhi, hereby directs that the T. R. Os mentioned below shall perform their duties in respect of the Ranga/Districts/Circles as mentioned in Column 3 of the Schedule below. This order shall be effective from 1st August, 1978.

Schedule

S. No.	Designation	Income-tax District/Circles
1	2	3
1.	T.R.O.V., New Delhi.	Distt. V(1), V(2), V(3), V(4), V(5), V(6), V(7), V(8), V(9), V(10), V(13), V(15), V (15) Addl., V(18), New Delhi, V(14) and Addl. Survey Circle IV.
2.	T.R.O.VIII	Distts. VIII(1), VIII(2), VIII(4), VIII(6), VIII(7), VIII(8), VIII(9), VIII(10), VIII(11), VIII(12), VIII(16), VIII(17), and IAC, Range-IV-D (Assessment).
3.	T.R.O.-XIV	Distts. X(1), X(2), X(4), X(6), X(7), X(8), X(9), X(10), X(12), X(13) and Survey Circle-IV, New Delhi.
4.	T.R.O.X.	Distts. V(11), V(12), V(16), VIII(3), VIII(5), VIII(13) VIII(14), VIII(15), X(3),, X(11), Spl. Cir. VI, Spl. Cir. VI, Addl., Spl. Cir. X, Spl. Cir. XIV. Spl. Cir. XVI, New Delhi.

INCOME-TAX

F. N. JUR-DLI/III/77-78/17407—In partial modification of this office Notification F. N. JUR-DLI/III/77-78/17407, dated 19-4-1977 and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 123 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other enabling powers in this behalf, the Commissioner of Income-tax, Delhi-III, New Delhi, hereby directs that the Inspecting Assistant Commissioners of Income-tax mentioned in Col. 1 of the Schedule herein-below shall perform all the functions of an Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax under the said Act in respect of such area or of such person or classes of persons or of such income or classes of income or of such cases or classes of cases as fall within the jurisdiction off the Income-tax Officers of the Districts/Circles mentioned in column 2 of the said Schedule :—

Schedule

Range	Income-tax Districts/Circles
1	2
I.A.C. Range-VI-A	Distts. V(1), V(2), V(3), V(4), V(5), V(6), V(7), V(8), V(10), V(9), V(13), V(14), V(15), V (15) Addl. and V(18), New Delhi and Addl. Survey Cicrle IV. T.R.O.-V, New Delhi.
I.A.C., Range-IV-B	Distts.VIII(1) VIII(2), VIII(4), VIII(6), VIII(7), VIII(8), VIII(9), VIII(10), VIII(11), VIII (12), VIII(16) and VIII(17), New Delhi. T.R.O.-VIII, New Delhi.
I.A.C. Range-IV-C	Distts X(1), X(2), X(4), X(6), X(7), X(8), X(9), X(10), X(12), X(13), and Survey Circle-VI, New Delhi. T.R.O.-XIV, New Delhi.
I.A.C. Range-IV-E	Distts-V(11), V(12), V(16), VIII(3), VIII(5), VIII(13), VIII(14), VIII(15), X(3), X(11), Spl. Circle-VI, Spl. Circle-VI Addl. Spl. Circle, X, Spl. Circle-XIV, Spl. Circle-XVI, New Delhi. T.R.O-X, New Delhi.

This order shall take effect from 1st August, 1978.

S. V. DEVA,
Commissioner of Income-Tax,
Delhi-III, New Delhi.

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, DELHI-IV

New Delhi, the 29th July 1978

CORRIGENDUM

No. JUR-DLI-IV/78-79/17303.—Substitute 1|7|78 in place of 1-7-77 in the last line of this office notification No. JUR/DLI|IV|IAC|78-79|9868 dated 1-7-78. No modification is necessary in the Hindi script of the said notification.

A. J. RANA,
Commissioner of Income-tax,
Delhi-IV, New Delhi.

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 3rd August 1978

Ref. No. RAC. No. 112/78-79.—Whereas, I, K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
10-3-36 1st Floor Portion situated at E. Marodpally Secunderabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Secunderabad on December 77
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the ransferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the porposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri V. S. Varadraj S/o V. O. Sabhapati, East. Maredpally H. No. 10-3-36, Secunderabad.
(Transferor)

(2) Sri Sohanraj S/o Indermal H. No. 10-3-36 on 1st floor of East Maredpally, Secunderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Ist floor portion of the premises bearing M. No. 10-3-36 situated at East Maredpally, Secunderabad, registered vide Document No. 2066/77 with the Sub-Registrar Secunderabad.

K. S. VENKATARAMAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 3-8-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE, SONEPAT ROAD, ROHTAK

Rohtak, the 24th July 1978

Ref. No. BGR/31/77-78.—Whereas, I, RAVINDER KUMAR PATHANIA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Plot No. 78, DLF Industrial Estate No. 1, near 13/6 mile stone situated at Faridabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act,
1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ballabhgarh in December 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I herey initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. New Hindustan Iron Stores, through Sh. K. K. Chopra s/o Sh. Roshan Lal Chopra R/o K-39, South Extension Part-II, New Delhi.

(Transferor)

(2) (1) Miss Richha Gupta D/o Shri Hari Chand Gupta,

(2) Miss Shruti Gupta (Minor) D/o Shri Hari Chand Gupta,

Both residents of C-15, Friends Colony (East) Mathura Road, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 78, DLF Industrial Estate No. 1, near 13/6 Mile stone, Faridabad.
(Property as mentioned in the sale deed registered at Sl. No. 4382 dated 29-12-1977 with the Sub-Registrar, Ballabgarh).

RAVINDER KUMAR PATHANIA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak

Date : 24-7-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, SONEPAT ROAD, ROHTAK

Rohtak, the 24th July 1978

Ref. No. PNP/25/77-78.—Whereas I, RAVINDER KUMAR PATHANIA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
land measuring 19 Kanal 12 Marlas Opp. Beas Project on G. T. Road, situated at Panipat
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Panipat in November, 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S/Shri Hanwant Singh, Balbir Singh, Lal Chand ss/o Sh. Rishi Singh R/o Vill. & P. O. Sewah, Teh. panipat, Distt. Karnal.

(Transferor)

(2) M/s. Deepak Woollen Mills, through Deepak Nath Opp. Beas project, G. T. Road, Panipat.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 19 Kanal 12 Marlas situated on G. T. Road, Opp. Beas Project, Panipat.

(Property as mentioned in sale deed registered at Sl. No. 2807 dated 15-11-1977 with the Sub-Registrar, Panipat).

RAVINDER KUMAR PATHANIA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak

Date : 24-7-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 27th July 1978

Ref. No. Acq/1569-MRT/77-78.—Whereas, I, L. N. GUPTA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
As per Schedule situated at as per Schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Meerut on 24-11-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of tranfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Kailash Nath Sinha s/o Late Gopi Nath Sinha advocate, R/o 50, Saket, Meerut City.
(Transferee)

(2) Mohit Kumar Jain S/o Harish Chandra Jain 49-A, Saket, Meerut.
(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of House Property bear NG No. 49-A, situated at Saket, Meerut (1/2 Part) Transferred for an Apparent consideration of Rs. 60,000/-.

L. N. GUPTA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Seal : 27-7-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 29th July 1978

Ref. No. Acq/1597-A/B.Shahar/77-78.—Whereas, I, L. N. GUPTA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing As per Schedule situated at as per schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on 1-12-1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Suraj Prakash Pawha Chandra Prakash Pawha, Satish Kumar Pawha, Man Mohan Pawha, Kirti Kumar Pawha, sons of Chunni Lal Pawha, R/o 323, Naya Katra, Chandni Chowk, Delhi.

(Transferor)

(2) Smt. Kiran Devi w/o Nand Kishore, Smt. Shobha Rani w/o Ramesh Chander, Raj Kumar, Umesh Kumar and Nitin Kumar (Minors) sons of Ramesh Chander and Ramesh Chander s/o Nand Kishore, R/o Bulandshahar.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Cold Storage & Ice Factory built on land measuring 11815 Sq Yds. with Building known as Hindustan Cold Stores & Refrigeration Company, G. T. Road, Bulandshahar, Transferred for an Apparent Consideration of Rs. 7,50,000/-.

I. N. GUPTA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 29-7-1978

Seal:

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 5th August 1978

Ref. No. AP-1814.—Whereas, I, B. S. Dehiya,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)
(hereinafter referred to as the 'said Act'),
have reason to believe that the immovable property,
having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per Schedule situated at 518-R, Model Town, Jullundur
(and more fully described in the Schedule
annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908
(16 of 1908) in the Office of Registering Officer at
Jullundur on Dec. 1977
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Tilotma Devi Chopra W/o Achint Lal Chopra 518-L, Model Town, Jullundur.

(Transferor)

(2) Smt. Bimla Devi W/o Baldev Singh R/o Vill. Sina Teh : Hoshiarpur at present 161 Model Town, Jullundur.

(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above. (Persons in occupation of the property).

(4) Any other person interested in the property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registration Sale Deed No. 5301 of December, 1977 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 5-8-1978

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 5th August 1978

Ref. No. AP-1815.—Whereas, I, B. S. DEHIYA, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No
As per Schedule situated at 324-A New Jawahar Nagar, Jullundur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur on Dec. 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act', to the following persons, namely :—

(1) Sh. Joginder Singh Sandhu S/o Sunder Singh Sandhu, 256, Lajpat Nagar, Jullundur.

(Transferor)

(2) 1. Dr Pritpal Singh S/o Ran Singh 2. Jagdeep Kaur W/o Dr. Pritpal Singh, Nakodar Road, Jullundur.

(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above. (Persons in occupation of the property).

(4) Any other person interested in the property. (Persons whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registeration Sale Deed No. 5361 of December 77 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 5-8-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER

OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 5th August 1978

Ref. No. AP-1816.—Whereas, I, B. S. DEHIYA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

As per Schedule situated Village Garha, Teh : Jullundur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Rgistration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Jullundur on Dec., 1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Paramjit Singh S/o Gurgopal Singh R/o Village Garha Teh : Jullundur.

(Transferor)

(2) 1. Santokh Singh S/o Chanan Singh R/o Village Athola. 2 Devinder Singh S/o Chanan Singh V. P. O. Dhapai Teh : Kapurthala.

(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above. (Persons in occupation of the property).

(4) Any other person interested in the property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registeration Sale Deed No : 5802 of December, 1977 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 5-8-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 5th August 1978

Ref. No. AP-1817.—B. S. Dehiya,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per Schedule situated at 324-B, New Jawahar Nagar, Jullundur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Jullundur on December, 1977
for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Joginder Singh Sandhu S/o Sunder Singh Bandhu 256 Lajpat Nagar, Jullundur.
(Transferor)

(2) Smt. Gun Mala Jain W/o Raj Kumar Jain, 2, Pardeep Kumar Jain S/o Raj Kumar, 98-Adarsh Nagar, Jullundur.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above. (Persons in occupation of the property).

(4) Any other person interested in the property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

EXPLANATION : —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registeration Sale Deed No : 5362 of December, 77 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 5-8-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 5th August 1978

Ref. No. A.P. No. 1818.—Whereas, I, B. S. DEHIYA, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at Shanced Babu Labh Singhnagar, Jullundur
situated at Vill. Judila Teh. Kalka
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur on Dec., 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Harbans Lal S/o Sh. Bir Bal EA-117 Bazar Paprian Moh. Mugla Jullundur.

(Transferor)

(2) M/s King Steel Rolling Mills Jullundur Through Mohinder Pal Singh S/o Jaimal Singh N. N. 437 Gopal Nagar Jullundur.

(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above. (Persons in occupation of the property).

(4) Any other person interested in the property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immoveable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registeration Sale Deed No. 5351 of December 1977 of the Registering Authority Jullundur.

B. S. DEHIYA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 5-8-1978

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, DHARWAR-4

Dharwar-4, the 7th August 1978

Notice No. 220/78.79/ACQ.—Whereas, I, D. C. RAJAGOPALAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said' Act) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Sy. No. 45 situated at Guller Haveli Village, Bidar
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transfired under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Bidar under Document No. 1741/77-78 on 8-11-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth-tax Aca, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property b ythe issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Syed Afzal Ahmed Quadri S/o Late Syed Shah Mohammed Quadri, C/o Hy Feed Poultry & Cattle Feeds, Tilak Road, Hydrabad (A.P.)

(Transferor)

(2) Shri Mohammed Fasiuddin S/o Mohd. Jafeer Ali, Delux Poultry Farm, Gullar Haveli, New Colony, M. Bidar.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 204'-9" Lenght and 116' Widh at Guller Haveli Village Bidar Bounded with
East : 30' Wide Proposed Road,
West : Municipal Land.
North : Katta Grave Yard.
South : 30' Wide Road to Kolar & Forest Nursery.

D. C. RAJAGOPALAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, DHARWAR

Date : 7-8-1978.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTION ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, DHARWAR-4

Dharwar-4, the 7th August 1978

Notice No. 221/78-79/Acq.—Whereas, I, D. C. RAJAGOPALAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Building No. 8-11-24/1, Sy. No. 45, situated at Guller Haveli Village, Bidar
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Bidar, under Document No. 1742/77.78 on 8-11-1977
for an apparent consideration which
is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be diclosed by the transferee for the purposes of the Indian Iniome-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Syed Afzal Ahmed Quadri S/o Late Syed Shah Mohammed Quadri, C/o Hy. Feed Poultry & Cattle Fec, Tilak Road, Hyderabad (A.P.).

(Transferor)

(2) Mohammed Fasiuddin S/o Mohd. Jaffer Ali, Delux Poultry Farm, Gullar Haveli, New Colony, M. Bidar.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Poultry Farm Building No. 8-11-24/1 in the Land Survey No. 45 of Guller Haveli Village, Bounded with

East : Poultry Shed of Shri Manik Rao Phulekai,
West : Well and Land of Vendor in Sy. No. 45,
North : Land of Vendor in Sy. No. 45,
South : Land of Vendor in Sy. No. 45.

D. C. RAJAGOPALAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, DHARWAR

Date : 7-8-1978.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, DHARWAR-4

Dharwar, the 7th August 1978

Notice No. 222/78.79/Acq —Whereas, I D. C. RAJAGOPALAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Building No. 8-11-24/1, In Sy 45, situated at Guller Haveli Village, Bidar
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Bidar under Document No. 1743/77.78 on 8-11-77
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the
aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Manik Rao Ramchander Rao, Phulekar, Ex. M.L.A. & President of D.C.C., Bidar.

(Transferor)

(2) Shri Mohammed Fasiuddin S/o Mohd. Jafter Ali, Delux Poultry Farm, Gullar Haveli Village, New Colony, M. Bidar.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Poultry Farm Building No. 8-11-24/1 in the Land Survey No. 45 of Village Guller Haveli, having the following boundaries :

East : Land of Syed Afzal Ahmed Quadri in Sy. No. 45,

West : Poultry Shed of Shri Syed Afzal Ahmed Quadri,

North : Land of Syed Afzal Ahmed Quadri in Sy. No. 45,

South : Land of Syed Afzal Ahmed Quadri in Sy. No. 45.

D. C. RAJAGOPALAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, DHARWAR

Date : 7-8-1978.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 26th July 1978

Acq. File Ref. No. 710.—Whereas, I, N. K. NAGARAJAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
18-19-937/18 situated at Gandhinagar Vijayawada
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
at Vijayawada on 7-12-1977
for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) (1) Dr. Guthikonda Veerabhadracharyulu, s/o. Nagacharyulu, Durga Agraharam, Vijayawada-2. (2) Smt. Svarna Venkatakanaka Durgamba, w/o Late Subrahmanyam, Patamata, Vijayawada-6.
(Transferor)

(2) (1) Yarlagadda Subbarao, s/o. Ramaswamy, Patamata, Vijayawada-6. (2) Naragani Govinda Sekhar Rao, s/o. Anjaneyulu, Patamata, Vijayawada-6.
(Transferee)

(3) (1) R. Gopala Rao (2) M. Kutumbarao (3) Ch. Surya Rao (4) S. M. Ali, Gandhinagar, Vijayawada-2.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 3523/77 registered before the Sub-Registrar, Vijayawada, during the F. N. ended on 15-12-1977.

N. K. NAGARAJAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada.

Date : 26-7-1978.

Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 27th July 1978

Acq. File Ref. No. 711.—Whereas, I, N. K. NAGARAJAN,
being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing RS No.
217/5 & 218/1A situated at Kanuru Village
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Vijayawada on 28-12-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Maudadi Venkata Subbamma, w/o Nagaiah, Yenamalakuduru, Vijayawada-6.
(Transferor)

(2) Shri Tummala Premlal, s/o Laxmana Swamy, Cherukupallivari St., Governorperta, Vijayawada-520002.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 3716/'77 registered before the Sub-Registrar, Vijayawada, during the F. N. ended on 31-12-1977.

N. K. NAGARAJAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Kakinada

Date : 27-7-1978.
Seal :

FORM ITNS——————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 27th July 1978

Acq. File Ref. No. 712.—Whereas, I, N. K. NAGARAJAN,
being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
RS No. 217/5 situated at Kunuru Village
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Vijayawada on 28-12-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Mokkapati Punnaiah s/o Veeraiah (2) M. Koteswara Rao (3) M. Krishna Murthy (4) Smt. M. Sitamahalaxmi, Yenamalakuduru, Vijayawada-6. (Transferor)

(2) Shri Tummala Premlal, s/o. Laxmana Swamy, Cherukupallivari St., Governorpeta, Vijayawada-520002. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 3717/77 registered before the Sub-Registrar, Vijayawada, during the F. N. ended on 31-12-1977.

N. K. NAGARAJAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Kakinada

Date : 27-7-1978.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 27th July 1978

Acq. File Ref. No. 713.—Whereas, I, N. K. NAGARAJAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
27-1-45, situated at Eluru Road, Vijayawada
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Vijayawada on 2-12-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely—

(1) Shrimati Vemuri Annapurnamma w/o Late Sriram Murthy
Andhra Bank Colony, Plot No. 44, Malakpeta, Hyderabad.

(Transferor)

(2) Shri Vanga Shyamsundar, s/o Venkataratnam, Katuri vari Street, Vijayawada-1.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 3443/77 registered before the Sub-Registrar, Vijayawada, during the F.N. ended on 15-12-1977.

N. K. NAGARAJAN,
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada.

Date : 27-7-1978.

Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 27th July 1978

Acq. File Ref. No. 714.—Whereas, I, N. K. NAGARAJAN,
being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
14-49-74 to 77 situated at Sivalayam St. Vijayawada
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Vijayawada on 26-12-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per-cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer is agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act' to the following persons namely :—

(1) (1) Smt. R. Seethamahalaxmi (2) P. Bharati Devi (3) Smt. A. Hymavathi (4) K. Rajeswari (5) A. Laxmi Bai (6) B. Kamalabai (7) B. Vijayalaxmi, Trustee & Executor Sri B. Babu Narasimha Rao. (8) Sri Bandaru Babu Narasimha Rao, s/o. Late Venkataratnam, 191-Subhaschandra Bose Road, George Town, Madras.

(Transferor)

(2) Majeti Ramachandra Rao, s/o. Nagabhushanam, Sivalayam St., Vijayawada-1.

(Transferee)

(3) (1) M/s. Majeti Ramachandra Rao & Sons
(2) M/s. Jaihind Jewellery Mart
(3) Sri Mrutyunjaya Rao, Sivalayam St., Vijayawada-1.

(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No 3714/77 registered before the Sub-Registrar, Vijayawada during the F.N. ended on 31-12-1977.

N. K. NAGARAJAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada

Date : 27-7-1978.
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 27th July 1978

Acq. File Ref. No. 715.—Whereas, I, N. K. NAGARAJAN, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act' have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Mahavir Oil Mill, situated at Komatipalli Village (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering officer at Gajapathinagaram on 28-12-1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Late Sri Madangopal Daga L/R. Satyanarayana Maheswari,
2. Satyanarayana Maheswari, S/o Late M. G. Daga, (1 & 2) M. G. Road, Vizianagaram.
3. Sri Pentapati Bapanayya Setty, S/o. Late Chinna Venkanna,
4. Sri Pentapati Venugopala Saisankara Rao,
5. Sri Pentapati Chinna Venkanna,
6. Sri Pentapati Venkata Satyanarayanamurthy
7. Sri Pentapati Srinivasa R } M/G. Bapanayya Setty,
(3 to 7) c/o Sri P. Bapanayya Setty, nayya Setty, M. G. Road, Vizianagaram.

8. Sri Pentapati China Venkanna, s/o. Late Sri Varahalu,
9. Sri Pentapati Eswara Prakash s/o. Late Sri Varahalu,
10. Sri Pentapati Bhaskara Satyasrinivas, s/o Late Sri Varahalu,
11. Pentapati Meena, d/o Late Varahalu,
12. Pentapati Pydi Balatripura-sundari d/o Late Sri Varahalu, } M/G Mrs. P. Venkataratnamma, W/o. Late Varahalu,
13. Smt. Balavadineni Mahalakshmi, w/o. Surya Rao,
14. Smt. Kalagarla Jyothi, w/o. Ranganayakulu,
15. Sri Pentapati Venkataratnamma w/o. Late Varahalu (8 to 15)
By G.P.A. Holder : Sri P. China Venkanna, Vizianagaram.

(Transferors)

(2) (1) Anisetty Sanyasi Rao (2) Anisetty Satyanarayana, Gajapathinagaram, Vizag Dist.

(Transferee)

(3) M/s. Balaji Traders, Komatipalli.

(Person in occupation of the property)

movable property, within 45 days from the date of shall have the same meaning as given in that Chapter.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, with in 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 3329/77 registered before the Sub-Registrar, Gajapathinagaram, during the F. N. ended on 31-12-1977.

N. K. NAGARAJAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada.

Date : 27-7-1978
Seal :

FORM ITNS.———

NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM ASHRAM ROAD, AHMEDABAD

Ahmedabad-380009, the 14th June 1978

No. Acq. 23-1-1449(668)/1-1/77-78.—Whereas, I, S. C. PARIKH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
F.P. No. 275, S. P. No. 1 situated at Near Duffnala, Shahibaug, Ahmedabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ahmadabad in Dec., 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated
in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Hariprasad D. Lashkari, Power of Attorney Holder Shri Anilkumar H. Lashkari, Durgesh Bungalow, Shahibaug, Ahmedabad.

(Transferor)

(2) Smt. Shantaben Jayantilal Gajjar, No. 1185-1, Nava-Asarwa, Ahmedabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning of given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open plot of land admeasuring 578 sq. yds. bearing F.P. No. 275, S. P. No. 1, situated near Daffnala, Shahibaug, T. P. S. 14, Ahmedabad and as fully described in the sale-deed registered during December, 1977.

S. C. PARIKH,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 14th June, 1978.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM ASHRAM ROAD, AHMEDABAD

Ahmedabad-380009, the 14th June 1978

No. Acq. 23-I-1513(669)/10-1-77.—Whereas I, S. C. PARIKH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/c and bearing No.
Building on back side of Teachers' Quarters, situated at Behind Indian Rayon Factory, Nr. High Way, Veraval
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Veraval on 20-12-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Luhar Nathu Dodia, Station Road, Veraval. (Transferor)

(2) Shri Patani Mohmmed Ahmed Jamadar, Bahir Kot, Hajibhai Building, Masjid, Veraval.

(Transferee)

(3) 1. Shri Anilkumar J. Joshi.
2. Shri Rcoakand Gordhandas.
3. Shri Raja Thakurlal.
4. Shri V. R. Popat.
5. Shri Vallabhdas Odhaji.
6. Shri Jivatram Mirchoomal.
7. Shri Jethanand Chellaram,

(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Building standing on land admeasuring 636 sq. yds. having construction of 228 sq. yds. situated on back side of teachers' quarters and Behind Indian Rayon Factory, near High Way, Veraval and as fully described in sale deed No. 2073 dated 20-12-77 registered at Veraval.

S. C. PARIKH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 14th June 1978.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE-I 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009.

Ahmedabad-380009, the 23rd June 1978

No. Acq. 23-I-1520(674)/10-1/77.78.—Whereas, I, S. C. PARIKH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
S. No. 4/1/1 situated at Sumair Club, Jamnagar,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Jamnagar on 31-12-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transfer for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, as the following persons namely :—

(1) 1. Shri Pratapray Rangildas Mehta,
2. Shri Prabhudas Rangildas Mehta,
3. Shri Hemabhai Nirbhayshanker,
4. Shri Motichand Sejpal,
Digvijaynagar Plot, Jamnagar.
(Transferor)

(2) 1. Shri Raichand Virpar Shah
2. Shri Dhirajlal Narshi
3. Smt. Champaben Fulchand Shah
4. Shri Jayantilal Virpar
5. Shri Shantilal Virpar
6. Shri Vinichandra Lakhamshi
7. Shri Maheshkumar Kanaji
8. Shri Devraj Bhura Patel
9. Shri Kiritkumar Motichand
10. Shri Daibhai Hirajibhai
11. Shri Punamchand Narshi,
Near Jail Road, Jamnagar.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land admeasuring 2A-4G i.e. 91476 sq. ft. bearing S. No. 4/1/1 situated at Sumair Club Road, Jamnagar and as fully described in the sale deed Registered vide R. No. 1897 dated 31-12-1977.

S. C. PARIKH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Dated 23-6-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009.

Ahmedabad-380009, the 30th June 1978

No. Acq. 23-I/1566/(676)/16-6/77-78.—Whereas, I, S. C. PARIKH being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 114, situated at East side of Sheri No. 23, Near Jagnath, Rajkot. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rajkot on 2-12-1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

25—216 GI/78

(1) Gulabben Chhotalal Boghani, 28, Prahalad Plot, Rajkot. (Transferor)

(2) Shri Uttamchand Jayantilal Kothari, 'Pana Kuti', Block No. 4, Ghatkopar, Bombay-400077. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 250 sq. yds. bearing plot No. 114, situated at Sheri No. 23, New Jagnath Plot, Rajkot.

S. C. PARIKH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Dated 30-6-1978
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009.

Ahmedabad-380009, the 3rd July 1978

No. Acq. 23-I-1519(677)/10-1/77-78.—Whereas, S. C. PARIKH
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing
Survey No. 119, situated at Near Saru Section Road, Jamnagar
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Jamnagar on 31-12-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property for the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Arvind Kantilal Shah,
Kastur Building, Station Road, Jamnagar.
(Transferor)

(2) Fionika Co-op. Housing Society Ltd.
(Proposed), Irwin Circle, Jamnagar.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 1 acre 32 Gunthas bearing Survey No. 119, situated at Saru Section Road, Jamnagar and as fully described in the sale deed registered vide R. No. 1903 dated 31-12-1977.

S. C. PARIKH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 3-7-1978
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA,

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009.

Ahmedabad-380009, the 3rd July 1978

No. Acq. 23-I-1528(678)/10-1/77-78.—Whereas, I, S. C. PARIKH being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. S. No. 4-A-1, situated at 'Block-C', 1st Floor, Super Market, Jamnagar. (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Jamnagar on 31-12-1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Meghji Rajabhai, Grain Market, Jamnagar. (Transferor)

(2) Dr. Navinchandra Raichand Sanghvi, Super Market, Block-C', 1st Floor, Jamnagar. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The property is on the 1st floor of a multistoried super market with an area of 2611 sq. feet bearing S. No. 4-A-1; situated at Super Market, Jamnagar and as fully described in the sale deed registered vide R. No. 1837 dated 31-12-77.

S. C. PARIKH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Dated 3-7-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR,
HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD
AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009, the 3rd July 1978

Ref. No. Acq. 23-I-15555(679)/16-6/77-78.—Whereas, I, S. C. PARIKH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
S. No. 401, Plot No. 4, situated at Umakant Udyognagar, Nr. Radia Mill, Rajkot
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at
Rajkot on 31-12-77
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) M/s. Swastik Enginering Works,
through partners :
1. Shri Bhagwanji Kalubhai Khanbhayata,
2. Shri Mansukhlal Manjibhai Badakiya
3. Shri Suresh Bhagwanji Khambhayata,
4. Smt. Muktaben Manjibhai Badakiya,
Gondal Road, Rajkot.

(Transferor)

(2) M/s. Varindavan Engineering Works,
through partners :
1. Shri Devjibhai Ranchhodbhai Savalia,
2. Shri Keshavlal Ranchhodbhai Savalia,
3. Shri Purshottambhai Ranchhodbhai Savalia,
4. Shri Ramjibhai Ranchhodbhai Savalia,

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given the that Chapter.

THE SCHEDULE

A building standing on land admeasuring 2341.40 sq. mtrs. bearing S. No. 401, Plot No. 4, situated at Umakant Udyognagar, South of Bhaktinagar Station, Nr. Radia Mills, Rajkot.

S. C. PARIKH,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 3-7-78

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009, the 5th July 1978

Ref. No. Acq. 23-I-1558(681)/16-6/77-78.—Whereas, I, S. C. PARIKH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
S. No. 401, Plot No. 7. in Mavdi Plot, situated at
Pandit Udyognagar, Rajkot
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Rajkot on Dececmber, 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Saurashtra Engineering Works,
through partners :
1. Shri Girdharilal Narsibhai Mistry and
2. Shri Parataprai Girdharilal Mistry;
68, Ramji Vela Plots—
Behind Bhaktinagar Society, Rajkot.
(Transferor)

(2) M/s. Gujarat Electroplaters;
through partner : Shri N. L. Vaishnav,
Mavdi Plot; Udyog Nagar,
Rajkot.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An Industrial building standing on land admeasuring 2844-4-0 sq. yds. bearing S. No. 401, Plot No. 7, situated at Pandit Udyognagar Mavdi Plot, Rajkot and as fully described in the sale-deed registered vide R. No. 3397 in the month of December, 1977.

S. C. PARIKH,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 5-7-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTION ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR,
HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD
AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009, the 5th July 1978

Ref. No. Acq. 23-I-1356(682)/16-6/77-78.—Whereas, I, S. C. PARIKH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable propertry, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Plot No. 111 & 112 situated at Hazur Palace, Rajkot
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Rajkot on 31-12-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Pradhuman Development Corporation, Hazur Palance, Rajkot.

(Transferor)

(2) 1. Shri Lalitchandra Himatlal Shah;
2. Mrs. Jasumati Lalitchandra Shah;
13, Diwanpara, Rajkot.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective person, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open plots of land Nos. 111 & 112 admeasuring 382.57 sq. mts. situated at Hazur Palace, Rajkot and as fully described in the sale-deed registered vide Regn. 3394/77 dated 31-12-77.

S. C. PARIKH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 5-7-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR,
HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD
AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009, the 5th July 1978

Ref. No. Acq. 23-I-1447(683)/1/77-78.—Whereas, I, S. C. PARIKH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)
(hereinafter referred to as the 'said Act'),
have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Final Plot No. 914/915, TPS. No. 3, Sub-Plot No. 3,
situated at Ellisbridge, Ahmedabad
(and more fully described in the schedule annexed hereto)
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at
Ahmedabad in December, 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Gunvantlal Lalbhai Agrawal,
2. Shri Chandravadan alias Chikubhai Lalbhai Agrawal,
3. Shri Bipinchandra alias Bhagubhai Lalbhai Agrawal,
4. Shri Prafulchandra alias Dipakbhai Lalbhai Agrawal,
All R/o Bungalow No. 5, Chitrakoot Colony, Near Rajnagar Society, Paldi, Ahmedabad.

(Transferor)

(2) 1. Shri Kantilal Mohanlal Gajjar;
2. Smt. Kalavatiben Kantilal Gajjar;
both R/o 34-4 Shangar Sheri, Saraspur, Ahmedabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open plot of land admeasuring 455 sq. yds. bearing F.P. No. 914/15 Sub-plot No. 5, T.P. S. No. 3—Ellisbridge, Ahmedabad duly registered by Registering Authority vide sale deed No. 8026/77 in the 1st Fort-night of December, 1977 and as fully described in the said sale-deed.

S. C. PARIKH.
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 5-7-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR,
HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD
AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009, the 11th July 1978

Ref. No. Acq. 23-I-1526(682)/10-1/77-78.—Whereas, I, S. C. PARIKH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing
S. No. 91-H-1 & 95-H-1 Paiki B-15, situated at
Opp. S.T. Bus Stand, Jamnagar,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Jamnagar on 31-12-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market have of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Zaverbai Jethalal & Others,
Swastik Society, Jamnagar.

(Transferor)

(2) M/s. G. C. Punjani & Co.
through partners :
1. Shri Liladhar P. Patel
2. Shri Mohanlal Pranjivan Patel
3. Shri Sureshchandra Hathibhai Desai
4. Shri Gaurishanker Chhaganlal Punjani
Barot Fali, Jamnagar.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of thirty days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 9588 sq. ft. bearing S. Nos. 91-H-1 & 95-H-1 Paiki B-15 situated at Opposite S. T. Bus Stand, Jamnagar and as fully described in the sale-deed registered vide R. No. 1855 dated 31-12-1977.

S. C. PARIKH,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 11-7-1978
Seal :

FORM ITNS ——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009, the 15th July 1978

Ref. No. Acq. 23-I-1552(683)/16-6/77-78.—Whereas , I, S. C. PARIKH,
being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
C.K. Cable Industries Bldg., situated at Gondal Road, Rajkot (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer Rajkot on 29-12-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) M/s. Deepak Rubber Mills, Gondal Road, Near S. T. Workshop, Rajkot.
(Transferor)

(2) M/s. C. K. Cable Industries; through administrator; Shri Chandrakant Kanjibhai Bhammar, Opp. Chaudhary School, Beside Dr. Rathod. Hospital, Rajkot.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Building known as "C.K. Cable Industries Bldg.," Gondal Road, Rajkot standing on land admeasuring 950 sq. yds.—duly registered by registering Authority, Rajkot vide sale deed No. 3336/1977 29-12-1977 and as fully described in the said sale-deed.

S. C. PARIKH,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 15-7-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009, the 29th July 1978

Ref. Ac. 23-I-532(690)/1-1/77-78.—Whereas, I, S. C. PARIKH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the Immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
New Block No. 3-Plot No. 67 situated at Vatva,Daskroi Taluka, Ahmedabad District
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ahmedabad on 27-12-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Ms. Nandoliya Industrial Development Corporation, 2-A, Sarita Darshan Society, Ashram Road, Ahmedabad.

(Transferor)

(2) Shri Vallabhbhai Motibhai Patel, 85, Shyam Sadan F. Road, Marine Drive, Bombay.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(b) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 5630 sq. yds.—bearing New block No. 3—Plot No. 67—situated at Vatwa, Dskroi Taluka, Ahmedabad district registered by the Registering Officer, Ahmedabad as per Sale deed No. 9310/27-12-1977 and as fully described in the said Sale-deed.

S. C. PARIKH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 21-7-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 1st July 1978

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/78-79/1045.—Whereas, I, R. K. BALI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
House situated at Bhopal
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Bhopal on 29-12-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Smt. Shantidevi wd/o
Late Shri Dulichand Srivastawa,
2. Shri Virendrakumar,
3. Smt. Sudha Srivastawa,
4. Smt. Madhu Srivastawa
5. Ku. Sashi Srivastawa,
all r/o Sarai Sikendaria, Railway Station Road, Bhopal.

(Transferor)

(2) Smt. Hazarabai w/o Shri Mulla Mumtaj Hussain, r/o Mohalla Beldarpura, Bhopal.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Double storyed house on Plot No. 3/ Ward 5, Shopping Centre, T.T. Nagar, Bhopal.

R. K. BALI,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 1-7-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 3rd July 1978

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/78-79/1046.—Whereas, I, R. K. BALI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act' have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
House situated at Indore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Indore on 7-11-77
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1952) of the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Chandraprabha
w/o Shri Girdharilal Maharaj
r/o H. No. 1, Yeshwant Ganj, Indore.

(Transferor)

(2) Shri Goswami Gokulotsawji Maharaj
s/o late Shri Girdharilalji Maharaj,
r/o H. No. 1, Yeshwant Ganj, Indore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Northern portion of H. No. 6, Street No. 3, New Palasia, Indore.

R. K. BALI,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 3-7-1978
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 3rd July 1978

Ref. No. IAC/ACQ//BPL/78-79/1047.—Whereas, I, R. K. BALI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
Lands and shares in wells situated at
and bearing
House situated at Indore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Indore on 7-11-77
for an apparent Consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assts which have not been or which ought to be disclose by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Chandraprabha
w/o Shri Girdharilal Maharaj
r/o H. No. 1, Yeshwant Ganj, Indore.
(Transferor)

(2) Shri Goswami Devkinandanji Maharaj
s/o Shri Girdharilal Maharaj
r/o H. No. 1, Yeshwant Ganj, Indore.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 6 (Part), Street No. 3, New Palasia, Indore.

R. K. BALI,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 3-7-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 3rd July 1978

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/78-79/1048.—Whereas, I, R. K. BALI,

being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

House situated at Indore

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Indore on 8-11-77

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Nathulal
Shri Hiralal Munat,,
r/o 7-A/4, Tukoganj Main Road, Indore.
(Transferor)

(2) Shri Surendrakumar s/o
Shri Dhannalal Jain, r/o
7-A/4, Tukoganj Main Road, Indore.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

H. No. 7-A/4, situated at South Tukoganj, Main Road, Indore.

R. K. BALI,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 3-7-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 3rd July 1978

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/78-79/1049.—Whereas, I, R. K. BALI,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Agr. land situated at Alirajpur
(and more fully described in the Schedule
annexted hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the office of the Registering Office Alirajpur on 8-11-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shrimant Surendrasingh
s/o late Shri Maharaj Fatehsingh,
through Power of Attorney
Shri Abhaysingh Khumansingh Solanki,
R/o Alirajpur.
(Transferor)

(2) 1. Sunilkumar Bedhia,
2. Shri Bhupendrakumar
both Ss/o Shri Shyamsunder Bedia,
r/o Alirajpur.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land 8.02 acres with 20 Mango trees, situated at Gram Raksa, Alirajpur.

R. K. BALI,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 3-7-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 3rd July 1978

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/78-79/1050.—Whereas, I,
R. K. BALI,
being the competent authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Plots situated at Indore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Indore on 3-11-77
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid propery and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Manav Kalyan Grah Nirman Sahakari Sanstha Maryadit, 195, Jawahar Marg, Indore.

(Transferor)

(2) Alpa Aaya Samudai Grah Nirman Sahakari Sanstha Maryadit, through President Shri C. S. Dwivedi, 16, Baxi Bag, Indore

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot Nos. 1 to 7, 8 to 14 & 137 to 142, at Sector II, Vaishali Nagar, Indore.

R. K. BALI,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 3-7-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 3rd July 1978

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/78-79/1051.—Whereas, I, R. K. BALI,
being the Competent Authority, under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Plot situated at Indore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Indore on 3-11-77
for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the folloing persons, namely :—

17—216GI/78

(1) Shri Brahmadatt Sood
s/o Shri Mangalsinghji Sood,
'Matru Chhaya' Hanuman Cross Road,
Vile-Parle, Bombay-57.

(Transferor)

(2) Smt. Bhanwaridevi
w/o Shri Govindlalji Kabra,
380, M.G. Road, Indore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 7, Builders Colony, Indore.

R. K. BALI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 3-7-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 3rd July 1978

Ref. No IAC/ACQ/BPL/78-79/1052.—Whereas, I, R. K. BALI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Open Land situated at Raipur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Raipur on 13-2-78
for an apparent consideration which is less than the fair market value of
the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Ratanlal Laxminarayan Rathi,
2. Shri Vijay Ratanlal Rathi,
3. Shri Anil Ratanlal Rathi,
4. Shri Rajendra Ratan Rathi,
All r/o Krishna Peth Amravati.

(Transferor)

(2) 1. Smt. Kamlabai
w/o Shri Kantilal Sawaria,
2 Smt. Kalpana Sawaria,
w/o Shri Bharat Sawaria,
both r/o Naharpara, Raipur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One Plot No. 2/3, Block No. 94, Area 28288.54 Sq. ft. situated at Lakkadganj, New Hospital, Ward, Raipur.

R. K. BALI,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 3-7-1978
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 3rd July 1978

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/78-79/1053.—Whereas, I, R. K. BALI,
Income-tax. Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Plot situated at Indore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto); nas been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at S.R.O. Indore on 14-11-77
for an apparent consideration whic is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s Dayal Motors, through Partner
Shri Gurcharan Chadda
s/o Shri Prakashchandra Chadda,
r/o Navratan Bag, Indore.
(Transferor)

(2) 1. Shri Vikramsingh
s/o Shri Laxman Choudhary;
2. Shri Virendrasingh,
3. Shri Surendrasingh
both Ss/o Shri Dhansingh Choudhary,
4. Smt. Snehlata
w/o Shri Narendrasingh Choudhary,
all r/o Srinagar Colony, Indore
5. Smt. Harshbala
w/o Shri Balkrishna Gaike
r/o 298 Shivaji Nagar, Indore.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 11-B, situated at Victory Estate Colony, Ratlam Kothi, Indore.

R. K. BALI,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 3-7-1978
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 3rd July 1978

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/78-79/1054.—Whereas, I, R. K. BALI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot situated at Indore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Indore on 28-11-77 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of tranfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Sardar Jodhsingh
S/o Shri Bhaiyalal
r/o 31/2, North Raj Mohalla, Indore.
(Transferor)

(2) Smt. Savitridevi
w/o Shri Devendrakumar
r/o "Sunil Sadan", Shastri Colony, Jaora, (MP)
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period or 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 1-A, situated at Sitabag Colony, Indore.

R. K. BALI,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 3-7-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 3rd July 1978

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/78-79/1055.—Whereas, I, R. K. BALI,
being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
House situated at Indore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Indore on 18-12-77
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Bakhatram
s/o Shri Dilaramji Panjani
r/o 6, Katji Colony, Indore.
(Transferor)

(2) Smt. Kamladevi
w/o Shri Gulabram Madnani,
r/o 58, Prem Nagar Colony, Indore.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House constructed on Plot No. 6, situated at Katju Colony, Indore.

R. K. BALI,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 3-7-1978
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 3rd July 1978

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/78-79/1056.—Whereas, I, R. K. BALI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Land situated at Ratlam
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ratlam on 7-11-77
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S/Shri
1. Samirmal
2. Indermal,
3. Shantilal,
4. Shreniklal,
all ss/o Shri Ratanlalji Mandot, &
5. Shri Kamalkumar
s/o Shri Siremalji Kataria,
all r/o Chandni Chowk, Ratlam.

(Transferor)

(2) S/Shri
1. Srenik Kumar,
2. Siremal,
3. Dhirajmal
4. Amritlal,
5. Santoshkumar &
6. Ashok Kumar,
all ss/o Shri Rakhabchandji Munat,
r/o Tripolia Gate,
Chandni Chowk, Ratlam.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open land measuring 26.07 x 19.67 sq. Mtrs. situated at Mohalla Lakkad Pitha, Ratlam.

R. K. BALI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 3-7-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 3rd July 1978

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/78-79/1057.—Whereas, I, R. K. BALI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
House situated at Indore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Indore on 7-11-77
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Usha Pathak
w/o Shri Prabhat Pathak,
r/o 370, Saket Nagar, Indore.
(Transferor)

(2) Smt. Sukhnandan Walia
w/o Shri D. S. Walia,
r/o 94, Radio Colony, Indore.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period express later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House on Plot No. 9, Saket Nagar, Indore.

R. K. BALI,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 3-7-1978

Seal

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 3rd July 1978

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/78-79/1058.—Whereas, I,
R. K. BALI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
House situated at Indore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Indore on 7-11-77
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesad rpoperty by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the followng persons, namely :—

(1) Shri Keshav Govind Nasik,
r/o 179, Palshikar Colony Indore.
(Transferor)

(2) Smt. Draupadibai
w/o Shri Nandkumarji,
r/o 53, Palshikar Colony, Indore.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Ground floor of H. No. 179, Palshi Kar Colony, Indore.

R. K. BALI,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 3-7-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 3rd July 1978

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/78-79/1059.—Whereas, I, R. K. BALI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
House situated at Indore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Indore on 8-11-77
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Gokuldas
s/o Shri Kanhaiyalalji Muchhal,
r/o 274, Jawahar Marg, Indore.

(Transferor)

(2) 1. Shri Saiffudin
s/o Shri Kadarbhai
2. Shri Abdul Tayyab Kadarbhai Bohra,
both r/o 61, Bohra Bazar, Indore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Western Part of H. No. 274, Jawahar Marg, Indore.

R. K. BALI,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 3-7-1978
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 6th July 1978

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/78-79/1060.—Whereas, I,
R. K. BALI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961)
(hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Land Agrl. situated at Durg
(and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at
Durg on 23-11-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sardar Inderjitsingh
S/o Shri Kabul Singh Johal,
r/o Mohan Nagar, Durg
(now resides in U.S.A.)

(Transferor)

(2) Smt. Bhagwatibai
wd/o Shri Hazarimal Verma,
r/o Deepak Nagar, Durg.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

2.340 hect. land, Khasra No. 202/12, Vil. Sikola, 1.011 hecto land Khasra No. 146/3, Vil. Karhidih, Tehsil & Distt. Durg.

R. K. BALI,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 6-7-1978
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 6th July 1978

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/78-79/1061.—Whereas, I, R. K. BALI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income Tax, Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
House situated at Ujjain
(and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Ujjain on 30-11-77
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any monys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) S/Shri
1. Aijajbhai s/o Asgarbhai
2. Balmukund s/o Harnarainji
both r/o Funwara Chowk, Ujjain;
3. Kasambhai s/o Mohd. bhai,
r/o Daulatganj
4. Dwarkadas s/o Daulatram,
Pathi Bazar;
5. Premnarain s/o Poonamchand Garg,
Sarafa.
6. Durgaprasad s/o Shivprasad,
Daulatganj,
7. Kailashchand s/o Jawaharlal,
Sarafa,
8. Satyandrakumar s/o Fatehlal Sethi,
r/o Kshirsagar,
9. Kanhaiyalal s/o Bhagwandas,
Budhwaria,
10. Doongarmal s/o Harakchand Mahajan,
Madhonagar, Ujjain.

(Transferors)

(2) Smt. Devibai w/o Shri Bulchandji Lalwani, Sindhi, r/o Madhav Nagar, Ujjain.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Three storyed house bearing Municipal No. 6/105, at 6 Tatya Tope Marg, Madhonagar, Ujjain.

R. K. BALI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 6-7-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER

OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 6th July 1978

No. IAC/ACQ/BPL/78-79/1062.—Whereas, I,
R. K. BALI
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'),
have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot situated at Indore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Indore on 7-11-77
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Narayandas s/o Shri Moharchand r/o 1/1, Parsi Mohalla, Indore.

(Transferor)

(2) Shri Shantinath Jain Charitable Trust, Indore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 3, Mohan Nagar, Indore.

R. K. BALI
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal

Date : 6-7-1978

Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 6th July 1978

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/78-79/1063.—Whereas, I, R. K. BALI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
House situated at Indore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Indore on 9-11-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Keshav Govind Naik, r/o 159, Palshi Kar Colony, Indore.
(Transferor)

(2) Smt. Ranibai w/o Shri Manoharlalji, R/o 535, Palshikar Colony, Indore.
(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the sair property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Two storyed house constructed on Plot No. 179, Palshikar Colony, Indore (Part).

R. K. BALI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 6-7-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 6th July 1978

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/78-79/1064.—Whereas, I, R. K. BALI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market, value exceeding Rs. 25.000/- and bearing No.
House situated at Indore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Indore on 19-11-77
for an apparent consideration which
is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Surendrasingh s/o Rajendrasingh r/o 1/1, South Tukoganj, Indore.

(Transferor)

(2) Shri Ram Narayan S/o Shri Nandlal r/o 54, Malharganj, Indore.

(Transferee)

*(3) Shri Sunil Kumar Bhatnagar, Tenant on ground floor. (Person(s) in occupation of the property.)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 1/1, South Tukoganj, Indore.

R. K. BALI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 6-7-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 6th July 1978

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/78-79/1065.—Whereas, I, R. K. BALI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
House situated at Indore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Indore on 23-11-77
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice hereby under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri D. S. Lonkar S/o Shri Anandrao Lonkar, r/o 227, Srinagar Colony, Indore.

(Transferor)

(2) Smt. Laxmibai w/o Shri Surajmal Salecha, r/o 227, Srinagar Colony, Indore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House constructed on Plot No. 227, at Srinagar Colony, Indore (Part).

R. K. BALI,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 6-7-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 6th July 1978

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/78-79/1066.—Whereas, I, R. K. BALI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
House situated at Jabalpur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jabalpur on 8-11-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Naim Khan s/o Abdul Azij Khan, 2. Haji Abdul Azij Khan s/o Imam Khan, Naya Mohalla, Jabalpur.
(Transferor)

(2) Shri Nirmalkumar Agarwal s/o Shankarlal Agarwal, r/o 340 Ward Ganj, Jabalpur.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid person within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Double storyed house, Municipal No. 1632 & 1632-A, area 3952 sq. ft. constructed on part of diversion of Plot No. 749, Napier Town, Jabalpur.

R. K. BALI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 6-7-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 5th August 1978

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/1090/78-79.—Whereas, I, R. K. BALI, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House situated at Jabalpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jabalpur on 20-12-1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; **and/or**

(b) facilities the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Annapurnabai, r/o Wright Town, Jabalpur.
(Transferor)

(2) 1. Sardar Amarsingh; 2. Smt. K. Sowbhagyawati; & 3. Shri Sardar singh Isharsingh, r/o Modi Baba, Jabalpur, Chhawani. pur, Chhawani.
(Transferee)

(3) 1. Shri Bhatia, 2. Shri Bandopadhaya & 3. Shri Parmar.
(Person(s) in occupation of the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 1186, situated at Modi Bada, Jabalpur, Chhawani

R. K. BALI,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Dated : 5-8-1978
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269 D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT.

COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANCE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 5th August 1978

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/1091/78-79.—Whereas, I,
R. K. BALI,
being the Competent Authority
under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No.
House situated at Jabalpur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at
Jabalpur on 28-12-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri M. B. Digvekar s/o late Shri Bhikaji Digvekar, r/o 1310 A, Wright Town, Jabalpur.

(Transferor)

(2) 1. Rajkumar; 2. Rupkumar s/o Shri Ratanchand Saraf & 3. Shri Birendrakumar (minor) s/o Shri Ratanchand Saraf, r/o Gram Sihora, Teh. Sihora, Dist. Jabalpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

H. No. 1313, 1314, Wright Town Jabalpur, (area 5428 sq. ft.) constructed on diversion Plot No. 581, Sheet No. 154C, Subhash Nagar, Municipal Plot No. 8/1.

R. K. BALI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 6-7-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 5th August 1978

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/1092/78-78.Whereas, I, R. K. BALI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
House situated at Raipur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Raipur on 20-12-77
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the Said Act to the following persons namely :—

(1) shri Brijlal Bhai s/o late Shri Ratansi, r/o Great Eastern Road, Modha Para, Raipur.

(Transferor)

(2) 1. Shri Kanhaiyalal; 2. Shri Prabhuram, & Shri Kishanlal Ahuja, s/o late Shri Kanwarlal Ahuja, r/o Sharda Chowk, Raipur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Three storyed house No. 5/2/17, constructed on Plot No. 2/28, Block No. 77, Area 627 sq. ft. & land block No. 77, Plot No. 2/26, area 718 sq. ft. situated at Modha Para, Ward, Raipur.

R. K. BALI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Dated : 5-8-1978
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 5th August 1978

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/1093/78-79. Whereas, I, R. K. BALI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
House situated at Mundwara,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Mundwara on 26-12-77,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Narayanprasad s/o Shri Ghanshyamprasad Mishra, r/o Ojha Ward, Mandla.

(Transferor)

(2) 1. Arjundas; 2. Shri Asudomal s/o Shri Narayandas Panjwani, r/o Shivaji Ward, Mundwara.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned : —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House Municipal No. 78, 78/1, 78/2, 78/3 & 78/4, situated at Malviyaganj, Mundwara.

R. K. BALI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Dated : 5-8-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 5th August 1978

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/78-79/1094.Whereas, I,
R. K. BALI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/1 and bearing No.
Plot situated at Bhopal
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer at
Bhopal on 23-12-77
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax, Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Bhishamlal s/o Shri Kanhaiyalal, through Power of Attorney Smt. Vidhyabai w/o Shri Kanhaiyalal Halwani, r/o Dabra.

(Transferor)

(2) Shri Shamim Ahmad Sahab s/o Shri Anis Ahmad Sahab, r/o Pul Bobda, Bhopal.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 11B, Area 8500 sq. ft. situated inside the Bhopal Oil & Flour Mills, Jinsi, Jehangirabad, Bhopal.

R. K. BALI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Dated : 5-8-1978

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 6th July 1978

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/1095/78-79.—Whereas, I, R. K. BALI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'),
have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Plot situated at Bhopal
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bhopal on 23-12-77
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ranomalji s/o Shri Vatumal, r/o Indore (at present Shahajanabad), Bhopal.
(Transferor)

(2) Shri Shamim Ahmad s/o Shri Anis Ahmad, r/o Pul Bobda, Bhopal.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 11A, area 7850 sq. ft. situated inside the Bhopal Oil & Flour Mills, Jinsi Jehangirabad, Bhopal.

R. K. BALI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 6-7-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, 4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001,

New Delhi, the 8th August 1978

Ref. No. IAC.I/SR-III/202/Nov.I(20)/77-78/2072.—
Whereas, I, J. S. GILL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing No.
Agricultural land situated at Sultanpuri (Delhi),
(and more fully described in the Schedule
annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at
New Delhi, on 8-11-1977
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties
has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Rajpal S/o Dhani, R/o Village Sultanpuri (Delhi).

(Transferor)

(2) Shri Guru Sharan S/o Hakumat Rai (2) Mohd. Hanib S/o Chan Khan R/o Khureji Khas (Delhi).

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 4 Bighas & 16 Biswas bearing Khasra No. 558 with one Kotha (Chowkidar Room) situated at village Sultanpur (Delhi).

J. S. GILL,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, New Delhi.

Date : 8-8-1978
Seal :

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND BY